दशम माला, खण्ड 29, अंक 19

बुधवार, 30 मार्च 1994
9 चैत्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

30 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं॰	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i i)	7	घटन	दुर्घटना
आवरण पृष्ठ	6	नेवां	नौवां
37	10	केन्द्रपारा	केन्द्रपाड़ा
40	11	दामोह	दमोह
18	अंतिम पंक्ति	केन्द्रपारा	केन्द्रपाड़ा
110	22	आयुधडिपो	शस्त्रागार

विषय सूची

दशम माला, खंड 29, नवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 19, बुधवार, 30 मार्च, 1994/9 चैत्र, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
श्री सत्य देव सिंह, संसद सदस्य के जीवन के खतरे के बारे में	8-9
नियम 193 के अधीन चर्चा	3-8, 9-64, 66-105
बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चक्र के परिणामों को मूर्त रूप देने संबंधी अंतिम अधिनियम	
श्री पी. जी. नारायणन	3-8
श्री मनमोहन सिंह	9-22
श्री चन्द्रशेखर	22-32
डा० बलराम जाखड़	32-46
श्री रवि राय	48-60
श्री पवन कुमार बंसल	60-64
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	67-75
श्री अब्दुल गफूर	75-76
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	77-79
श्री उमराव सिंह	79-80
श्री नीतिश कुमार	80-85
श्री प्रणव मुखर्जी	85-104

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) एल टी टी ई के साथ कथित सौदेबाजी 65-66

श्री एस. बी. चव्हाण

(दो) आयात और निर्यात नीति, 1992-97 में महत्वपूर्ण परिवर्तन – सभा पटल पर रखे गए। 105-110

श्री प्रणव मुखर्जी

(तीन) 2, फील्ड शास्त्रगार, श्रीनगर में हुई घटना 110-111

श्री मल्लिकार्जुन

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 111

लोक सभा

बुधवार, 30 मार्च 1994/9 चैत्र, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दो या तीन मुद्दे उठाने हैं। विशेषकर श्रीनगर में बादामीबाग स्थित आयुध डिपो में कल हुए विस्फोट का मुद्दा हम सभी के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है। यह चिन्ता स्वाभाविक है। अगर ऐसा तोड़–फोड़, आतंकवाद या विद्रोह के कारण हुआ है तो इससे उत्पन्न चिन्ता एक खास किस्म की हो जाती है। यदि यह घटना नियंत्रण या समन्वय में कमी के कारण हुई है अथवा यह आयुध डिपो की सुरक्षा प्रक्रिया की खामी है तो इससे दूसरी तरह की चिन्ता उत्पन्न होती है। लेकिन दोनो ही तरफ से सभा में इसका उल्लेख उचित है और महोदय हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जो निर्णय आवश्यक समझते हैं उसे लें ताकि जो भी जानकारी सरकार के पास मौजूद है, उसे सदन में पेश करें। मैं समझता हूं कि इसकी जांच की जायेगी और हो सकता है इसके परिणाम में समय लग जाये लेकिन इस समय अगर सभा ने अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं की तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि आखिरकार इस दुर्घटना में एक मेजर जनरल की मृत्यु हो गई है और यह कोई साधारण घटना नहीं है। अतः सरकार स्थिति स्पष्ट करे। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक समाचार आया है कि वहां के राज्यपाल के साथ ......**(व्यवधान)**......... एक कन्फ्रन्टेशन खड़ा हो गया है इसको स्पष्ट करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, ऐसे मामलों में सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए। रक्षा मंत्री यथा शीघ्र वक्तव्य दें। हमारा यह अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जनसत्ता में समाचार छपा है कि आम जनता में भय है कि जम्मू–कश्मीर में कानून–व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, इसके बारे में बताएं. ....**(व्यवधान)**........

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : अध्यक्ष महोदय, कल शाम साढ़े छह बजे माईनिंग सदर एक्सप्लोसिव कैरियर लोडर्स में करीब 15-16 आदमी घापुई खास कोलियरी में जो ई सी एल के अंतर्गत है, उसमें काम करने के लिए खदान में उतरे। उनको उस समय पांच–सात फुट के लेवल में धुंआ नजर आया। उनको महसूस हुआ कि इससे भारी दुर्घटना हो सकती है इसलिए वे लोग खदान के ऊपर आ गए तो उन्होंने खदान के मैनेजर और एजेंट को बताया कि इस तरह से भारी दुर्घटना हो सकती है। यह समाचार सुनकर मैनेजर और एजेंट खदान के अंदर गए और जो 38 आदमी पैनल में थे यानि उसी कोलियरी के रेसक्यु ट्रेड पर्सनल थे, वे सब खदान के अंदर जाकर करीब 22 आदमियों को खदान के नीचे से ऊपर ले आए। डेढ़ सौ फुट के अंदर जो पुराना डीपिलयरी जोन था उसकी गैस को रोकने की व्यवस्था की गई। इसी तरह स्टापिंग वाल भी पुराना है और मजदूर जब भी अंदर गए तो उनको कभी–कभी धुआं दिखाई देता था। कंपनी को इस बारे में सूचना दी गई तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों ने इन 22 आदमियों को बचाने का काम किया तो मैं उनको बधाई दे रहा हूं। जनवरी में न्यू केदा कोलियरी में जो दुर्घटना हुई थी और जिसमें 55 व्यक्ति मारे गए थे। तो उसी खदान में कल एक भारी दुर्घटना हुई और एक मजदूर मारा गया। हम कोल इंडिया के ध्यान में इन बातों को लाते हैं तो भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि मजदूरों की खदान के अंदर जान बचाई जा सके। हमने कल मंत्री जी से भी इस बारे में बात की है, लेकिन दुःख की बात है कि ये राज्य सरकार को सूचित नहीं करते हैं बल्कि हम लोगों ने ही राज्य सरकार को सूचना दी है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कानाकुल क्षेत्र को दामोदर घाटी निगम से सहायता मिल रही है और बोरो धान की फसल ही उस क्षेत्र की आजीविका की एकमात्र फसल है। इस वर्ष, उन्हें डी वी सी प्रणाली से कोई पानी नहीं मिला और पानी की कमी के कारण 30,000 एकड़ भूमि पर खड़ी बोरो फसल नष्ट हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को कानाकुल क्षेत्र की बोरो फसल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अतः महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग को आवयश्क हिदायतें दें ताकि इस क्षेत्र में धान की फसल को बचाने के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जा सके, यह क्षेत्र डी वी सी प्रणाली से हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाता है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, गैस एजेंसी सांसदों को गैस सिलेंडर देने में दिक्कत कर रही है। कल मैंने खाना नहीं बनाया चूंकि गैस नहीं पहुंची। इतना कहने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : संसद में ऐसे विषय उठायेंगे तो बस?

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमने अखबार में पढ़ा है कि जम्मू–कशमीर के संबंध में श्री राजेश पायलट और फारूक साहब गए थे, जहां पर अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। वहां पर काफी लोगों ने अपनी तकलीफ इनको बताई ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात उठाने का कोई कारण नहीं है।

11.10 म०पू०

नियम 193 के अधीन चर्चा

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चक्र के परिणामों को मूर्त रूप देने संबंधी अंतिम अधिनियम

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. जी. नारायणन।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, यह वाद–विवाद इस सभा में और सभा के बाहर पहले ही हो चुकी विभिन्न चर्चाओं के बाद हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह वाद–विवाद इस समझौते के बाद हो रहा है जबकि उस पर वार्तालाप और समझौता पहले ही हो चुका है। अब हम वार्ता मंच पर है और अब देने और लेने का प्रश्न है। यह सिर्फ हरेक को नहीं कहने का प्रश्न नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष का व्यवहार निरन्तर नकारात्मक ही रहा है। ऐसा कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया कि हम क्यों और कैसे बातचीत करें। यह हमारा सौभाग्य ही है कि सरकार ने इस सब के बावजूद बातचीत की है और हमारे समक्ष एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, हो सकता है कि वह पूर्णतया हमारी पसन्द के अनुसार न हो, लेकिन कम से कम एक दस्तावेज तो है ही और हम इसी के अनुसार चल भी सकते हैं।

हमें मौजूदा स्थिति को समझना चाहिए। हम एक राष्ट्र के रूप में अपने लोगों की आकांक्षाओं को प्रति सजग है। हम एक राष्ट्र के रूप में अपने दायित्व के प्रति सजग है। हम एक राष्ट्र के रूप में भावी चुनौतियों के प्रति सजग है।

मैं पहले कुछ शब्द डंकल प्रस्ताव पर कहना चाहता हूं। डंकल प्रस्ताव का मसौदा गैट के भूतपूर्व महानिदेशक आर्थर डंकल द्वारा तैयार किया गया था जो कि एक 'समझौते के रूप में' समाधान था क्योंकि उरुग्वे वार्ता में अधिक प्रगति नहीं हो पा रही थी। पहले डंकल प्रस्ताव को 1990 के अंत तक स्वीकार किया जाना था। लेकिन सदस्य देशों के बीच सहमति न होने के कारण अन्तिम तारीख को तीन वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। 15 दिसम्बर, 1993 के अन्तिम घंटों से पूर्व तक जब डंकल प्रस्ताव को अंततः स्वीकार किया गया, यूरोपीय राजसहायता विशेषकर कृषि क्षेत्र में राजसहायता के मुद्दों पर अमेरिका और यूरोपीय संघ गहरे वाद–विवाद में उलझे हुए थे।

डंकल समझौते को स्वीकार करने में इतनी कठिनाई इसलिए हुई है कि जब तक हम उरुग्वे दौर में पहुंचे तब तक इस प्रस्ताव के प्रारूप में तटकर और अन्य व्यापार अवरोधों को समाप्त करने के मूल विषय के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ जोड़ दिया गया था। अब इसमें व्यापार संबंधी निवेश उपाय (टी आर आई एम एस) और व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टी आर

आई पी एस) और सेवाओं में व्यापार भी शामिल कर लिए गए हैं।

जब बातचीत पूरी हुई तब विकसित देशों ने स्पष्ट किया कि उन्हें विकासशील देशों की तुलना में कम लाभ दिया है। उन्होंने महसूस किया कि सेवाओं और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्रों में अधिक रियायतों के बदले में उन्हें पश्चिमी बाजारों में अपने उत्पादों की पहुंच के मामले में कम प्राप्ति हुई है। उरुग्वे दौर के दीर्घ कालिक प्रभाव को महसूस करने और इस पर निर्णय करने में काफी समय लगेगा। इसके अनेक प्रावधान तो पांच से दस वर्षो की अवधि में ही प्रभावी होंगे और केवल तब ही वास्तव में यह कहा जा सकेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा है।

नई गैट नियमावली और विवाद समाधान प्रक्रियाएं विकसित देशों के पक्ष में एक तरफा है, इसके बावजूद शक्तिशाली दरों निःसंदेह अपने द्विपक्षीय या एक पक्षीय विकल्प का समय–समय पर प्रयोग करेंगे ही। लेकिन इन शर्तो में भारत द्वारा अपेक्षित एक भी सुधारात्मक उपाय पारित नहीं हुआ। जबकि अमेरिका बहु रेशा समझौते को समाप्त करने में देरी करने का प्रयास कर रही है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। यह भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए थोड़ी बहुत प्रसन्नता की बात है।

कृषि में भी काफी उपलब्धि का दावा किया जा रहा है। यह दर्शाना कि यूरोपीय संघ के देशों में कृषि राजसहायता कम होने से भारत के कृषि निर्यात में अत्यधिक वृद्धि होगी कम से कम दो कारणों से यह बात बढ़ा–चढ़ा कर कही जा रही है। पहला, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच सौदे में जो अंतिम कटौती तय हुई है वह महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे, पूरक वस्तु निर्यात में काफी समय से कम व्यापार हो रहा है और यह स्थिति बदलने के आसार नही है। इस प्रकार अगर निर्यात वास्तव में बढ़ भी जाए तो उनकी कीमत बहुत ही सीमित होगी। फिर, कृषि के बढ़ते औद्योगिकरण के फलस्वरूप, कृषि निर्यात में होने वाला थोड़ा बहुत लाभ व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत होने वाले घाटे से समाप्त हो जाएगा।

यह तर्क देना कि भारत अपने नाजुक भुगतान संतुलन में सुधार करके इस न्यूनतम बाजार प्रवेश के प्रावधान से बच सकता है इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि भुगतान संतुलन के आधार पर आयात पर अस्थाई पाबंदी की अनुमति देने वाले प्रावधान भी अब काफी हल्के पड़ गये है और इस हालत में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका निर्णायक होगी।

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें गैट समझौता भारत के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है। उत्पाद पेंटेट शुरू करना, आयात का पेटेंट के कार्यकरण के समान समझना, पेटेंट की अवधि का अधिकार और एक प्रभावी पेटेंट उपलब्ध कराने की अर्हता आदि ये सब जैव प्रौद्योगिकी और कृषि अग्रिमों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह तर्क देना कि मौजूदा उपयोग की जा रही अधिकांश औषधियां पेटेंट के तहत नहीं है, दो महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा करना है। पहले, पेटेंट के तहत न आने वाली औषधियों के कुल अनुपात का बहुत कम मांग उसी अनुपात के अनुरूप है जो विशेष ग्रुप के अत्यधिक बड़े भाग और वास्तव में यही स्थिति जैसे बैक्टीरिया विरोधी और कैंसर विरोधी जैसी महत्वपूर्ण ग्रुप की औषधियों की है। दूसरे, मौजूदा जैव प्रौद्योगिकी क्रांति के संदर्भ में अनेक नई औषधियों का निर्माण होगा और डंकल प्रस्ताव के तहत ये पेटेंट होगी। फिर यह

दावा कि जहां आवश्यक हो सरकार जन हित में अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था लागू कर सकती है, बहुत ही गुमराह करने वाला है क्योंकि अनिवार्य लाइसेंस के मामले में डंकल प्रस्ताव के तहत प्रस्ताव बहुत कमजोर है।

भारत में औषधियों के मूल्य पश्चिम की तुलना में कम से कम दस गुणा अधिक है।

पाकिस्तान में भी, जिसने उत्पाद पेटेंट प्रणाली अपनाई है, औषधियों के मूल्य कई गुणा अधिक है। सरकार इस संबंध में भ्रामक प्रचार कर रही है।

उनका निर्यात नहीं किया जा सकता। यदि आप पेटेंट अधिकार प्राप्त करते हैं तब आप निर्यात नहीं कर सकते।

यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। उत्पाद पेटेंट आवेदन 1995 से ही दर्ज किये जा सकते हैं। इसके लिए कोई अंर्न्तकालीन व्यवस्था नहीं है यदि कोई व्यक्ति 1994 में अमरीका में किसी औषधि का आविष्कार करता है, तो वह 1995 में भी पेटेंट रक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। औषधि नियंत्रक के पास 1995 से आवेदन किये जा सकते हैं। क्या आपको इस पूरे अधिनियम के मूल उद्देश्य और दिशा की जानकारी है प्रत्येक अनुसूची में यह कहा गया है कि हम अधिकाधिक उदारीकरण करते रहेंगे।

इन सभी बातों के अलावा इस बात को बिना किसी संदेह के समझे जाने की आवश्यकता है कि नया गैट संधि हमारी संप्रभुता पर अतिक्रमण करती है। इससे हमारे कृषि, निवेश और समाज कल्याण जैसे आधारभूत क्षेत्रों में तथा अन्य मामलों में नीतिगत निर्णय लेने की हमारी शक्ति कम होती है। दुर्भाग्यवश, सरकार ने इसके खिलाफ अकेले अथवा अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर इसका विरोध करने और गंभीर वार्ता करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। वर्तमान सरकार द्वारा आई एम एफ तथा विश्व बैंक के सामने कड़े समझौते के प्रति आत्मसमर्पण करने की बात को देखते हुए निःसंदेह यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है।

महोदय, मैं जितना अधिक इस अधिनियम का अध्ययन करता हूं, उतना ही अधिक मैं इस अधिनियम के जटिल सिद्धांतों से अभिचकित और हतबुद्ध होकर रह जाता हूं। भारत सरकार एक शानदार नगरपालिका बन कर रह गई है। संसद एक नगरपालिका परिषद् बन कर रह गई है। इसकी स्थिति दिल्ली विधान सभा जैसी है जिसे कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है।

अब अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, सबसे पहले मैं सेवाओं की बात करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि हमारे मंत्री इसे पढ़ पाये हैं अथवा नहीं। इसमें यह कहा गया है कि सरकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदान की जाने वाली सेवा का अभिप्राय किसी ऐसी सेवा से है जो कि न तो वाणिज्यिक आधार पर हो और न ही एक अथवा अधिक सेवा प्रदान करने वालो के साथ प्रतियोगिता करके प्रदान की जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि आप अब शिक्षा तक प्रदान नहीं कर सकते। इसका यह अभिप्राय है कि विश्व व्यापार संगठन जो कि गैट पर भी विजय पाने जा रहा है, कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने की सेवा को छोड़कर अन्य किसी भी सेवा तक अपनी पहुंच रख सकता है।

उदाहरण के लिये स्वास्थ्य को ही ले लीजिये। इस देश में इस सेवा को प्रतियोगिता, वाणिज्यिक

रूपरेखा पर चलाया जाता है। वे इसमें प्रवेश कर सकते हैं। किसी हद तक भी जा सकते है। जब कभी हम यह कहते हैं कि भारत सरकार की प्रभुसत्ता पर जबरन हस्तक्षेप किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हम अपनी बात को पूरी तरह से कहने के दोषी होते हैं। भारत की प्रभुसत्ता तो समाप्त हो चुकी है। हमें यहां पर केवल कानून व्यवस्था ही बरकरार रखनी है और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं।

महोदय, मुझे हैरानी है कि अब आगे चलकर डैमोक्रेसी रहेगी अथवा गैटोक्रेसी। डैमोक्रेसी अब नही रहेगी। गैट इस पर शासन करेगा, भारत की संसद इस पर शासन नहीं करेगी। गैट सदैव अमीर राष्ट्रों के पक्ष में ही रहा है। इसलिए विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र में एक शिकायत की थी। इसलिए अंकटेड (यू एन सी टी ए डी) अस्तित्व में आयी।

अभी भी गैट की गतिविधियों में सुधार नहीं हुआ है। उरुग्वे दौर इस अंतिम अधिनियम के माध्यम से अमीर राष्ट्रों के अधिपत्य की हद में असामान्य वृद्धि होगी।

मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार ने गैट में इस दृष्टि से अच्छी भूमिका नहीं निभाई कि हमारे प्रतिनिधियों ने अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चर्चा करके बहुत से निर्णय लिये, लेकिन राजनैतिक मोर्चे पर वे असफल रहे, क्योंकि उरुग्वे दौर के 15 दिसम्बर, 1993 को समाप्त होने से अठारह माह पूर्व ही हमारी सरकार ने विरोध करना बंद कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : नारायणन जी, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। आप इसे दोहराते जा रहे हैं। कृपया इसे दोहराये नहीं।

श्री पी. जी. नारायणन : अब वित्तीय प्रभावों से बिलकुल अलग, कृषि की बात करते हुए मैं स्वायत्तता के हनन को लेकर चिन्तित और भयभीत हूं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग है जोकि यह सोचते हैं कि भारतीय कृषि उत्पादों को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। हमारी निर्यात नीतियां बहुत ही कम है। भारत में हमने कृषि उत्पादों के मामले में कभी भी राजसहायता नहीं दी है। इसलिए वहां पर कोई भी लाभ नहीं है। आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह से प्रतियोगिता करेंगे।।

मात्रा की दृष्टि से छह वर्षो के बाद 79 प्रतिशत राजसहायता हो जायेगी। ड्राफ्ट--प्रारूप में 3.3 प्रतिशत वृद्धि थी। लेकिन अब गैट अधिनियम में 8 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब वे कह रहे हैं कि यूरोप, अमरीका और जापान अपनी राजसहायता में कमी करने पर विवश हो जायेंगे। वे किस हद तक कमी करेंगे। छठे वर्ष के अंत तक वे राजसहायता में 20 प्रतिशत तक कमी करेंगे।

क्या हम यह मानते हैं कि जापान सरकार जापान में चावल पर 700 प्रतिशत राजसहायता देती है। यदि 20 प्रतिशत राजसहायता कम कर दी जाती है तो हम अपने कृषि उत्पादों का किस तरह से निर्यात कर सकते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से प्रतियोगिता कर सकते हैं। अपनी पराजित मानसिकता और अपने आत्मसमर्पण पर परदा डालने के लिये आप झूठी आशा क्यों लगाये हुए हैं?

कृषि के क्षेत्र में, महत्वपूर्ण लाभ अर्जित करने का दावा किया जा रहा है। यूरोपीय संघ के

देशों में कृषि राजसहायता कम किये जाने से भारत के कृषि निर्यात में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होने की जो तस्वीर खींची जा रही है, उसे कम से कम दो कारणों से व्यापक तौर पर बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली बात यह है कि अमरीका तथा यूरोपीय संघ के बीचे होने वाली सौदे बाजी में अंत में जिस कमी पर सहमति व्यक्त की गई है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। दूसरे, प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में काफी लम्बे समय से व्यापार में कमी आ रही है तथा इस स्थिति के बदलने के कोई आसार नहीं है। यद्यपि निर्यात की मात्रा में वृद्धि होगी, परन्तु निर्यात मूल्य में सीमित वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के साथ कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाला थोड़ा बहुत लाभ व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण होने वाली हानि की तुलना में बहुत कम होगा। लोग निर्यात की बाते करते हैं। आप निर्यात कैसे कर सकते हैं? अस्तित्व में आ रहे तथा फैल रहे क्षेत्रीय गुट, गैट समझौते के प्रावधानों की पूर्ति करेंगे। यहां तक वचनबद्धता है कि हम कुल मिला कर 45 प्रतिशत से अधिक सीमा–शुल्क नहीं लगायेगे। बेशक, वित्त मंत्री महोदय, अधिकतम सीमा शुल्क को घटा रहे है। कल को अगर कोई और सत्ता में आ जाता है, तो वह भी सीमा शुल्क में वृद्धि नहीं कर पायेगा क्योंकि हम सदैव इस कानून से बंधे रहेंगे।

विभिन्न समझौतों के अंतर्गत जो नीतियां अपनाई गई है, उनमें से अनेक राज्यों अथवा संवर्ती सूची में आने वाले विषयों से सबंन्धित है। निःसंदेह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253, संसद को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु इन क्षेत्रों में भी विधि निर्णय की अनुमति देता है। फिर भी क्योंकि राज्य सरकार की अनेक मूल नीतियां इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इन क्षेत्रों के संबंध में कोई भी वायदा करने से पूर्व उनसे परामर्श अवश्य किया जाना चाहिए। पूर्व कालिक प्रक्रिया के विपरीत, किये जा रहे समझौतों के संसद द्वारा अनुमोदन से पहले राज्यों से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे कि कोई भी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कि राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय अथवा उप–राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करता हो तथा लोगों के अनेक वर्गो का हित उससे जुड़ा हो, पहले कभी नहीं किया गया है। अन्ततः डंकल मसौदे के अनेक प्रावधानों को विधि निर्माण द्वारा ही लागू करना संभव होगा।

अतः माननीय मंत्री जी से मै यह अनुरोध करना चाहता हूं कि गैट के इस अंतिम अधिनियम को त्याग दिया जाना चाहिए। आप यह निर्णय लें कि आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हम द्विपक्षीय समझौते करेंगे। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें इस झंझट में नहीं फंसना चाहिए। अब इस निर्णय से पीछे हटने में काफी देर हो चुकी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने साहसिक घोषणा की थी कि वे इस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। जब तक वार्ता जारी है, तब आपको ऊंचे–ऊंचे भवनों में बैठकर यह शोर करने की क्या आवश्यकता है कि आप इस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं? कृपया देश ओर लोगों के हित में इस तरह की घोषणा करना बंद करें।

अतः हमारा यह सुविचारित मत है कि सरकार को प्रारूप प्रस्ताव में दिये गए विभिन्न प्रस्तावों में तमाम अस्वीकार्य बातों का पता लगाकर दोबारा बातचीत करनी चाहिए। इस प्रस्ताव को हमने वर्तमान रूप से इस लिये स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसको स्वीकार किये जाने से हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता पर अतिक्रमण हो सकता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप हो सकता

है और देश की विकासात्मक प्राथमिकताओं को प्रयोजन कुंठित हो सकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि व्यापार संबंधी सामान्य समझौता तथा व्यापार नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों के मामले में सरकार को अधिक व्यावहारिक तथा आवेग रहित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

श्री पी. जी. नारायणन : जी हां, महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

11.29 म०पू०

श्री सत्यदेव सिंह, संसद सदस्य के जीवन को खतरे के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।
..........**(व्यवधान)** ....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इससे पहले कि आप किसी नये सदस्य को बोलने के लिये आमंत्रित करें, मैं एक मामला जो विचाराधीन विषय से संबंधित नहीं है, सदन में उठाना चाहता हूं। उसके लिए हम आपकी अनुमति भी प्राप्त नहीं कर सके, जिसका हमें खेद है लेकिन मामला काफी गंभीर है जिसका संबंध इस सदन के एक सदस्य की प्राण – रक्षा से है। मेरा इशारा श्री सत्यदेव सिंह की ओर है। उन्हें एक बार गोली का निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें वे बच गये। अब उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लगातार टेलिफोन पर धमकियां मिल रही है, उन्हें जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, उनके परिवार वालों का अपहरण करने की धमकी दी जा रही है। यदि कल कुछ हो जाये और हमने इस सदन में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, कम से कम यह दोष हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम आपकी विशेष अनुमति चाहते हैं। स्थिति सचमुच गंभीर है। आप इस सदन के अध्यक्ष है और गृह मंत्री जी भी सदन में मौजूद है। हमारे एक सदस्य की जान खतरे में है। प्रदेश सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है।

प्रदेश सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, तो सदन क्या करें? क्या हम मूकदर्शक बने रहें?

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि श्री सत्यदेव सिंह के विषय में मुझे भी बहुत पहले से जानकारी है। एक घटना उनके साथ घट चुकी है। कितनी भयानक वह घटना थी इसको मैं समझा सकता हूं। उन्होंने बार–बार लोगों को लिखा और गृह मंत्री जी को भी लिखा है। एक संसद की बात अलग है यदि कोई साधारण नागरिक भी इस तरह की गुहार करे और सरकार अनुसनी कर दें, तो यह बात ठीक नहीं है। वे हम लोगों के सहयोगी हैं। हम उनके साथ हैं। मैं तो उनके जिले से व्यक्तिगतरूप से परिचित हूं। जैसा अभी अटल जी ने कहा है, मैं भी माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में

स्वयं देखें और अपनी खुफिया एजेंसी से पता लगवाएं और उनके साथ भविष्य में कोई घटना न घटे, इसके लिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं भी यह निवेदन करता हूं कि गृहमंत्री महादेय मामले की जांच करें।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं स्वयं मामले की जांच करूंगा। मैं राज्य सरकार को माननीय सदस्य को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिखूंगा तथा तत्पश्चात् अपनी एजेंसियों के माध्यम से मैं यह पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि उस क्षेत्र में वास्तव में क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक चीज की मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सत्यदेव सिंह जी इस मामले को पहले ही उठा चुके थे और इस मामले को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जब किसी सदस्य ने स्वयं यह वक्तव्य दिया था, तो सरकार का तत्काल नोटिस लेना चाहिए था और आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए थी तथा संबंधित सदस्य को निमंत्रित करके उनसे सलाह करके उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था।

मैं जिस मामले को अब आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि हमारी पार्टी के 28 सांसदों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस के गेट नबंर 1 पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैं तथा रवि राय जी उनसे मिलने गए तो मुझे इसका पता लगा है। वे प्रोटैस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। वे पुलिस हिरासत में हैं। हम दोनों उनसे मिलने गए और जब वे वहां नहीं थे, तो हमने वहां उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि वे कहां हैं, तो उन्होंने कहा कि वे स्वतः बस में बैठकर चले गए। यह गंभीर मामला है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में आप आवश्यक कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों पर विचार करूंगा।

11.33 म०पू०

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चरण के परिणामों को मूर्त रूप देने वाले अंतिम अधिनियम पर चर्चा जारी

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हम बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चरण के परिणामों पर चर्चा कर रहें हैं तथा मेरे विचार में सभी पक्ष इस बात से सहमत है कि इन परिणामों का विश्व के सभी राष्ट्रों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस सम्माननीय सभा के लिए

यह उचित होगा कि यह स्थिति का आकलन करे।

इस सभा में दिये गये भाषणों को मैंने पूरी तन्मयता से सुना है तथा इस अवसर पर मैं सदन के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के कुछ मौलिक तथ्य रखना चाहूंगा।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई भी चर्चा करने से पहले सबसे पहली बात जो कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भी लागू होती है। वह निश्चित तौर पर शक्ति पर आधारित है। ये कोई 'चैरिटी शो' नहीं है। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एक आर्थिक और राजनैतिक शक्ति की दृष्टि से असमानता भरे विश्व में जी रहे हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता लाने के लिए विधि निर्माण का कोई आसान यान्त्रिकी तरीका नहीं है। युद्ध के बाद यह असमानता लगातार चली आ रही है।

श्री जसवंत सिंह कल इस समझौते के असमानता पर आधारित होने की बात कह रहे थे, युद्ध पश्चात् के वर्षो के दौरान अगर आप अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के सारे इतिहास को देखें, तो हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इसके अस्तित्व के आने के समय से ही सदस्य हैं। परंतु हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अनुपातिक मतदान प्रणाली को स्वीकार किया है।

यह असमानता का एक प्रमाण है। परंतु फिर भी हमने यह महसूस किया कि हमें अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। वहां सुरक्षा परिषद् है जिसमें वीटो का अधिकार केवल स्थायी सदस्यों को दिया गया है। यह भी असमानता का द्योतक है। फिर भी, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को बढावा देने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। विश्व में निर्धन वर्ग के होने के कारण हमें सभी शक्तियों की मांग करनी चाहिए। और उरुग्वे दौर के लिए हमने जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, वह उचित है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये वार्ताएं जनता के बीच की वार्ताएं हैं। आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों में असमानता जीवन की सच्चाई है। फिर आप असमान व्यक्तियों के जीवन से कैसे निपटेंगे? एक तरीका है कि आप जंगल का कानून अपना लें। देश एक-दूसरे को एकपक्षीय या बहुपक्षीय तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस शक्ति को सीमित करने का एक तरीका बहुपक्षीय समझौतों के द्वारा अन्य देशों को अनावश्यक रूप् से प्रभावित करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना है और गैट इस दिशा में एक प्रयास है। यह सही प्रयास नहीं है। उरुग्वे दौर से भी पहले गैट वार्ताओं के अनेक दौरे हुए है। इन सभी वार्त्ताओं में हमने पाया कि विकासशील राष्ट्रों के रूप में हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह अलाभ की स्थिति आज भी चल रही है और यह हमेशा चलती रहेगी, जब तक कि भारत और अन्य देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो जाते।

इस प्रकार, इस समझौते को समग्र परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यह एक बहुपक्षीय समझौता है। यह हम पर कुछ दायित्व डालता है, हमें कुछ अधिकार भी देता है। इसलिए प्रश्न यह है कि हमें यह पूछना चाहिए कि क्या इससे जोखिम कम होगा और क्या यह हमारे देश में अवसरों में वृद्धि करेगा? मेरा यह विनम्र निवेदन है। इसमे कोई संदेह नहीं है कि जोखिम हैं। हम कुछ दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे देश को आर्थिक रूप से खुला बनाता है और इसे सुदृढ़

आत्म–निर्भर राष्ट्र बनाने के अपने मूल राष्ट्रीय उद्देश्य को पहचानने में सहायता करता है।

महोदय, मुझे याद है कि पंडित जी ने अपनी मृत्यु से पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना संबंधी अंतिम दस्तावेज देखा था। मेरे विचार से जो व्यक्ति इतिहास के बारे में जानते हैं, वे यह अवश्य जानते होंगे कि इस दस्तावेज का पहला अध्याय पंडित जी ने स्वयं लिखा था और बदलते परिवेश में आत्म निर्भरता का उन्होंने एक अर्थ बताया था। उस समय यह कहा गया था कि आत्म निर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि भारत एक निरंकुश राष्ट्र बन जाए अथवा लागत को ध्यान में न रखते हुए हर क्षेत्र में आत्म निर्भर बन जाए। बल्कि यह कहा गया था कि आत्म निर्भरता का अर्थ बाहरी साधनों के बिना अपने संसाधनों द्वारा विकास करना। जब मैंने यह कहा कि 'हमारे अपने संसाधनों के माध्यम से'' तो इसका अर्थ था कि गैर–सरकारी निवेश असंगत नहीं है। ये वाणिज्यिक व्यवहार है। आत्म–निर्भरता तभी वास्तविकता बन सकती है, यदि भारत कृत्रिम या बाहरी सहायता पर निर्भर न रहे और पिछले चालीस या पैंतालीस सालों से हम इसके आदी हो चुके हैं। हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? महोदय, मैं इस माननीय सभा से निवेदन करता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसका आयात विकास प्रक्रिया में बढ़ेगा। हमारा एक विशाल राष्ट्र है। हमारे यहां विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन हम प्रति व्यक्ति आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते ।

भारत अपनी पूर्ण विकास क्षमता को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह विश्व में प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बन जाए और निर्यात–आयात के बीच अंतर को कम कर दें। अतः हमें ऐसे विश्व वातावरण की आवश्यकता है जिसमें भारत के निर्यात की बाधाएं कम की जा सकें। महोदय, मेरा आपसे और इस सम्मानीय सभा से निवेदन है कि गैट समझौता उचित दस्तावेज नहीं है। हम अपने अनुरूप एक नया गैट चार्टर बनाने में समक्ष नहीं है। यही जीवन का वास्तविक तथ्य है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस प्रकार आत्म–निर्भर बनना है कि इससे समयावधि कम हो सके तथा छूट और शर्तों सहित सहायता पर हम निर्भर न रहें। हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां सुदृढ़ संरक्षणवादी दबाव है। कौन से देश अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहते हैं? कमजोर और निर्धन राष्ट्रों के लिए केवल यही एक सुरक्षा का साधन है कि हम ऐसी विश्व प्रणाली अपनाएं जो विधि–आधारित हो और सौदे पर आधारित न हो तथा असमान विश्व की वास्तविकताओं को देखते हुए हमें ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें आप बहुपक्षीय मंच पर उन शक्तिशाली राष्ट्रों का पर्दाफाश करें जो अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए शेष विश्व का शोषण करते हैं। मेरे विचार से गैट समझौते को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। यदि संरक्षणवाद बढ़ता है, भारत के निर्यात के विरूद्ध शुल्क प्रेसत्रोइका बढ़ता है, तब मेरे विचार से हमें आर्थिक विकास की आशा छोड़ देनी चाहिए।

कल श्री जार्ज फर्नान्डीज कह रहे थे कि हमारे विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 4% घरेलू सकल उत्पाद की आवश्यकता है। हम अपने विकास लक्ष्यों को कम विदेशी सहायता प्राप्त करके भी पा सकते है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि विश्व अधिक संरक्षणवादी बन जाता है, तो हमें वास्तविकताओं का सामना करना होगा क्योंकि जो वृद्धि दर अर्थात 3½% 1950 से 1980 तक हमारे देश में रही है, वह हमें स्वीकार्य नहीं है और फिर यही दर बनी रहेगी।

यदि विश्व अधिक संरक्षणवादी बनता है, तो लाखों भारतीयों की नौकरी नहीं रहेगी। कपास उत्पादक, हथकरघा उत्पादक, मिल मजदूर और अन्य अनेक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के निर्यात व्यापार से जुड़े हुए है।

कल यह प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा क्यों है कि चीन गैट से बाहर रहकर अपना व्यापार बढ़ा सकता है और हम उसी के रास्ते पर क्यों नहीं चल सकते हैं। जो व्यक्ति चीन का इतिहास जानते हैं वे यह भी जानते होंगे कि आज चीन की विश्व में सुदृढ़ स्थिति है क्योंकि चीनियों ने पिछले पन्द्रह सालों में अपने आर्थिक ढांचे को बनाने का कार्य किया है। 1978 में चीन का निर्यात लगभग 9.6 अरब डालर था और भारत का निर्यात 6.6 अरब डालर था । अब चीन का निर्यात 85 अरब डालर है जबकि भारत का निर्यात 21-22 अरब डालर है। चीन ने इस अवधि में अपना आर्थिक विकास किया है। चीन ने इस और गंभीरता से ध्यान दिया और यदि आप चीनी रास्ते पर जाना चाहते है तो इस माननीय सभा को एक सार्थक राष्ट्रीय मतैक्य बनाना होगा कि हमारा आर्थिक विकास हो, भारत विश्व में पहले नंबर पर हो ताकि हमारा निर्यात बढ़े, व्यापार बढ़े, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो, तभी हम विश्व में सिर ऊंचा करके चल सकते हैं।

केवल भाषण देने से वे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगे। हमें लंबा सफर तय करना है और यह इस सभा का और उन सभी का, जो जनता की राय को प्रभावित करते हैं, पवित्र दायित्व है कि यह समझें कि समय हमारे अनुकूल नहीं है। यहां तक कि वियतनाम जैसा छोटा सा राष्ट्र तेजी से आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है और यदि वियतनाम इसी गति से प्रगति करता रहा तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि अगले पांच वर्षो में वियतनाम का विश्व व्यापार व्यवस्था में भारत से अधिक महत्व होगा। इस चुनौती, अवसर और परिस्थिति के अंतर्गत इस सम्माननीय सभा को उरुग्वे दौर के परिणामों को देखना चाहिए।

इस विशिष्ट मुद्दे पर कि क्या हम अपने आवश्यक हितों की रक्षा का पाएंगे या नहीं मेरा निवेदन है कि भारत को ऐसा विश्व व्यापार वातावरण बनना चाहिए जिसमें संरक्षण वादी ताकते न हो और यह गैट समझौता, जो यद्यपि उचित नहीं है, इस प्रक्रिया में सहायता करें। यदि यह गैट समझौता न हो, तो हमें द्विपक्षीय रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों के दबाव को सहना होगा और आप यह कल्पना कर सकते हैं कि इन वार्त्ताओं का क्या परिणाम होगा। यहां तक कि चीन इतना शक्तिशाली होते हुए भी पेटेंट कानून, जो संयुक्त राज्य अमरीका लागू करना चाहता है, मानने के लिए सहमत है। वे सभी शर्तें गैट समझौते की शर्तो से भी अधिक कड़ी है। अतः आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करने और भारतीय निर्यात के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।

ये बातें उठाई गई हैं कि हमारी कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या होगा, हमारे विकास के स्वतंत्र रास्ते को चुनने के बारे में क्या होगा तथा क्या इस समझौते से राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन होगा? मैं इन सभी मुद्दों पर संक्षेप में बोलूंगा। कृषि के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों को विकास के ऐसे तरीके की आवश्यकता है, जो उन्हें प्रगति करने के अवसर दे सके। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? हमारे देश में पहले से ही इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि व्यापार की कृषि संबंधी शर्तें उतनी अनुकूल नहीं रहीं, जितनी होनी

चाहिए थी। हमारे वामपंथी मित्रों ने सदैव यह माना है कि कृषि का विकास किसानों की मेहनत पर निर्भर करता है। हम इसे नहीं मानते है और बाद में चीन ने भी यह मान लिया कि ऐसी प्रणाली सफल नहीं रहती है। अतः किसानों का आर्थिक विकास होना चाहिए। उन्हें लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए। उन्हें निर्यात के लिए बाजार मिलना चाहिए तथा कृषि वस्तुओं के व्यापार पर से आंतरिक प्रतिबंध हटा देना चाहिए। युद्ध के बाद के वर्षों में तृतीय विश्व के देशों की यही मांग रही है कि कृषि और वस्त्र को गैट के अंतर्गत लाया जाए। हम कृषि वस्तुओं के बड़े निर्यातक नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में हमारी कम रूचि है लेकिन आज अफ्रीका और लेटिन अमरीका में अनेक विकासशील राष्ट्र हैं जो कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि पिछले 15 वर्षों में प्राथमिक उत्पादों की कीमत कम हुई है, और प्राथमिक वस्तुओं के विश्व व्यापार में कोई अनुशासन नहीं है। तृतीय विश्व के देशों के साथ सहानुभूति रखते हुए हमने हमेशा यह कहा है कि चाहे हम बड़े निर्यातक नहीं है, फिर भी हम तृतीय विश्व के देशों में आर्थिक विकास के लिए कृषि व्यापार संबंधी शर्तों में संशोधन करने के लिए उन देशों के साथ हैं।

मेरे विचार से कल श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि मलेशिया, इंडोनेशिया और थाइलैंड को लाभ होगा क्योंकि वे बड़े कृषि निर्यातक देश है। ठीक है, हमे इस बात से कोई दुख नहीं है क्योंकि वे हमारे पड़ोसी राष्ट्र है। यदि वे अधिक समृद्ध होते हैं तो तृतीय विश्व के देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। सामूहिक आत्म निर्भरता तृतीय विश्व के देशों का सपना है। लेकिन यह वास्तविकता तभी बन सकता है, जब तृतीय विश्व के देशों में क्रय शक्ति बढ़ेगी। अतः जबकि भारत एक बड़ा कृषि निर्यातक देश नहीं है, फिर भी अनेक विकासशील राष्ट्रों की प्राथमिक वस्तुओं के व्यापार में रूचि होगी उन्हें इस समझौते से लाभ होगा और तृतीय विश्व के एक सदस्य के रूप में हम इसका स्वागत करते हैं। जहां तक भारत का संबंध है, यह बात सही है।

[अनुवाद]

कल, श्री जार्ज फर्नान्डीज, ने बताया कि हमें सीमान्त लाभ मिलता है। विगत समय में हम अपने निर्यात के साथ भेदभाव करते रहे हैं। अगर हम ऐसे विकास के तरीके अपनाते रहे जिसमें हमेशा से कृषि, कृषि निर्यात और सामान्य निर्यात के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, तो इससे किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत कम समय में ही हमें हर समझौते से न्यूनतम लाभ मिलने लगेगा। लेकिन अब हम अपनी नीति को बदल रहे हैं, अब हम निर्यात को बहुत अधिक लाभदायक बना रहे हैं। अगर आप दस वर्ष का अनुमान लगाये तो विश्व व्यापार के उदारीकरण, जो अब चीन समेत अन्य देशों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, के फलस्वरूप भारत इतना ही अधिक लाभ अर्जित कर सकता है।

इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे भारतीय कृषि के अनिवार्य हितों को नुकसान होता हो। वास्तव में, जैसा कि आज हम देखते है, कृषि में विविधता लाने की एक नई लहर चल रही है। आप कर्नाटक जाइये – आप वहां फूलों की खेती देखेंगे। आप महाराष्ट्र अथवा आंध्र प्रदेश जाइये – आप वहां बागवानी देखेंगे। इन सभी कार्यों से उनको बहुत अधिक फायदा होगा। कृषि और व्यापार से क्रमिक रूप से प्रतिबंध हटाने के परिणामस्वरूप बाजार का विस्तार होगा चिन्ता की बात यह नहीं है कि कृषि पर से प्रतिबंध हटाये जा रहे हैं बल्कि यह है कि उन्हें तेजी से

नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन इसमे कोई संदेह नहीं है कि अगर गैट प्रस्तावों से भारत के कृषि निर्यात की संभावना बढ़ जायेगी, तो फिर हमारे घरेलू उत्पादकों का क्या होगा। हम जो राजसहायता देते हैं, उसके बारे में प्रश्न उठाये जाते हैं।

मैं इस सभा में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस गैट समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृषि पर राजसहायता देने की हमारी सामर्थ्य का कम करता हो। इस पर वास्तविक सीमा यह है कि एक देश में जहां जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग कृषक हो, वहां राजस्व बहुत कम होता है। आप 70 प्रतिशत जनसंख्या को राजसहायता नहीं दे सकते। कृषि को राजसहायता देने की सीमा गैट समझौते से नहीं, अपितु भारत की वित्तीय स्थितियों से निर्धारित होती है। अगर आप हमारे कुल कृषि निर्यात पर नजर डालें तो यह सकल घरेलू कृषि उत्पाद नाममात्र का लगभग 17.5 प्रतिशत है। अगर हम कृषि राजसहायता को बढ़ाना चाहते है तो मेरा कहना यह है कि गैट उसमें किसी प्रकार की बाधा सिद्ध नहीं होगा। मेरे विचार से कृषि राजसहायता बढ़ाने में सबसे बड़ी रूकावट भारत की वित्तीय – व्यवस्था की स्थिति है। अतः भगवान के लिए जनता को गुमराह मत कीजिए कि यह समझौता कृषि पर राजसहायता के हमारे अधिकार से हमें वंचित कर देगा। मेरा आप से विनम्र अनुरोध है कि यह सत्य नहीं है।

एक प्रश्न उठाया गया है – क्या हम खरीद का कार्य कर सकेंगे– क्या सरकार सरकारी राजस्व को बड़े पैमाने पर भंडारण पर खर्च कर सकेगी। जिस सीमा तक मुझे गैट समझौते की समझ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो भारत को उस नीति का पालन करने से रोकता है जिसे भारत खाद्य सुरक्षा की जरूरतों के अनुरूप मानता है।

हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुरक्षित है। इस गैट समझोते में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि आपके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं होगी। गैट समझौते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कृषि में निवेश करने पर आपको राजसहायता नहीं मिलेगी। गैट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि छोटे और सीमांत किसानों को, जो विकास की प्रक्रिया के अनन्य अंग है, राज सहायता नहीं मिलेगी। अतः, मैं इस देश में गलत जानकारी देने का जो अभियान चल रहा है कि इस गैट समझोते का तात्पर्य यह है कि इस सरकार ने किसानों के हितों को बेच दिया है, को रोकना चाहता हूं। मेरे विचार में, यह हर प्रकार से सच्चाई से परे हैं। बढ़े हुए व्यापार अवसरों से हमारे कृषक लाभान्वित होंगे।

हमारे पास कृषि के लिए एक स्थिर नीति है। आज अगर आप 1971-72 को आधार बनाकर कृषि व्यापार की शर्ते देखें, तो ये पहले की शर्तो से लगभग 10% ही कम बैठती है। पिछले दो वर्षो से हम धीरे–धीरे कृषि व्यापार की शर्तो में सुधार करने के लिए मेरे सहयोगी कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री महोदय के प्रयासो के लिए धन्यवाद। कृषि व्यापार की शर्तो में एक प्रतिशत सुधार का अर्थ है, किसानों को 8,500 करोड़ रूपये के संसाधनों का हस्तातंरण। अगर चार–पांच वर्ष की अवधि में हम कृषि व्यापार की शर्तो में लगभग 10 प्रतिशत सुधार लाते है, तो भारत के किसानों को 85,000 करोड़ रूपये की आय का हस्तातंरण होगा। कल्पना कीजिए कि भारत के उद्योग के लिए यह आय कितनी होगी। भारत के किसानों की ओर से 85,000 करोड़ रूपये के औद्योगिक उत्पादों की अतिरिक्त मांग से हमारे देश में नई औद्योगिक क्रांति का पर्दापण होगा। जिन नीतियों

और कार्यक्रमों को हम पालन कर रहें हैं, उनसे कृषि को कोई नुकसान नहीं हो रहा है यह हमारी कृषि को भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के स्टालिनवादी सोच से मुक्त करने के लिए है। हमारा यह विचार कभी नहीं रहा है कि भारत में औद्योगिकीकरण का विकास कृषि की चरमराती स्थिति पर हो। हम किसानों पर लगे प्रतिबंधों को हटायेगे। हम उन्हें अपना उत्पादन वहां बेचने के लिए करेंगे, जहां वे चाहते हों। हम धीरे–धीरे कृषि मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय–मूल्यों के बराबर करेंगे। हम उद्योगों को सुरक्षा देना कम करेंगे ताकि हमारे किसानों को कम से कम कीमत पर उर्वरक और औजार इत्यादि मिल सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप यहां तो चिल्ला रहे है, लेकिन वाशिंगटन में आप चुपचाप रहते है।। आप में वहां अपनी आवाज उठाने का साहस नहीं है।

यह सब भविष्य के गर्त में है। साढे तीन वर्षो से उनका दल सत्तासीन है। अब वे अपने दल और अपनी सरकार की बात करते हैं। साढे तीन वर्ष की अवधि के बारे में आपको क्या कहना है। उस अवधि में क्या किया गया है? वह कह रहे है कि उन्होनें यह किया उन्होंने वह किया। आपने केवल कारखानों को बंद किया है।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : आपने डी.ए.पी. को डम्पिंग की अनुमति क्यों दी है? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : विशेष बात पर आइये। आप यह समझाइये कि हमें किस प्रकार फायदा हो रहा है। भाषण देने के स्थान पर उन्हें राष्ट्र को यह बताना चाहिए ....* सरकार ने लोगों से सब कुछ ले लिया है। आपमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि आप सच्चाई बताये। आप देश को विश्वास में नहीं लेते। आप हमें केवल भाषण देते हैं। आप यह क्यों नहीं कहते कि ये फायदे हमें इससे मिलेगे। वास्तव में इसके क्या लाभ होंगे? आप भारत के किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।

हम लोगों ने भूमि सुधार किये हैं। मेरे दल ने यह काम किया है। हमारा अस्तित्व है और इनके जैसे लोग होने के बावजूद भी हम विकास कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

12.00 मध्यान्ह

श्री तरित वरण तोपदार : वह उर्वरक उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उर्वरक उद्योग बंद हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मजाक काफी हो गया है, अब कृपया विषय पर आइये।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं अपने मित्र की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मैंने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई हो, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। मैं तो मुख्य रूप पर यही बता रहा था कि ग्रामीण आय और शहरी आय के इस अन्तर को किस प्रकार कम किया जा सकता है। **(व्यवधान)** मैं कह रहा था कि हमें बहुआयामी नीति अपनानी पड़ेगी। हमें धीरे–धीरे उद्योगों को दी जाने वाली सुरक्षा में कमी करनी पड़ेगी ताकि

*(अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया)।

अपने उद्योग क्षेत्र को नुकसान पहुंचाये बगैर हमारे कृषकों को ये सभी चीजें कम से कम कीमत पर मिल जाये। उन्हें गुणवत्ता वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं मिले और साथ ही साथ हमें उन्हें और अधिक अवसर देने चाहिए। कृषि वस्तुओं को व्यापक बनाने तथा उनके निर्यात में आने वाली बाधाओं को हमें अवश्य दूर करना चाहिए। मुझे मालूम है– श्री सोमनाथ चटर्जी का कहना ठीक ही था कि लाखों गरीब किसान है। अब बाजार प्रोत्साहनों का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं कि हमें समस्याओं से निपटने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता है। हमें रोजगार में वृद्धि करने वाले कार्यक्रमों की जरूरत है और इसलिए, इस वर्ष के बजट में और पिछले वर्ष, इन्हीं किसानों के लिए काफी धनराशि रखी गई थी। हमें मालूम है कि किसानों को लाभकारी मूल्यों की आवश्यकता है, भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है। इसीलिए हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आवंला) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अगर इस अंतिम अधिनियम पर आपको सचमुच कुछ कहना है तो उसके लिए आपको समय दिया जायेगा। लेकिन इस प्रकार से व्यवधान मत पहुंचाइये। बसुदेव आचार्य जी, अगर सचमुच आप कोई बात कहना चाहते हैं तो वित्त मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए, अवसर मिलने दीजिए और फिर अपनी बात कहिये, लेकिन आपको इस प्रकार से व्यवधान नहीं पहुंचाना चाहिए और सभी सदस्यों के भाषण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं बोल सकता हूं। उन्होंने शुरू में जो कहा कि विश्व में असमान व्याप्त है, मैं उसकी प्रंशसा करता हूं। हमारा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है। इसके बहुपक्षीय होने के कारण हमें बहुत सी चीजें अपनी इच्छाओंके विरुद्ध भी माननी होगी। मैं समझ सकता हूं। वह सहमत हो अथवा नहीं, हम समझ सकते हैं। अत. हम क्या उम्मीद कर रहे हैं और देश क्या उम्मीद कर रहा है, मुझे विश्वास है कि देश यह जानने को उम्मीद लगाये है कि ठोस रूप से इसके क्या फायदे हैं। इन आम भाषणों के स्थान पर जिन्हें हम अनेक बार सुन चुके हैं, कुछ और बताइये। हम केवल उनसे अनुरोध कर रहे हैं। मैं धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक ही उन्होंने उत्तेजना

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

फैलाने वाली बातें कहनी शुरू कर दी। मेरे दल का अस्तित्व उनकी इच्छाओं पर ही नहीं है। अगर वह मुझे उत्तेजित करेंगे तो उन्हें ऐसा ही जवाब मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको उत्तेजित नहीं करेंगे। हमने यह कहा है कि द्विपक्षीय समझौते से बहुपक्षीय समझौता ज्यादा अच्छा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें यह पता चलना चाहिए कि इस गैट समझौते से क्या लाभ होगा।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि उन देशों का विकास, आत्म–निर्भरता और सामाजिक न्याय का लक्ष्य भारत के निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि किये बगैर पूरा नहीं किया जा सकता और भारत का निर्यात एक ऐसे विश्व में नहीं बढ़ सकता जहां संरक्षणवाद पनप रहा हो और द्विपक्षवादिता हो।

मैंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि यह समझौता हालांकि ठीक नहीं है, फिर भी आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह भारत के निर्यात के आर्थिक आधार को तैयार करता है, उसे बढ़ाता है और निर्यात को बढ़ाता है। मैंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी। अतः, मैं अपने आपको उनके आरोप को दोषी नहीं मान रहा हूं कि मैंने उनकी बात नहीं उठाई है।

प्रश्न उठाये गए हैं जिसमें यह पूछा गया है क्या भारत में आयातित विदेशी वस्तुओं की बाढ़ आ जायेगी? श्री जसवंत सिंह को, जो कुछ मैं कह रहा हूं तथा जो कुछ मेरे सहयोगी माननीय वाणिज्य मंत्री कह रहें हैं, उसमें कुछ अन्तर लग रहा है।

यहां कोई विरोध नहीं है। माननीय वाणिज्य मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जिन देशों के साथ भुगतान संतुलन की समस्या है, उन पर यह न्यूनतम बाजार उपलब्ध करवाने का दायित्व लागू नहीं होता। विगत में भी, भुगतान संतुलन की समस्याओं पर बहुपक्षीय तरीके से विचार किया गया है। अब भी, गैट ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से परामर्श किया है, यह देखने के लिए कि क्या उस देश में भुगतान संतुलन की समस्या है अथवा नहीं। उस प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वह प्रावधान पिछले 45 वर्षों से विद्यमान है, हम उसके साथ चल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जब हमें भुगतान संतुलन की समस्या होगी तो हमारे वार्ताकार शेष विश्व के समक्ष भारत की आवश्यकताओं का सही चित्र पर्याप्त बुद्धिमत्ता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हम इस भुगतान संतुलन के विसंतुलन को स्थायी बनाना नहीं चाहते। हम एक ऐसी प्रणाली की ओर अग्रसर होने के लिए सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, जहां भुगतान की समस्याएं अतीत की बात बनकर रह जाएगी।

श्री जसवंत सिंह ने पूछा है : आयात का क्या होगा? वहां भी, पर्याप्त सुरक्षा है क्योंकि हम मूल प्राथमिक वस्तुओं के लिए 100 प्रतिशत, संसाधित कृषि वस्तुओं के लिए 150 प्रतिशत और वनस्पति तेल के लिए 300 प्रतिशत के कृषि आयात कर से गैट के साथ बंधे हुए हैं। यदि आप ऐसा भारत चाहते हैं जहां प्रबंध व्यवस्था इतनी बेकार हो कि हम 100 से 300 प्रतिशत तक आयात–कर लगा कर भी अपने को न बचा पायें तो आप गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की अपनी इच्छा को त्याग दें। मुझे देश के किसानों पर पूर्ण विश्वास है मुझे देश के

वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों पर भी पूरा विश्वास है जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया है। हमारे लोग शेष विश्व को यह दिखा सकते हैं कि हमारा उत्पादकता–स्तर तेजी से बढ़ सकता है जिससे भारत एक प्रतिस्पर्द्धात्मक कृषि उत्पादक देश बन सकता है और अनेक वस्तुओं के क्षेत्र में ऐसा है भी। इसलिए, इस बात का डर नहीं है कि भारत कृषि वस्तुओं के आयात से भर जायेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें कि क्या हम अपने मित्र देशों से कुछ वस्तुएं आयात करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे तीसरी दुनिया के देश आपस में एक साथ बंध जायेंगे। मैं चाहता हूं कि भारत और अन्य विकासशील देश एक ऐसी व्यवस्था के लिए कार्य करें, जहां परस्पर निर्भरता में वृद्धि हो। लोग तृतीय विश्व में पूर्ण एकता की बात को बहुत अव्यावहारिक रूप से करते हैं। लेकिन यदि तृतीय विश्व के देशों के पास आयात क्षमता नहीं है, यदि वे एक–दूसरे के विरुद्ध आयात में प्रतिबंध लगाते हैं, तो यह पूर्ण एकता वास्तविकता में कैसे बदल सकती है? इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें व्यापार का प्रवाह बढ़े। चूंकि अनेक विकासशील देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक हैं, अतः यदि कुछ प्राथमिक वस्तुओं का आयात भी हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई तबाही हो जायेगी। इससे भारत को तृतीय विश्व के देशो के बीच सामूहिक आत्म–निर्भरता को बढ़ाने में योगदान मिलेगा। मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

महोदय, सही स्थिति क्या है ? महत्वपूर्ण, निष्पक्ष विशेषज्ञ, जिन्होंने भारत के लिए गैट के प्रभावों की घोषणा की है, वे पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके है कि कुछ पार्टियों द्वारा मिथ्या जानकारी के प्रचार का वास्तव में कोई आधार नही है। डा० स्वामीनाथन् हमारे एक महान वैज्ञानिक है। उन्होनें निष्कर्ष रूप में कहा है कि भारत में संतुलित परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के लिए एक दिन मैंने डा० कुरियन का वक्तव्य देखा कि यदि इस समझौते को क्रियान्वित किया गया, तो इससे भारत में डेयरी उद्योग के लिए बहुत अवसर खुल जायेंगे क्योंकि डेयरी उद्योग को यूरोप में और शेष विश्व में अत्यधिक राज सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि हमारे देश में इसे राजसहायता नहीं दी जाती।

इसलिए डेयरी उत्पादों में विश्व व्यापार को एक मुक्त व्यवस्था ही भारत जैसे देशों के लिए लाभदायक होगी। हमें उससे घबराना नहीं चाहिए।

अब, मैं ट्रिप्स के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में तथा व्यापार –संबंधी पहलुओं के संबंध में दूसरे व्यापक तर्क की ओर आता हूं। यहां मैं सभा को अपने विश्वास में लेना चाहूंगा कि प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। हम जानते है कि आज सारी दुनिया प्रौद्योगिकी के सहारे टिकी है और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राष्ट्र की शक्ति तथा संपत्ति के प्रमुख निर्धारक है। यह देश वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय ताकत कैसे अर्जित करेगा? चाहे आपको अच्छा लगे अथवा नहीं, आज प्रौद्योगिकी सरकार के पास नहीं है। पिछले समय में जब सोवियत यूनियन था तो हमें कुछ प्रौद्योगिकी प्राप्त हो जाती थी। चाहे वह तकनीक कितनी ही घटिया किस्म की क्यों न हो। आज प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय निगमों के पास है यदि आप अच्छे किस्म की तकनीक को अपनाना चाहते हैं तो आप को कूपमंडूकता छोड़नी होगी और उस जगह जाना होगा जहां उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसलिए, भारत ने बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ व्यापार करना

सीखा है। मैं कहूंगा कि यदि आप चाहते है कि भारत एक द्वितीय श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी की प्रौद्योगिकी वाला देश ही बना रहे तो आप अपने पेटेंट अधिकारों को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आपको प्रथम श्रेणी की प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं होगी चाहे, वह औषध निर्माण के क्षेत्र में हो अथवा किसी अन्य उत्पाद में, जब तक आप उसकी कीमत नहीं चुकायेंगे। मुझे कहने दीजिए कि कीमत देने में कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग यह डर फैला रहे है कि इससे कीमतों में वृद्धि होगी तो मैं कहना चाहूंगा कि अनेक तत्व कीमतों के निर्धारण को प्रभावित करते हैं और रायल्टी हमारे द्वारा अदा की गई कीमत का एक छोटा सा भाग है। यदि राष्ट्र को अग्रणी बनाना है, भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धात्मक तथा उच्च श्रेणी का बनाना है और यदि हमें इसके लिए रायल्टी के रूप में अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत कम कीमत है। कूपमंडूकता का परित्याग करें। मैं समझता हूं कि मुझे कुएं में मेढक वाली मानसिकता को छोड़ना चाहिए और इसे छोड़ने को तरीका यह है कि हम वहां जाये जहां उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मैं समझता हूं कि यही कारण है कि हमारी सरकार ने कुछ आरंभिक झिझक के बाद यह महसूस किया कि हमारा राष्ट्रीय हित इसी में है कि हम गैट समझौते के सदस्य बने रहें।

हम एक दूसरा बर्मा नहीं बन सकते। विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र बनने की महत्वकांक्षा हमारी भी है ताकि हम विश्व में किसी के साथ भी प्रतिस्पर्द्धा कर सकें, बशर्ते कि हम अपने लोगों को एक अवसर दें, बशर्ते कि हम अपने लोगों के अंदर दबी रचनात्मकता को उजागर कर सकें। यही कारण है कि हम समझते हैं कि गैट समझौता कुल मिलाकर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

अब, औषध निर्माण तथा, बीज संबंधी प्रश्न उठाये गए हैं। मैं कहूंगा कि हमारे पास पेटेंट बीज नहीं है। समझौता क्या है, इससे किसानों के विकल्पों पर प्रतिबंध नहीं लगता। इससे भारतीय कृषक के विकल्पों की बढ़ोतरी होती है। यदि भारतीय कृषक हमारे अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा खोजे गए बीज से सन्तुष्ट हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास अच्छी किस्म के बीज है, मान लीजिए उसके इस्तेमाल से भारतीय कृषकों की उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है, और हमें रायल्टी के रूप में कम कीमत चुकानी पड़ती है, तो क्या आप कम उत्पादकता के लिए भारतीय कृषक को दोषी ठहरायेगें। हमारे कृषकों पर एक विशिष्ट प्रकार के बीज इस्तेमाल करने के लिए जोर नहीं डाला जाएगा, चाहे वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित हो अथवा नहीं। हमारे कृषकों के पास उच्च कोटि .... **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन कीमतों को बढ़ाने की कोई गुंजाइश है। कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री मनमोहन सिंह : हमें अथवा हमारे कृषकों को बीज खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हमारे कृषक काफी बुद्धिमान है, वे स्वयं यह निर्णय लेंगे कि कौन से बीज अधिक लाभदायक है। इस बीच हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों पर गर्व है। हम भारत का हमेशा प्रौद्योगिकी के आयातक के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वह यह है कि अब से दस वर्ष बाद यदि आप भारत के वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों की सृजनात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, तो भारत इस प्रौद्योगिकी का मुख्य निर्यातक बन सकता है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के मामले में क्या हो रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : उनकी यह मानसिकता है कि भारत तृतीय श्रेणी का तथा उपेक्षित राष्ट्र बना रहे और मेरा यह विचार है कि भारत के पास उच्च्य श्रेणी का राष्ट्र बनने के सभी गुण हैं। आपके और मेरे बीच यही अंतर है।

महोदय, राज्यों के अधिकारों के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। मुझे खेद है कि श्री जसवंत सिंह ....(व्यवधान).

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मेडिसिन्स के विषय में आप कुछ बताएं। मेडिसिन्स के भाव चार हजार गुण बढ़ जायेंगे। आप उसको भी तो स्पष्ट करें कि उसमें हम कहां खड़े हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री, मेरा अनुरोध है कि आप इन व्यवधानों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : लोगों द्वारा कही जा रही अन्य बातों को न सुनें।

श्री मनमोहन सिंह : राज्यों के अधिकारों के संबंध में, मुझे खेद है कि मेरे आदरणीय मित्र, श्री जसवंत सिंह, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, उन्होंने ही राज्यों के अधिकार के इसे पूर्वतः असंगत विषय को उठाया है। एक राष्ट्रीय बाजार होने पर हमें गर्व है। अब राज्यों के अधिकार के नाम पर यदि आप इस राष्ट्रीय बाजार को खंडित करने जा रहे हैं, तो आप भारतीय समाज तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की अपूरणीय क्षति करेंगे। हमें भारत को एक संगठित राष्ट्र बनाना है। लेकिन आज आप ....(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चितौडगढ़) : महोदय, राज्यों के अधिकारों के संबंध में मैंने जो कुछ कहा है, उसका खंडन करने का उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री इसमें हस्तक्षेप करते हुए ऐसे शब्द जो मैंने नहीं कहे हैं अथवा जो मेरा आशय नहीं था, मुझ पर नहीं थापेंगे। मैं निश्चय ही राज्यों के अधिकारों की बात पर दृढ़ हूं और हस्तेक्षप करते हुए मैंने एक मिनट के लिए भी यह सुझाव नहीं दिया कि मैं राज्यों के विघटन की बात करना चाहता हूं, बिलकुल नहीं। वास्तव में, मैं संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहता हूं ताकि राष्ट्रीय बाजार मजबूत हो।

श्री मनमोहन सिंह : ऐसा किया जाएगा।

श्री जसवंत सिंह : जो कुछ भी मैंने कहा, वह यह था कि राज्यों के साथ विचार–विमर्श की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। यही बात है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं ससम्मान श्री जसवंत सिंह से यह कहूंगा कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन यह मेरी सही धारणा है कि यदि आप संधि–बाध्यताओं के कारण संघ से उनके अधिकार ले लेते हैं और राज्यों के अधिकारों के नाम पर आप संधि की शर्तों को मानने के लिए

संघ के अधिकार को चुनौती देते हैं, तो आप देश की विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश की एकता को खंडित कर सकती है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसा कैसे हो सकता है। यहां तक कि आपने इस बारे में राज्यों से सलाह–मशविरा तक नहीं किया है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप राज्य के संघीय ढांचे में विश्वास नहीं रखते। आप इसकी हमेशा आलोचना करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अति–संवेदनशील मुद्दा है। कृपया इसका निपुणतापूर्वक निपटान कीजिए। यदि आप इस अवधारणा को प्रेरित करते हैं कि हम अलग–अलग हो सकते हैं, तो आपको दो बार और इससे भी अधिक दफा सोचना चाहिए। कृषि क्षेत्र समवर्ती अनुसूची में आता है; विदेशी व्यापार क्षेत्र संघीय सूची में आता है। आपको यह पता होना चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मुझे खेद है कि श्री फर्नान्डीज जी यहां उपस्थित नहीं है। उन्होनें कल कुछ ऐसे दस्तावेजों को उल्लेख किया था कि अमरीकी राष्ट्रपति कहते क्या है और करते क्या है। यह बात सही है कि अमरीकी राष्ट्रपति अमरीकी जनमत के प्रति उत्तरदायी है तथा इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे संयुक्त राष्ट्र अमरीका को किये जाने वाले निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सबसे अधिक अतिरिक्त व्यापार होता है। अतः इस बात की वकालत करना बिलकुल गलत है कि हम अपने बाजार को अमरीका के सुपुर्द करे रहे है अथवा हम अपने बाजार को संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिए खोल रहे हैं।

श्री फर्नान्डीज वित्तीय सेवाओं के बारे में किसी करार का उल्लेख कर रहे थे। हमेशा की तरह, वह है .... *

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संसदीय है। यह बात संसदीय हो भी सकती है और नहीं भी।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी–प्रवेश की अत्यंत सीमित पेशकश की है। इन पर आगे और विचार–विमर्श किया जा सकता है। अतः श्री फर्नान्डीज द्वारा उल्लिखित किसी भी विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं तथा बीमे के बारे में हमारी कोई वचनबद्धता नहीं है। अभी तक केवल यही समझौता हुआ है कि उरूग्वे दौर की वार्ता को स्वीकार करने के छह महीने बाद तक इस क्षेत्र में बातचीत जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित देश अब तक प्रस्तुत की गई अपनी पेशकशों को वापिस लेने के लिए स्वतंत्र है। सभी ....* कि श्री फर्नान्डीज यह कोशिश कर रहे थे .... * कि हमने अपनी वित्तीय सेवाओं को बड़े पैमाने पर विश्व के देशों के प्रवेश के लिए खोल दिया है, वस्तुस्थिति से यह बिल्कुल असंगत बात है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही –वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उन्हें अपने शब्दों को वापिस लेने के लिये कहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक अपमानजनक टिप्पणी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय ठीक है, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे ख्याल से मैंने इस बहस के दौरान उठाये गये लगभग सभी विषयों को स्पष्ट कर दिया है। श्री फर्नान्डीज यहां उपस्थित नहीं है। वह मुझे बार–बार साउथ आयोग के प्रतिवेदन के बारे में स्मरण कराते हैं। यदि श्री फर्नान्डीज एवं मेरे अन्य साथी उस प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़े तो उन्हें विदित होगा कि 1990 का दशक की पूर्व संध्या पर तीसरे विश्व के देशों को कैसे –कैसे विकल्पों, खतरों एवं अवसरों का सामना करना पड़ा था और इस प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। मैं इस प्रतिवेदन में लिखित अथवा वर्णित किसी भी बात को अस्वीकार नहीं कर करता। इस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अनेक बार यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध कोई सहायतार्थ– नाटक नहीं है; हम विश्वभर से इस बात की दुहाई देकर न्याय प्राप्त नहीं कर सकते कि हमारा देश निर्धन देश है। हम चाहे इसे पसंद करें अथवा नहीं त्रासदी यह है कि विश्व के धनी देशों का गरीब देशों के प्रति वैसा ही रवैया है जैसा कि गरीबों के प्रति विक्टोरियन इंग्लैंड का हुआ करता था। "निर्धन हमारे साथ रहे हैं तथा हमारे साथ रहेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?" छाती पीटने अर्थात् दुहाई देने की बजाय, इस देश के सामने यह चुनौती है कि वह विकास की उन संभावनाओं का पता लगाएं, जिनकी कि यहा काफी गुंजाइश है। यही हम ऐसा कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जो हमारे देश की उपेक्षा कर पायेगा। हमें तीसरे विश्व के देशों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नेतृत्व की मांग करने की जरूरत नहीं है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था जीवंत अर्थव्यवस्था बन जाती है तथा यदि हम 7 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि करते हैं, तो दस वर्षो में हमारी राष्ट्रीय आय दुगनी हो जायेगी– उस समय हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था बन जायेगी, जिसका कि हर कोई अनुकरण करना चाहेगा, जिसके विचारों को विश्व का हरेक देश जानना एवं उन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहेगा। इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण बहस एवं अपने देश की जनता में यह भ्रांति पैदा करने की कोई उन्हें लूटने के लिए निकल पड़ा है– में अपनी राष्ट्रीय – शक्ति को व्यर्थ गंवाने की बजाय, आओ हम वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करें। इस प्रकार राष्ट्रीय–शक्ति को व्यर्थ गंवाना वास्तविकता एवं तथ्यों के बिल्कुल विरुद्ध है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, अभी जब मैं वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे विद्यार्थी जीवन की एक कविता याद आ गयी, जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन में वाजपेयी जी ने भी बहुत बार सुना होगा –

जिसको न निज को गौरव तथा निज देश का अभिमान है,

वह नर नहीं, पशु निरा है और मृतक समान है।

इसलिए मैं कहता हूं कि यदि भारत को भविष्य बनेगा तो आत्म–गौरव के आधार पर बनेगा। भारत का भविष्य बनेगा तो यहां की जनशक्ति, यहां के लोगों के मनोबल आधार पर बनेगा। यहां जितनी प्राकृतिक संपदा है, उस पर जब करोड़ो लोगों के हाथ लगेंगे, उनके मन में इच्छा शक्ति होगी, तब भारत का भविष्य बनेगा।

जिस तरह आज ससंद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वकालत की गयी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि भारत का वित्त मंत्री बोल रहा है या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का कोई*....... बोल रहा है। मुझे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ....**(व्यवधान)**...........

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, यह अच्छी बात नहीं है। यह मंत्री महोदय के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : मैं क्षमापूर्वक अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं कहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवक्ता बोल रहा है। ....**(व्यवधान)**.........

अध्यक्ष जी, मैंने यदि कोई गलत शब्द बोला है तो मैं उसे वापस ले लेता हूं और क्षमा चाहता हूं । यदि मेरे ऐसा करने से परिस्थितियों में फर्क पड़ सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं . ...**(व्यवधान)**.........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वापिस ले लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अपने पूरे भाषण में यदि भूल से या किसी अन्य कारण से, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाये जो किसी के लिए अपमानजनक हो तो उसके लिए मैं अभी से माफी मांग लेता हूं और उसे वापस भी ले लूंगा लेकिन जो तथ्य है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में अनेक बातें कही और बड़े गौरव के साथ शुरू से उन्होनें कुछ उदाहरण दिये। उन उदाहरणों में एक बार उन्होंने वियतनाम का नाम भी लिया। शायद हमारे वित्त मंत्री जी को वियतनाम का इतिहास मालूम होगा कि वियतनाम के लोगों के विरुद्ध दुनिया की बड़ी ताकत जिससे आज हमें भय लगता है किस तरह लगी रही, 12 वर्षो तक उन का हमला चलता रहा, यह इतिहास की वास्तविकता है, लेकिन वियतनाम उससे टूटा नहीं बल्कि दो हिस्सों में बंटा वियतनाम एक देश बन गया क्योंकि वहां के लोगों की इच्छा शक्ति नहीं टूटी थी, वहां के लोगों को मनोबल नहीं टूटा था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तमाम ताकत, अमेरिका का सारा सैन्य बल वियतनाम के लोगों को दबा नहीं सका था।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मुझे आज पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय कही गयी बातों का स्मरण हो आता है जब आज कृषि के बारे मे बोलते हुए कहा जा रहा है कि हम किसानों को बहुत सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन विपक्ष के सदस्य लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, किसानों का मनोबल तोड़ रहे हैं। उसी उदाहरण में आपने यह भी बताया कि हमारा हिन्दुस्तान तेजी से बदल रहा है, फूलों के बगीचे बंगलौर के निकट बन रहे हैं, यहां के फूलों को निर्यात किया जायेगा, जिससे देश की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, देश में बाहर से धन आयेगा लेकिन वित्त मंत्री जी, आप काफी पढ़े लिखे इंसान है, आप जानते हैं कि यह वह देश है जहां 76 फीसदी लोग एक हैक्टेयर से कम जोत वाले हैं, जहां 76 प्रतिशत लोग ऐसे है जो बड़ी मुश्किल से अपने खाने भर ही कमा पाते हैं, क्या आप ऐसे देश की कृषि व्यवस्था को निर्यात की ओर ले जाना चाहते है। आपने यह भी कहा कि तीसरे विश्व के लोगों को हम मदद देना चाहते हैं। आप तथ्यों से परे, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। क्या यह सही नहीं है कि अफ्रीकी देशों को इन लोगों ने वैसा ही सबक सिखाया था जो आज हमारे वित्त मंत्री जी हमें सिखा रहे है। उस समय कहा गया था कि तुम ट्रडीशनल खेती में क्यों पड़े हो, परम्परागत कृषि में क्यों पड़े हो, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओं, कुछ ऐसे पैदा करो जिसका निर्यात हो सके। कोको की पैदावार करो, काफी की पैदावार करो और उसका निर्यात करो। दस–बारह साल तक उन्हें बहुत धन मिला और इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनकी परम्परागत खेती को तोड़ दिया। वहां बड़े–बड़े फार्म बन गये, बड़े–बड़े कारखाने लग गये लेकिन सारा बाजार उनके हाथ में था, इसलिए बाद में उन्होंने बाजार को ही तोड़ दिया। बाजार को तोड़ने के परिणामस्वरूप आज वहां भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही है और आज वे ही उपदेश हमें दे रहे हैं। क्योंकि वही उपदेश आपने उनसे लिया है।

यह कोई नई बात भारत में नहीं कही जाती है मैंने पिछली बार कहा था कि इस संसद में क्यों हमारे वित्त मंत्री की आलोचना होती है, क्यों उनके ऊपर कटाक्ष होता है। हमारे मित्र प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन वित्त मंत्री जी आप कोई लाजवाब बात नहीं कर रहे हैं। यह भाषा दुनिया में आज आप जैसे 60, 70 या 80 वित्त मंत्री बोल रहे हैं और ये सब वे वित्त मंत्री हैं जिन्हें इन ....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानपूर्वक कार्यवाही–वृत्तांत का सावधानीपूर्वक अध्ययन करूंगा। जो कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित करने योग्य नहीं होगा, उसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, क्या ये सावरेंटी की बातें कही जा रही है? ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यह बात अच्छी नहीं है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री चन्द्र शेखर : बुरी बात क्या है? यदि यह बुरी बात है तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा। मैं इसकी जांच–पड़ताल करूंगा। कृपया बैठ जाईये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : पवन कुमार बंसल जी, आपको चन्द्र शेखर जी की बातों को समझने की जरूरत नहीं है। आपको इनकी बातें समझ में नहीं आएगी। आपकी अभी इतनी हाइट नहीं है कि आप उनकी बातों के अर्थ समझ सके। आपकी लम्बाई अभी इतनी नहीं है कि आप चन्द्र शेखर जी को टोकें। आप चन्द्र शेखर जी के सामने नहीं बोल सकते हैं। आप उनके पैरों की धूल है। ....**(व्यवधान)**.........

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं जिसका उदाहरण अभी हमारे वित्त मंत्री ने दिया है। इन्होंने इसी सदन में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें कोई लज्जा नहीं है, उन्हीं के भरोसे हमारा निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने सदन में कहा कि उन्हीं के भरोसे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी उन्होंने ही अभी कहा कि उन्हीं के भरोसे हमारे किसानों की ताकत बढ़ेगी, तो किसी ने ऐतराज नहीं किया और जब मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री ने कहा है, तो ऐतराज तलब बात हो जाती है। यदि वित्त मंत्री के ही भाषण को मैं दोहराऊं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को कष्ट क्यों होता है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : यह फिर मिथ्या वर्णन किया गया है। जब श्री जसवंत सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया था, तब भी वित्त मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख किया था। अब क्या किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, सब महान पार्लियामेंटेरियन है। कोई खडा होगा, तो मै बैठ जाऊंगा, इसलिए कि मैं किसी के सामने भी सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बातों के ऊपर किसी के भी सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हूं।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी–कभी संसद की मर्यादा और देश की मर्यादा रखने के लिए हमें थोड़ा सा अपने को संयत रखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी अनेक बातें कही गई। कहा गया कि शुरू से हम यही करते आ रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ। कहा गया कि जवाहर लाल नेहरू से लेकर एक ही परंपरा चली आ रही है। यह कहा गया कि आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक उस जमाने में भी था और उसके सामने हमने एक गरीब देश की हैसियत से भी, असमानता और विषमता को मानते हुए सब कुछ स्वीकार किया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि सारा कुछ होने के बाद भी पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारत जैसा बड़ा देश अपनी मौलिक आवश्यकता के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। क्या पं. जवाहर लाल नेहरू ने विरोध के बावजूद यह नहीं कहा था कि हमें स्टील कंपनी बनानी होगी, हमें पावर जनरेशन के लिए काम करना होगा? हम जानते हैं कि गरीब देश में हमारे पास साधन कम हैं, लेकिन फिर भी देश की कुर्बानी

करनी होगी, इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने देश की आजादी को महफूज रखने के लिए। उन्होंने उस समय कहा था कि हम ये मंदिर बना रहे हैं। ये भारत के भविष्य के मंदिर हैं जिन पर दुनिया जाएगी, देश के लोग जाएंगे श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए। हमारे विकास की कहानी कहने वाले मंदिर हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या ये मंदि ! आज टूट नहीं रहे है, क्या उनकी ईटें बिखर नहीं रही है, मैं नहीं जानता गैट के करारो में क्या है, लेकिन आज की सरकार की नीयत में क्या है वह मैं जानता हूं जिसके कारण ये सारे संस्थान एक–एक कर के बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। खंडहर बन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम थे, हम हैं, आज भी हम, सहयोग चाहते हैं। हम आज भी सहायता चाहते हैं, लेकिन सहयोग, सहायता और समर्थन में अंतर होता है। हम समर्पण नहीं कर सकते हैं। हम सहयोग लेंगे, हम सहायता चाहेंगे, लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। जब हम यह कहते हैं कि यह दस्तावेज समर्पण का दस्तावेज है, तो कोई चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं। कोई गलतफहमी पैदा करने के लिए नहीं कहते हैं। कैसा है यह दस्तावेज?

अध्यक्ष महोदय, कल इस संसद में आप नहीं थे, बहस हुई, बहस में हमारे मित्रों ने कहा, पूरे दस्तावेज हमारे सामने नहीं है। हमने पूछा कि 1947 के दस्तावेज हैं। हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा, हमारे पास है या नहीं, पता लगायेंगे। भारत की संसद में बहस हो रही है, सरकार बहस चला रही है, भारत का भविष्य बनाने के ये कर्णधार हैं, इनके हाथ में मौलिक दस्तावेज नहीं है, वह बेसिक डौकूमेंट नहीं है जिसके ऊपर सारे गैट का करार आधारित है।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, कल यह सवाल उठाया गया था।.क्योंकि चलतऊ टिप्पणी की गयी थी, अतः मैंने उन्हें बताया था हम पता लगायेंगे कि यह दस्तावेज कहां है अतः मैंने निर्देश दिये थे कि इस दस्तावेज को ग्रंथालय में रखा जाये क्योंकि यह तकरीबन 47 वर्ष पुराना दस्तावेज है। मैंने उनको यह कहा था कि इसे दोबारा छपवाया जाये ताकि पर्याप्त संख्या में प्रतियां उपलब्ध करवाई जा सके।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह जानकारी गलत है। यह दस्तावेज इतना पुराना नहीं है। 1947 का यह दस्तावेज अनेक दौरों से गुजर चुका है तथा इसे संशोधित करके एवं अद्यतन बनाकर 1986 में पुनः छपवाया गया था उरुग्वे दौर की वार्ता कब शुरू हुई थी। यह वही दस्तावेज है जिसे कि ग्रंथालय में रखा जाना है। यह इतना पुराना दस्तावेज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आपको अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसे इस समझौते का एक अंग माना जाता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कह रहा था कि कितनी गंभीरता से हम इन बातों को ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से हम इस बारे में सोच रहे हैं। यही नहीं, यह तो पहली बात है कि वह डौकूमेंट नहीं है। उसका क्या असर होगा, हम नहीं जानते।

कल आपने एक बात ऐसी कह दी कि मेरे जैसा आदमी दुविधा में पड़ गया। आपने कहा कि करार आपके सामने है, इसकी धाराओं के मुताबिक इस पर बहस चलाइए, सामान्य भाषण मत कीजिए। मैंने उस करार को कई बार पढ़ने की कोशिश की। हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत पढ़ा–लिखा आदमी भी नहीं हूं। 3-4 बार मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। मुझे कहने में जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि वह करार हमको कहां ले जा रहा है, कितनी बातों के बारे में उसमें जिक्र है, कितने संदर्भों का उसमें हवाला दिया गया है, 1947 के डौकूमेंट की उसमें चर्चा की गई है, केस लीज है, उनके बारे में बात की गई है। श्री सोमनाथ चटर्जी, आप सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान पर बहस कर सकते होंगे। मैं भारत के संविधान को एक बार पढ़कर समझ गया था लेकिन गैट के इस करार को तीन बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाया। हमारे विद्वान मित्रों ने बहुत आसानी से उसे समझ लिया। ....(व्यवधान)..........

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : इसकी विषय–वस्तु को पढ़े बिना, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमने अपनी प्रभुसत्ता को समर्पित कर दिया है।

श्री चन्द्र शेखर : घबराइए मत, वह भी बताता हूं।

दुनिया के अनेक देशों में उस करार पर आज भी बहस चल रही है। जापान उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। जापान का प्रधानमंत्री जापान के लोगों से कहता है, मुझे लज्जा है, मैं माफी चाहता हूं कि चावल के आयात को रोकने में हमें सफलता नहीं मिली। जापान का प्रधानमंत्री देश के सामने लज्जा का बखान करता है और भारत का वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री अपनी पीठ ठोकता है कि हम बहुत ताकतवर देश है। ....(व्यवधान)......... किसी की शेम नहीं, मैं ये तथ्य बता रहा हूं।

आज अमरीका और फ्रांस के लोग उस दस्तावेज पर बहस चला रहे हैं। पता नहीं जब हमारे वाणिज्य मंत्री जाएंगे तो अमरीका और फ्रांस के लोग उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार होंगे या नहीं लेकिन आज जब दुनिया के अनेक देश उस पर ऐतराज उठा रहे हैं, भारत की संसद में उसके एक–एक अक्षर को, एक–एक कौमा, फुलस्टाप को हमारे मित्र इधर से समर्थन दे रहें हैं, हमारे वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री देश में घूम–घूमकर कह रहे हैं कि इससे अच्छा दस्तावेज और कोई नहीं हो सकता। दुनिया में और हममें यह अन्तर है। हमें यह बात अजीब लगती है, मन को ठेस पहुंचती है। मैं जानता हूं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। आज गैट के जेनेवा आफिस में बैठकर हिन्दुस्तान के कानूनों की परख हो रही है। क्या कानून बदले जायेंगे, क्या भारत की राजधानी में संशोधन लाए जायेंगे? वहां पर इनको सलाह देने के लिए दस्तावेज बन रहे हैं लेकिन भारत की संसद को बहस कराने के लिए निमंत्रण देने के बाद हमारे वाणिज्य मंत्री हमको यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारे पेटेन्टस लॉ के ऊपर क्या होगा।

क्या उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा या नहीं? जसवंत सिंह जी और दूसरे हमारे एक मित्र ने कहा कि हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? अगर सोचा है तो सरकार ने कोई टिप्पणी संसद और लोगों के सामने की है? हमारे

बीच समर्थ सरकार है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। उरुग्वे राउंड की चर्चा चली। अमरीका के राष्ट्रपति ने एक नहीं 4-5 कमेटियां बनायी । मल्टी नैशनल के लोगों को उसका अध्यक्ष बनाया। कृषि के क्षेत्र में क्या कदम उठाने हैं, पेटेंट में क्या करना है, दवाओं के क्षेत्र में क्या करना है? कहीं कारगिल के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन हुए, कहीं सिटी ´ क के दूसरे लोगों ने नेतृत्व किया। वहीं बरसों तक बहस चली। अमरीका क्या रूख अपनायेगा, ल'किन हमारे वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री स्वयं समर्थ हैं। वह कही किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं समझते हैं। वह न संसद सदस्यों की सलाह लेते हैं और न विरोधी पक्ष की लेते हैं। वह केवल टांग खींचने में व्यस्त हैं। देश की मर्यादा और भविष्य की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। क्या आपने विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों, साइटिस्ट्स और उद्योगपतियों से चर्चा की? एक जगह भी चर्चा नहीं की। हम को रोज एक सबक सिखाया जाता है और वह आज से नहीं सिखाया जा रहा है। हमें पीड़ा और दर्द इसी से होता है। इसी सदन में अभी वह माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है जिन्होंने कहा कि पांच हजार बरसो के बाद एक वित्त मंत्री पैदा हुआ है जो गरीब को आशा की किरण दिखा रहा है। पांच हजार बरसों का इतिहास मिटाने का ताकत आप में नहीं है। 300 बरस पहले अंग्रेजों के आने से पहले हमारा धनी देश था। कभी सोचा कि कैसे हो गये? बनारस की जरी के कपड़े, ढाका का मलमल, राजस्थान की छपाई, मुरादाबाद के बर्तन, हैदराबाद के बढ़ई, लोहार, बुनकर और आर्टिजन्स ने सामान पैदा किया। वह दुनिया के बाजारों में जाता था। मल्टी नैशनल हमारे यहां नहीं आते थे। बल्कि मल्टी नेशनल हमारे यहां आये थे क्यों कि हम धनी थे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। वह हम को धनी बनाने के लिए नहीं आये बल्कि हमारा धन ले जाने के लिए आये थे। दुनिया में कोई पैसा लेकर दूसरे को धनी बनाने के लिए नहीं आता है। यह समझदारी हमारी सरकार की होगी। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह बड़ी निर्दयी दुनिया है। कहती है कि प्रोटैक्शन चाहिए, प्रोटैक्शनिस्ट नहीं लाना चाहिए। हम को भी दुनिया के बाजर में खुले-आम भ्रमण-विचरण करने का अवसर मिल जाता है। सोमनाथ जी, आप बुरा न माने, शायद आप भूले नहीं होंगे कि मार्क्स ने जब कैपिटल लिखा था तो उसने जर्मनी एडिशन में बिशप्स में एक पैराग्राफ लिखा था जिस का जिक्र अभी हमारे वित्त मंत्री जी दूसरे संदर्भ में कर रहे थे। उन्होनें कहा कि पोलिटिकल इकोनोमिक्स जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, यह बडा भयंकर खेल है। मनुष्य के दिल से जो अनेक भावनाएं उठती है, उनके साथ संपर्क करता है। उन्होनें कहा कि पोलिटिक्ल इकोनोमी से डील करते समय मनुष्य के अन्दर की कुंठा उभरती है। इसको लेकर उन्होनें एक उदाहरण दिया। बिना किसी मर्यादा पर ठेस लगाये हुए मैं उसकी परिभाषा बता रहा हूं। उन्होने कहा कि ब्रिटिश चर्च के बिशप से बहस करो, सारे 35 या 38 सिद्धांतों का विवेचन करो। हर समय वह कहता रहेगा कि हम एक ही भगवान की संतान है, हम में प्रेम और सदभाव होना चाहिए, लेकिन उसी बिशप से कहो कि चर्च की एक गज जमीन हमारी है, वह सब भूल जायेगा और आपके ऊपर हथियार चढा देगा। यह मानव स्वभाव है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्वार्थो पर जरा भी हमला होने का उसे संदेह होगा तो वह आपको तिरस्कृत कर देगा। अमरीका और फ्रांस के लोगों नें आज कहा है कि इस गरीब देश में सस्ता मजदूर है, इसलिए इस पर भी कोई प्रतिबंध लगना चाहिए। खेती पर नहीं, बीज पर नहीं, फार्मेस्यूटिकल पर नहीं बल्कि इंसान पर पाबंदी लगाने का अधिकार गैट देगा।

एक नई विश्व सरकार बन रही है। हमारी कठिनाई यह है, जब मैं यहां बोलता हूं तो एक साधारण भारतीय नागरिक की हैसियत से बोलता हूं लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे वाणिज्य मंत्री जी विश्व नागरिक हो गये हैं, वर्ल्ड पोलिटिक्स कर रहे हैं, भारत के नागरिक ये लोग नहीं रह गये, इनके लिए सारी दुनिया एक है। हमारे जहां पर ऋषि गये थे, यह वहां पर पहुंच गये हैं। "अयं निजः परोवेति, गणना लघुचेतषाम, उदार चरितानाम्, वसुधैव कुटुम्बकम्" यह हमारा है, यह तुम्हारा है, छोटे लोग सोचते हैं। उदार मनुष्य के लिए सारी दुनिया एक परिवार है।

हम लोग छोटे हैं, भारत के बारे में सोचते हैं। यहां के गरीब के बारे में सोचते हैं, यहां के किसान के बारे में सोचते हैं, उनकी झोपड़ियों के बारे में सोचते हैं। ये मल्टी नेशनल्स के बारे में सोचते हैं, देयर इन वाशिंगटन, लंदन के लिए सोचते हैं। इनके लिए वह लन्दन है। रहम करो, कालाहांडी के लोगों पर, याद करो बाड़मेर, जैसलमेर के प्यासे लोगों को, उनकी प्यास की कहानी, उनकी भूख की तड़पती आंते हिन्दुस्तान की राजनीति का फैसला करेगी और यह मैं नहीं कह रहा हूं, चले हो कृषि का सुधार करने के लिए, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, अगर देश की करोड़ों झोपड़ियों में उठती हुई हवा को हमने नहीं पहचाना तो यह तूफान बनकर हमारे सारे महलों को गिरा देगी। उन्होनें कहा था, इसलिए भूमि सुधारों का होना जरूरी है। आप चाहे जितने वक्तव्य दो और मल्टी नेशनल्स को निमंत्रण दो और भूमि सुधार करो, यह दोनों बातें नहीं चल सकती। "हंसत सताई फुलवाई गालू, एक संग नहीं होई गुवालू"। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आपने रास्ता तय कर लिया है। हमे उस रास्ते से एतराज है, हमें उस रास्ते से परेशानी होती है।

यह भी याद रखिये कि इतिहास क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, एक तीसरी संस्था यह भी बनी थी, गैट भी बना था। तीनों का परपज एक ही था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा करना। इनका एक ही परपज था कि जो बड़े धनी देश है, उनके हितों को वह दुनिया में फैलाये। आज यह गैट सबसे ऊपर हो रहा है।

हम उसकी तफसील में नहीं जायेगे लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ है, कितनी कौंसिल है, कितने कमीशन हैं, कितनी कमेटियां हैं, मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट का दखल होगा या नहीं होगा लेकिन इनका दखल होगा, इतनी बात तो तय है। हमको आप बताते हो, भारत के किसानों को पीछे रखना चाहते हो तो रखो लेकिन भारत का किसान अगर कहीं गलती से बीज बो दे तो क्या कारगिल कंपनी को भारत में मुकदमा चलाने का अधिकार होगा या नहीं होगा? भारत के गांव–गांव में कारगिल के एजेंट जाकर मुकदमा चलाने लगेंगे तो हमारी प्रभुसत्ता के ऊपर कोई हस्तक्षेप होगा या नहीं, यह बात बताओं? इसलिए मैं नहीं जानता, ये लोग चलायेंगे या नहीं चलायेंगे, यह बात कोई नई बात नहीं है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे देशी व्यापार का मिटाने के लिए करोड़ो अरबों रूपये का घाटा दो वर्ष, तीन वर्ष चार वर्ष सह सकती है, यह इनका दुनिया का इतिहास रहा है। एक कंपनी पेप्सीकोला ने पिछले तीन वर्षों में कितना घाटा सहा है, क्या भारत की कंपनियां उसको बर्दास्त कर सकेगी? हमारे वित्त मंत्री जी ....

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : पंजाब में इसके आने से टमाटर का खेत 20,000 रूपये का हो गया है।

श्री चन्द्र शेखर : उमराव सिंह जी ठीक बोल रहे हैं, वह तो आपकी भी भाषा बोलते हैं।

हमारे वित्त मंत्री जी का एक बयान मैंने पढ़ा कि भारत के उद्योगपति कुछ नया सीखे। 40-45 वर्षो तक इनको बहुत संरक्षण मिला है। अब विदेशी कंपनियों को यहां आने का हम अवसर देंगे, भारतीय कंपनियों के ऊपर उनको प्रायरटी दी जायेगी, मैं सुनकर हैरान रह गया। 47 वर्ष पहले विदेशी कंपनियों ही हमारे देश में जो कुछ भेजती थी या थी। हमने 40-45 वर्ष में जो कुछ बनाया, क्या सब तोड़ दिया जायेगा, क्या सब मिट जायेगा? हमें उनसे कोई बड़ी सहानुभूति नहीं, क्योंकि यह जो हमारे देशी उद्योगपति हैं, जब वित्त मंत्री जी का पहला भाषण हुआ था, आडवाणी जी, आपने भी बहुत सराहा था, हमारे उद्योगपतियों ने हमे बहुत कोसा था। आज आप हाई टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं, आज दुनिया की कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी हाई टेक्नोलोजी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे उद्योगपतियों के 1-1 संस्थान को खरीदने के लिए वह पैसा लगाने को तैयार है। सब विदेशी हाथों में चला जायेगा, कहते है कि क्या फर्क पड़ेगा, सस्ती चीजें, अच्छी चीजें, बहुरंगी चीजें हमारे देश के लोगों को मिलेगी। हमें इससे तकलीफ होती है, हमें लगता है, अगर भारतीय है तो मेरे मन में एक दिलासा होती है।

हर चीज विदेशी हो, तो मुझे यह देश सूना-सूना लगेगा, एक मरघट जैसा लगेगा। यह देश हमारे लिए मरा हुआ लगेगा। इसलिए मुझे लगता है, हमारे और उनके सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। यही सोचने का अंतर हमें विवश करता है कि हम इन बातों का कहे। मैं आपको इतमिनान दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, किसी की अवमानना करने की मेरे मन में दूर की भी भावना नही है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का भविष्य अंधेरे में जा रहा है मैं नहीं जानता कि बहस कहा तक चलेगी। अभी वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि केन्द्र के साथ ताकत कम करोगे, तो देश टूट जायेगा, राज्यों की बात मत करो। यहां पर केन्द्र की ताकत राज्य सरकारें कम नहीं कर रही हैं, केन्द्र की ताकत आप कम कर रहे हैं। यहां पर केन्द्र में लोगों को विश्वास भी नहीं रहेगा, चाहे राज्य सरकारें आपके हाथ में हो। जनता आपके साथ नहीं रहेगी, तो राज्य सरकारें आपको बचा नहीं सकती है। इससे देश के टूटने को आप बचा नहीं सकते हैं। इस देश को टूटने का खतरा आपकी वजह से हो रहा है। देश जब टूटते हैं, तब देश के लोगों का दिल टूट जाता है। देश का दिल इसलिए टूट रहा है। चाहे आप जो कहे, वे यह समझते हैं कि जो आजादी उन्होंने हासिल की थी, जो आत्म-गौरव उन्होनें हासिल किया था, उसको आप दांव पर रख रहे हैं। हमारे जैसे लोग भी सोचते हैं, जबकि इन इस चीजों से मुझे लेना-देना नहीं है। मैं भी जानता हूं, मेरी बातों का आप पर कोई असर होने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जब तक मैं यहां पर रहूंगा, मैं अपनी बातों को कहता रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, साइंस एंड टैक्नोलॉजी, आपने भी बड़ा जिक्र किया, दूरगामी सोच होती है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि शोध संस्थानों को प्राइवेट कंपनियां चंदा दे सकेगी, छूट होगी। ऐसा मत सोचिए कि एक तरफा काम होता है। सबका मिला-जुला समन्वित काम होता है। शोध संस्थानों को कौन कंपनियां चन्दा दे सकेंगी। यही मल्टी नेशनल्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देगी। हमारे वैज्ञानिक कहां जायेगे? उनके पास सामान नहीं होगा, चाहे जितना भी देशप्रेम उनके पास हो, लेकिन सामान नहीं होगा। शोध की सुविधाये नहीं होगी। हमारे सारे वैज्ञानिक विदेश जाए बिना

ही यहां बैठकर विदेशी कंपनियों का काम करने के लिए मजबूर हो जायेगे। यह हमारे देश की हालत है। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर सब्सिडी देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। प्रतिबंध गैट नहीं लगता है, गैट का अकेले सोचोगे तो वित्त मंत्रीजी, मनमोहन सिंह जी, आप हमे भ्रम में डाल दोगे, लेकिन आपने खुद कहा, गैट और आई.एम.एफ. ने सलाह दी है। एक तरफ सलाह देखो, आई एम एफ, द्वारा आपको कहा गया कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करो और कहा कि खेती की सब्सिडी कम करो, फूड के ऊपर सब्सिडी कम करो और दूसरी तरफ गैट का उंगल चलेगा। इस प्रकार चारो तरफ से शिंकजा चलेगा। हमको यह मत बताइए। यहां एक दिन एक दस्तावेज दिखाओगे और दूसरे दिन दूसरा दस्तावेज, तो लोग भ्रम में पड़ जायेगे। इस भ्रम में डालने की कोशिश मत करो। वास्तविकताओं और आर्थिक जीवन की वास्तविकतायें बड़ी कटु है और वह कटुवा हमारे सामने मुंहबाएं खड़ी हुई है। मैं आज भी इस बात को कहूंगा, आप चाहे जो भी सोचिए। इस सवाल पर हमारे जसवंत सिंह जी और जार्ज फर्नान्डीज जी ने बहुत बातें कही है। जार्ज फर्नान्डीज वेदना की अभिव्यक्ति कर रहे थे। उनके बारे में आपकी जो भी राय हो, लेकिन जो बातें वे कह रहे थे, वे वास्तविकतायें थी। उन पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में सत्ता है, इसलिए हर आदमी को अदना मत समझ कर उन बातों को न नकार दें। दूसरे लोगों के दिल में भी देश के लिए प्यार है। दूसरे लोगों के दिल में भी भावनायें हैं। यह नहीं कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हो गया, वह देश का दुश्मन हो गया। आप उस गद्दी पर बैठे हुए है, इसलिए देशभक्त हैं और हमारे साथ कोई नहीं है।

[अनुवाद]　　　　　:

श्री मनमोहन सिंह : हमने ऐसा कभी नहीं कहा है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुछ माननीय सदस्य : बोले हैं .... **(व्यवधान)** ....

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भयंकर स्थिति से देश गुजर रहा है। कल कुछ बातें हमारे लिए कही गई हैं, मैं उनको कहना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन बार–बार यह कहा जा रहा है, इसलिए मैं कहना जरूरी समझता हूं। कल कहा गया कि मैं देशभक्त समझता हूं कहां का देशभक्त हूं। एक एशिया के देश पर हमला, विदेशी हवाई जहाजों के उड़ाने की मैंने इजाजत दी थी। मैंने इजाजत दी थी, आज यह नई बात है। उस समय संसद में मैंने कहा था, मैंने इजाजत दी थी। किसकी सलाह से इजाजत दी थी, दो व्यक्ति बैठे हुए है – आडवाणी जी और अटल जी – वे जानते हैं। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े लोगों के झगड़े का फैसला मुलाजमों की बातों से करना कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं उसको छोड़ देना चाहूंगा वही पर। .... **(व्यवधान)** ....

श्री उमराव सिंह : आपने पाकिस्तान से टैरेरिस्टों .... **(व्यवधान)** ....

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही मानते हैं कि मैंने संसद में बयान देकर कहा कि मैं पाकिस्तान से आतंकवादियों को बात करने के लिए बुला रहा हूं, तो मैं उसको सही मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं समझता हूं कि मेरा जवाब

सही था। मैंने किसी एशिया के देश पर हमले के लिए नहीं बल्कि एशिया के एक देश पर से अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए विदेशी हवाई जहाजों को यहां पर उतरने की इजाजत दी थी और मैं इस चीज को सही मानता हूं। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर गुस्सा दिखाया तो हमने 2-3 दिन के अंदर अमरीका के राष्ट्रपति से कहा कि आप अपने हवाई जहाज यहां से ले जाओ, क्योंकि हमारे देश के कुछ लोग इससे नाराज है। मैं वाणिज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भी हम लोगों की नाराजगी का असर लेकर अमरीका को कह दें कि हम गैट समझोते पर हस्ताक्षर नहीं करते। आप लोगों की नाराजगी पर हमने 2 दिन बाद ही अमरीका के राष्ट्रपति से कह दिया था कि आप अपने हवाई जहाज यहां से वापिस ले जाओ, अगर आपके अंदर भी हिम्मत है तो अमरीका को कह दीजिए कि यह भारत की संसद की आवाज है, भारत के गांवों और गरीबों की आवाज है, इसलिए हम इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अगर आप करेगें तो अपने लिए अच्छा करेंगे?

प्रणव जी, आपको क्या हो गया है, मैं 1962 से आपको जानता हूं हम और आप बहुत देर तक साथ चले हैं, मंजिल पर पहुंचने का सपना देखा था, बहुत उतार–चढाव हमने साथ–साथ देखें हैं। मनमोहन सिंह जी का वह शेर याद आता है, उन्होंने कहा था –

हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर,

लोग आते ही गए और कारवां बनता गया।

श्री राजवीर सिंह (आवंला) : दल बदल कराते गए और अपनी संख्या बढ़ाते गए। ....(**व्यवधान**) ....

श्री मनमोहन सिंह : दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।

श्री चन्द्र शेखर : इस कारवां से कुछ होने वाला नहीं है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बहुत से कुली भी सामान उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं जाते हैं, इसलिए मजदूर के लिए हुए कारवां से काम नहीं चलेगा। अगर कोई शेर ही याद करना है तो यह शेर याद कीजिए–

गर ढूंढनी है मंजिल खुद अपना रहनुमा बन,

वो भटक गया है अक्सर, जिसे मिल गया सहारा।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बड़ा गंभीर विचार विमर्श हो रहा है और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचारो को अभिव्यक्त किया है। सभी सदस्य माननीय है, आदरणीय है, लेकिन विचारो का टकराव हो सकता है और हमेशा होता रहा है, इसमे कोई बुराई नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसा सभी कुछ अच्छी भावना से किया जाना चाहिए। मुझ पर दुर्भावनापूर्वक कोई आरोप मत लगाये। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप तो माननीय दादा, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आपसे पूछे बगैर तो मैने कोई काम ही नहीं किया है।

श्री राजवीर सिंह : गैट समझौते पर हस्ताक्षर भी इनसे पूछकर कर रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : आपसे भी पूछते हैं राजवीर सिंह जी।

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है, मैं भी संक्षेप में उस विषय में थोड़ा सा समय कृषि के संबंध में चाहूंगा; आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय जसवंत सिंह जी से मेरी इस विषय पर बात हो रही थी और आपने कहा था कि ध्यान रखिये, यह किसी पार्टी की नहीं, बल्कि देश के किसान की बात है, हमारे भविष्य की बात है। मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं कि मेरे दिलो–दिमाग में पहले देश है, फिर किसान है। मैं मानता हूं और विश्वास रखता हूं कि अगर भारत का भविष्य बनाना है, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होना है तो वह कृषि उत्पादन और किसान की हिम्मत पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

01.00 म०पू०

अगर किसान का अहित हो गया तो फिर देश उठेगा नहीं और आज भी हम कम से कम 70 प्रतिशत इस पर जीवन निर्वाह करते हैं। हम सारे यहां बैठे हुए है और वित्त मंत्री जी क्षमा करेंगे, एक बात कहना चाहता हूं। अगर किसान इनका भंडार नहीं भरेगा तो इनकी फिस्कल पालिसी नहीं चलेगी। इनका और हमारा चोली–दामन का साथ है। भारत का किसान जब उठेगा तभी देश आगे चलेगा। .... **(व्यवधान)** मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप क्या पूछते हैं, खुद्दारी और दिल, सारी दुनिया की दौलत मुझे मंजूर नहीं। मैं किसी बात पर समझौता नहीं कर सकता और इसलिए अपोजिशन के नेतागण से जाकर बात की ओर उनको समझाने की चेष्टा की कि यह मेरा काम नहीं बल्कि सभी का काम है। इसमें सारा भविष्य निहित है और इसमें आपकी राय लेना चाहता हूं। कही भी गलती हो तो उसको सुधारने की क्षमता होनी चाहिए और कही कमजोरी हो तो उसको मानने की हममे हिम्मत होनी चाहिए। मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। मैंने अपने विभाग में किसानों की जितनी संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और पूछा कि आप क्या चाहते हो और किस ढंग से अपना सकते हैं या नही? हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पोजिटिव और एक नैगेटिव यानि सकारात्मक और नकारात्मक। दुनिया की हर चीज में ऐसा होता है। हमने अपने एक्सपटर्स को बुलाया और कहा कि देखों कि किसी तरह से किसानों का अहित न होता हो। हमने उनको समझाने की कोशिश की और उसकी शंकाओं के निराकरण करने की कोशिश की, इसलिए उनको बुलाया था। मैंने एक प्रक्रिया शुरू की थी कि किसी तरह का व्यवधान न होने दे और उसका पूरा–पूरा बंदोबस्त कर ले ताकि किसान का हित सुरक्षित रहे। उसकी प्रक्रिया जारी है और अभी पक्की नहीं हुई है। जितने बाहर के विदेशी कानून हैं, यदि वे देश के हित में है तो उनको मैं लाना चाहता हूं। यह देखने की आवश्यकता है कि लागू करने में फायदा है

या नहीं या आंख बंद कर लू। कल भोगेन्द्र झा जी ने कहा था कि कायर मत बनो, छोड़ दो और दस्तखत मत करो, आपने उल्टा अर्थ निकाला था। मैं आप ही को कह रहा हूं। कायरता तब होगी जब हम हथियार डाल दें। हम हथियार डालने की बात नहीं करते आपने पढ़ा होगा 'क्लैब्य मा स्मगम पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते।

कृत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः।

युद्ध करने का निश्चय हम करना चाहते है तो इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हथियार डालना नहीं चाहते बल्कि मुकाबला करके जीतना चाहते हैं और भारतवर्ष के किसान ने यह साबित कर दिया है। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका शत्रु कौन है।

श्री बलराम जाखड़ : मेरा शत्रु निर्धनता है।

[हिन्दी]

हमारे किसान ने हथेली पर सरसो जमा करके दिखाई है। अमेरिका 20-22 करोड़ की आबादी का देश है, जो काफी अन्न पैदा करता है और भेजता हैं। उसके पास कितना विस्तार है और कितने साधन है? .... **(व्यवधान)** हमारे यहां 90 करोड़ आदमी है जिनको ठीक ढंग से खाना देने में हम सक्षम हैं क्योंकि हमारे किसान ने अनाज पैदा किया है। इस चीज को मैं मानने वाला नहीं हूं कि हम कमजोर है, हमारे किसान में आत्मा है और लड़ने की क्षमता है और करके दिखा सकता है लेकिन उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। आज हम कहना कुछ चाहे और करना कुछ चाहे तो वह नहीं होता है .... **(व्यवधान)** हम कहां से उठे और यह पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। मुझे पता है कि कहां आदमी का प्रेम होता है, कहां आदमी का लगाव होता है और कहां आदमी की अनुबंधता रहती है। जब किसान की बूटा और फसल कमजोर होती है तो उसके दिल में रूदन पैदा होती है तो ऐसा लगता है कि घर का बच्चा बीमार हो गया और तभी पता चलता है कि खून–पसीना क्या है। हम उस किसान को सेल्यूट करने के हकदार है और हमें करना चाहिए।

पहले हमारा अनाज का उत्पादन 47-48 मिलियन टन था, आज अन्न का भण्डार भरा हुआ है और 180 मिलियन टन तक हमारा उत्पादन पहुंच गया है। पहले दूध का उत्पादन 20 मिलियन टन था जो कि बढ़कर 61 मिलियन टन हो गया है और आने वाले दिनों से 70 मिलियन टन होने वाला है। हम पहले करीब 1200 करोड़ रूपये का तेल बाहर से मंगवाते थे, आज हम करीब 1850 करोड़ रूपये के तेल और तिलहन फसलों से संबंधित उत्पादों का हमने निर्यात किया है। यह सब इसीलिए हो गया है कि हमारे किसानों ने और वैज्ञानिकों ने काम किया है।

मैं 13 तारीख को राजापुर गांव गया था। जहां नये तरीके की खेती लोग कर रहे हैं, हाईब्रीड सीड की खेती होती है, जो कि बाहर से नहीं आया, हमारी ही प्राइवेट कंपनी ने दिया है। जहां पहले साल से आठ टन पैदावार होती थी, आज वहां पचास से साठ टन पैदा वहां के लोग कर रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : क्या वह डंकल की सहायता से कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ा है वह डंकल प्रस्ताव से बढ़ा है या उनके अपने परिश्रम से बढ़ा है।

श्री बलराम जाखड़ : आप बैठिये, आपका भाई बोल रहा है, साथी बोल रहा है। मैं बडी गंभीरता से कह रहा हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अगर किसान के प्रति दया और ममता होती तो बीच में न टोकते।

श्री बलराम जाखड़ : मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है, उसको अंधकार में डालने की जरूरत नहीं है।

सब्सिडी का कोई मसला नहीं है। आयात और निर्यात का कोई मसला नहीं है, ये सब बातें पहले साफ हो चुकी है इसलिए इन्हें दोहराकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ सीड के पेटेंट पर कहना चाहता हूं। उस पर हमारा क्या अधिकार होगा और किसान पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जो किसान के हित के खिलाफ जाता हो। मैं आपका यह संशय दूर करना चाहता हूं, जो आपने हमारी मीटिंग में उठाया था।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, मैं बीजों के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। सच बताऊं, मैं इन बातों के बारे में अधिक नहीं जानती।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इससे आप भी मेरी श्रेणी में आ जाते हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : मुझे पता नहीं है कि यह सच है अथवा नहीं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए यह जानना चाहती हूं। 18 फरवरी के "बिजनैस स्टेण्डर्ड" में जो छपा है, मैं उसमें से उधृत करती हूं।

"कनाडा की पत्रिका रफी कम्युनिके में प्रकाशित एक लेख में यह छपा है कि सरकार को एग्रीटस ट्रांसजेनिक काटनसीड्स को दी गई पेटेंट प्रक्रिया के बारे में सावधान किया गया था। उस लेख में यह दलील दी गई है कि इस विशिष्ट बीज का प्रमुख कपास उत्पादक देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस लेख में आगे कहा गया है कि –

"प्रतिकारात्मक संभावना से प्रेरित होकर सरकार ने एक अमरीकी कंपनी एग्रीसेटस इन्स को दी गई पेटेंट प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया है।"

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या बात यह सच है। यदि प्रारंभ में ही पेटेंट प्रणाली से भीषण बरबादी हो रही है तो जब यह प्रणाली पूर्णरूप से लागू होगी तो इसका कितना बुरा असर पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मेरा काम ही यही रहा है बीज बोना, फसल उगाना और बीज पैदा करना। उसको पता नहीं हो सकता जिसने कभी फसल नहीं बोई, जिसने बीज पैदा नहीं किया और जो यह काम न जानता हो। हमने संकर बीज पैदा किया, हमने मल्टीप्लीकेशन भी किया

है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। जहां तक सीड का ताल्लुक है, मैं बात करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसमें हम नया कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं, कि हम एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया में है जिससे हम किसानो के हितों की रक्षा कर सके। इसके बारे में श्री चन्द्रजीत जी ने पूछा था कि इसके बारे में शंका उठा सकते हैं या इसके खिलाफ कोई काम हो सकता है, इसके बाबत मैं बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये तीन तरह से बीज बना सकते हैं । एक तो यह है कि पेटेंट करे या स्यू जिनेरिस सिस्टम करें या फिर तीसरा उसके बीच का करें। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वह स्यू जिनेरिस सिस्टम बनाना चाहता है।

[अनुवाद]

यू.पी.ओ.वी. के उपबंधों के अंतर्गत स्यू जिनेरिस सिस्टम की कारगरता के बारे में, श्री जसवंत सिंह जी ने इसके 1961 के प्रावधानों का बार–बार जिक्र किया है। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : पहले सरकार यह कहा करती थी कि ऐसे प्रावधान स्वतंत्र रूप से किये गये है तथा इनके लिए किसी यू.पी.ओ.वी. सम्मेलन का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं।

यह सूचित किया जाता है कि अब यू.पी.वी.ओ. में 1978 एवं 1991 के मात्र दो ही प्रावधान खुले हैं। वास्तव में, 2 दिसम्बर 1991 को पौधों की नई किस्मों के संरक्षण पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधान 10 नवम्बर, 1972, 23 अक्तूबर, 1978 एवं 19 मार्च, 1991 को जिनेबा में हुई बैठकों में संशोधित किये जा चुके है। फिर भी, स्पेन एवं बैल्जियम नामक दो देश अभी भी ऐसे हैं, जोकि 1972 के अतिरिक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित 1991 के अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण कर रहे हैं। जो देश अभी भी यू.पी.ओ.वी. सम्मेलन के सदस्य नहीं है, वे 31 दिसम्बर 1995 तक 1978 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद केवल 1991 के प्रावधान नये सदस्यों के लिए खुले रहेंगे। अतः भारत इन दो अधिनियमों में से जिस किसी भी अधिनियम के प्रावधानों में शामिल होना चाहता है, उसे ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता एवं अपना निर्णय लेने का अधिकार है आज की तारीख में 24 देशों में से जो यू.पी.ओ.वी. के सदस्य है यदि स्पेन एवं बैल्जियम नामक दो देश 1972 के अतिरिक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस सम्मेलन में अपनी सदस्यता जारी रखना चाहते हैं, तो इसमें आशंका की कोई बात नहीं है कि यू.पी.ओ.वी. अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अनुसार स्यू जिनेरिस सिस्टम को कारगर संरक्षक के रूप में क्यों नहीं समझा जायेगा। **(व्यवधान)** इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वे विरोध करते हैं कि यह सिस्टम सही एवं कारगर नहीं है। अगर गैट समझौते के उपबंधों के अंतर्गत वे विरोध कर सकते हैं, तो शिकायतकर्त्ता पार्टी का यह दायित्व होगा कि वह इस बात को सिद्ध करे। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अंतिम अधिनियम के अनुसार ऐसा नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : दायित्व अभियुक्त पर है। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : यदि ऐसा सिद्ध भी कर दिया जाता है, तो मेरे पास यह विकल्प है कि हम छह महीने का नोटिस देकर गैट समझौते के प्रावधान एवं गैट समझौते से बाहर हो जायेगे। मैंने यही कहा है **(व्यवधान)** हां, बिल्कुल यही बात है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने बहुत वजनदार बात कही है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का भविष्य में भी ध्यान रखे कि अगर गैट में जाने के बाद हमें अनुभव होता है कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो हम 6 महीने का नोटिस देकर बाहर आ जायेगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्तमान गैट में ऐसा है लेकिन नए गैट में ऐसी कोई बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अच्छा पांयट ले रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल यह करना चाहता हूं कि GATT का सारा लीगल चीज है कि आइदर यू लीव और टेक तो मेरा कहना यह है कि इट इज एन इन्टेग्रेटेड होल और जैसा यह कह रहे है कि हम तो उनके साथ सहमत है और शायद भारत सरकार की राय भी बताते हैं कि 6 महीने का नोटिस देकर विदड्रा करेंगे तो आइदर टेक इट और लीव इट के बारे में क्या कहना है?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : केवल शिकायत कर्त्ता ही नहीं बल्कि गैट का भी कहना है कि इसे पेटेंट समझौते के अनुरूप बनाना होगा, अतः वे इसकी समीक्षा भी करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब अधिकारपूर्वक कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस मुद्दे पर कोई वचनबद्धता व्यक्त करे।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मैं कोई वचनबद्धता व्यक्त नहीं कर रहा हूं। महोदय, मैं कह रहा हूं कि गैट समझौता है। ....**(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमारे लिए समस्याएं खड़ी मत कीजिए क्योंकि बाद में उनका समाधान भी हमें ही करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : डंके की चोट पर यह बात सामने आई है। अब इसकी पुष्टि होनी चाहिए। ....**(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्रिमंडल का सुविचारित दृष्टिकोण होना चाहिए, यह वक्तव्य बिना सोचे समझे नहीं दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : हमारे मंत्री जी सही बात बोलते हैं। किसानों के हित की बात बोलते हैं। ....(व्यवधान)..........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की सहायता कीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैं समझौते से अलग कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं समझौते के अनुसार और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, उसके अनुसार कह रहा हूं।

भारत की सुई जेनरिस सिस्टम वास्तव में अनुपम है क्योंकि इसमें देश में विकसित पुरानी किस्मों को संरक्षित करने का विचार सन्निहित है। यूपोब 1991 के अंतर्गत आवश्यक व्युत्पति खंड के रूप में इस पर राष्ट्रहित में विचार किया जाता है, इसका मतलब यह है कि यदि कोई नया ब्रीडर कोसमेटिक ब्रीडिंग के माध्यम से किसी नई किस्म से उत्पादन करना चाहता है तो उसे उस किस्म के मूल ब्रीडर से अनुमति लेनी होगी। इस तरह से विभिन्न फसलों और वस्तुओं की लगभग 2000 किस्मों को स्वतः ही संरक्षण मिल जायेगा और इस तरह से बाहर उनके व्यापारिक उत्पादन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

सुई जेनरिस सिस्टम दूसरी दृष्टि से भी अनुपम हैं क्योंकि यही एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत हमारे विशाल जेनेटिक संसाधनों पर 1992 के बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन के प्रावधानों के अनुरूप समानरूप से हमारा अधिकार होगा। भारत विश्व में जेनेटिक डाइवर्सिटी के आठ केन्द्रों में से एक केन्द्र है और इस तरह भारत को परस्पर सहमति के आधार पर जो कि फिलहाल बेकार जा रहा है, मदें और शर्ते निर्धारित कर सबसे अधिक फायदा होगा। यह जरूरी भी है क्योंकि कुछ देशों ने पौधों के विकास को पेटेंट करने का काम शुरू भी कर दिया है।

अधिकार के लाइसेंस पर उठाया गया मुद्दा उचित नहीं समझा गया क्योंकि आर.एंड डी. प्रयासों में निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं होगा। तथापि, स्थिति के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार इस तरह की संरक्षित किस्मों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था कर सकती है ताकि हमारे किसानों को बीज उपलब्ध होते रहे। लोगों की चिन्ता को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि इसके पश्चात् हमारे पास साधन रह जाता है ताकि हमारे किसान की स्वतंत्रता कायम नहीं रहती। कल राव साहब ने बताया था कि क्या सर्टिफाइड बीज उगाने के बाद किसान उसको बेच सकता है। किसान के लिए जो स्वतंत्रता की बात हम करते है वह यह है कि आप अपना बीज उगाएं उगा कर इनको दे, गांव में दे, कहीं दे, कोई चिन्ता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बेच नहीं सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : आप मेरी बात सुन तो लें। मैं किस लिए कर रहा हूं। किसान के हित के लिए कर रहा हूं। किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बीज बना

कर बेचें तो नेशनल सीड कार्पोरेशन से बीज ले या स्टेट कार्पोरेशन से ले या इंडो अमेरिकन कंपनी से ले तो वह उसको पैदा करेगा और फिर उसकी रोगिंग कराएगा, फिर ग्रेडिंग होगी, फिर पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग पर मुहर लगेगी कि यह बीज अच्छा हैं। वह उसका जिम्मेदार होगा कि अगर बीज खराब होता है तो उसको पेनल्टी देनी होगी। फर्ज करें जसवंत सिंह ने 100 मन बीज वाला गेंहू पैदा किया और पेटेंट नही कराया, लाइसेंस नहीं लिया और बेच दिया और मुझे पता है इनका बीज अच्छा है तो यह 50 मन घर में रखेंगे और 50 मन में से मैं ले जाऊंगा और बीजूंगा। मुझे कौन रोकने वाला है? लेकिन जिम्मेदारी मेरी होगी कि जो बीज मैंने बीजा है वह अच्छा है। लेकिन अगर यह पेटेंट कराकर बेचेंगे, हम से लाइसेंस लेंग्रे, सीड कार्पोरेशन से लेंगे तो सीड कार्पोरेशन को पकड़ेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी और लाइसेंस होगा तो उसको पकडेगे। नहीं तो आप बीज ले, बेचे और कुछ भी करें। जहां तक हाइ ब्रीड का सवाल है वह आए दिन बनता है। उसके लिए मैं कहूंगा कि हमारे दरवाजे किसान के काम करने के लिए खुले हैं। संसार में इतने बीज की जरूरत होगी और हम बना सकते हैं और हमारे पास साधन है। जैसे अभी कहा कि इनकी मजदूरी कम है इनको बंद करो, यह तो सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। हम उसको नहीं मान सकते।

श्री भोगेन्द्र झा : सवाल तो पैदा हो गया है।

श्री बलराम जाखड़ : पैदा हो सकता है। अगर यह माना जाए तो छुट्टी हो जायेगी। ऐसे कैसे मान सकते है? .... **(व्यवधान)** ....

श्री राजवीर सिंह : जब आप सारे प्रस्तावों पर हस्ताक्षर कर देंगे, सभी शर्तों को स्वीकार कर लेंगे तो फिर एक–एक पर आप कैसे छोड़ेंगे?

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : यदि आप बीज पैदा करते तो आपको पता होगा। .... **(व्यवधान)** .... आप बैठिये, मैं बता रहा हूं। जब आप मेरी बात सुनेगे तभी आपको पता लगेगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : आप 1998 तक समीक्षा कीजिए। .... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं मानते हैं तो आप बात नहीं कर सकते हैं। यदि वह मान जाते है तो मुझे आपत्ति नहीं है।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : हमें नए बीज कैसे मिलेंगे। .... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में स्वयं को भ्रम में नहीं डालना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं वही बता रहा हूं। यदि आपने बीजा हो तो आपको पता हो। कल परसो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर साहब गांव वालों से कह रहे थे कि देखों कल को अमेरिकी हमें नीम की दातुन भी नहीं तोड़ने देगा, भला यह भी कोई बात हुई। ऐसा कैसे हो सकता है। पहले ही आप लोगों ने इतना सत्यानाश कर दिया है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्षजी, विश्व बैंक ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओ ई सी डी के द्वारा एक महत्वपूर्ण गोपनीय अध्ययन कराया है जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि गैट के तहत, उदारीकरण के कारण कई खाद्यान्नों जैसे गेंहू, मकई, जौ और डेरी आदि की उत्पादन कीमतें लगभग 4 से 7 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

श्री बलराम जाखड़ : मुझे तो पता नहीं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है। श्री मनमोहन सिंह आप से नाराज हो जायेगें।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं यही कहना चाहता हूं कि एक दफा तो आपने सत्यानाश कर दिया। काम वह करना चाहिए, वह बात करनी चाहिए, जिसका ज्ञान हो और जो नुकसानदेह न हो। पहले आप सुनिये तो सही।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (दामोह) : मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सूईजेनेरिस सिस्टम के अंतर्गत बीज बनाने का कार्य कौन करेगा। क्या इस काम को हमारे हिन्दुस्तान के 75 फीसदी किसान करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : आप मेरी बात पहले पूरी सुनिये। जब आपको पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। मैं बता रहा हूं कि कौन करेगा। मेरी पूरी बात सुने बगैर कैसे आप सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल का ही मैं जवाब देने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी आप इसे स्पष्ट कर दीजिए कि यह सुई जेनेरिस क्या है, यह यूनिक सिस्टम क्या है और इसके तहत हम क्या करने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : इसे हमने ही बनाया है, हमने अपने आप इसे तैयार किया है। जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, जितने हमारे साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है और उनके अलावा पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को शामिल करके हम सलाह कर रहे है जिससे कि कोई कमी न रहे, सब कुछ बिल्कुल शोधित हो और हमारा उत्पादन भी कम न होने पाये, हमारे किसान का नुकसान न हो। जहां तक प्रश्न है कि बीज कौन पैदा करेगा, हमने अपने यहां नेशनल सीड्स कार्पोरेशम बना रखा है।

श्री रूपचन्द पाल : लेकिन कौन करेगा, क्या गैट के सिस्टम के अंतर्गत होगा या हमारे लोग करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : आपको जिस चीज के बारे में पता न हो, उसे मत पूछिये। आप मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं जिसने सारी उम्र यही काम किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें यह प्रणाली बनानी है। इसे आप करेंगे या संसद करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कारगर सुई जेनेरिस पद्धति कौन सी है।

अध्यक्ष महोदय : संसद इस बात का निर्णय करेंगी। आप इस बात का निर्णय करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, जब कृषि मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, शायद मंत्री जी यहां मेरी शंका का समाधान करने की ही कोशिश करे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जो सुई जेनेरिस सिस्टम है, जिसका लैजिस्लेशन लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम गैट के एंग्रीमेंट पर दस्तखत कर देगें ....

जिसमें एक इंटरनेशनल सुई जनरेशन सिस्टम है, तो फिर हमारा जो सिस्टम है, उसे हम नहीं चला सकते।

अध्यक्ष जी, अब मैं कृषि मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वे इसका जवाब दे कि हमारे पूर्व विदेश सचिव श्री मुचकुन्द दुबे, जो भारत सरकार की तरफ से .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी नाम का उल्लेख मत कीजिए क्योंकि उन नामों को समझना उनके लिए संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कोई ऐलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। यह एक प्रश्न उठ गया है।

[अनुवाद]

"यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई सरकार उस स्थिति में राष्ट्रीय कानून के माध्यम से एक पृथक सुई जेनेरिस पद्धति बना सकती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में एक सुई जेनेरिस पद्धति पहले से ही मौजूद हो। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह बात बहुत संदेहास्पद है कि किसी भी सरकार को अपने ही तरह की कोई सुई जेनेरिस पद्धति बनाने की अनुमति दी जाए। यदि हम एक बार इसके सदस्य बन गए, तो हमारे किसानों को अपने बीज का इस्तेमाल करने का अधिकार और हमारे वैज्ञानिकों का उन बीजों पर परीक्षण करने का अधिकार बहुत कम हो जायेगा। यदि हम एक बार इसके सदस्य बन जाते हैं और इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि डंकल प्रस्ताव में साक्ष्य की जिम्मेदारी उल्टा हो जायेगा। साबित करने का जिम्मा आरोप लगाने वाले पर नहीं बल्कि जिस पर आरोप लगाया गया है, उस पर होगा।"

अतः मैं इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो हम 1978 के मैम्बर है और न 1991 के मैम्बर है। वह भी हमें अपनी इच्छा के अनुसार फैसला करना है कि हमें मैम्बर बनना है या नहीं। यह हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे सुई जनेरिस सिस्टम पर कोई आघात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरी तरह से पता कर लिया है और मैं तो आपकी सलाह से काम करूंगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इस चैप्टर में लिखा है।

[अनुवाद]

"सदस्य को पेटेंट या सुई जेनेरिस पद्धति के माध्यम से प्लांट वैराइटीज के लिए संरक्षण प्रदान करेगा और इन अनुच्छेदों के प्रावधानों को इस समझौते के लागू होने के चार वर्ष बाद समीक्षा की गई है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : रूप चन्द जी वही बात तो है आपको पता ही नहीं है। सारी रामायण खत्म हो गई और आपको अभी तक यही पता नहीं चला कि सीता राम की कौन थी और आप फिर वही पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या आपने अपोव संधि का पालन किया है?

श्री बलराम जाखड़ : अपोव का पालन कौन रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा।

[हिन्दी]

मैंने आपसे यह अर्ज किया है, कि आप्शन है हमने अभी किसी को नहीं अपनाया है। दोनों में आप्शन है।

[अनुवाद]

मैंने यह कहा है। मैंने किसी पद्धति को नहीं अपनाया है। आप इस बात को ठीक ढंग से क्यों नहीं सुन सकते हैं? मैंने यही कहा है। यह पर्याप्त है। यह हमारे लिए विकल्प है कि हम किसको चुनें। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को न अपनाएं।

[हिन्दी]

मैं तो एक बात जानता हूं कि किसान को उसमें कोई रूकावट आने वाली नहीं है। उसको बीज में कोई रूकावट आने वाली नहीं है। यह बीज भी पैदा करेगा और सारे काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अनेक साधन है।

[अनुवाद]

यही आश्वासन दिया गया है। मैं इसको खोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारे किसानो को अधिकार होगा उनके पास शक्ति होगी और उनकी अधिक उत्पादन करने की क्षमता होगी।

[हिन्दी]

अब आपको अंदाजा हो गया होगा। अब आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, आखिर मैं भी तो कुछ हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। सवाल यह पैदा होता है कि जितनी भी भ्रामक बातें हैं, उन्हें मैं कतई मानने वाला नहीं हूं। किसानों के हितों को कोई नुकसान आज नहीं होगा, कल नहीं होगा और कभी नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप किसानों को तबाह कर रहे है। ....(व्यवधान).....

श्री बलराम जाखड़ : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई और नहीं आएगा।

[हिन्दी]

सवाल ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कृपया यह बताऐं कि बीजों को रखा जा सकेगा या नहीं।

श्री बलराम जाखड़ : यही तो मैं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

राव साहब आप गलत बात कर रहे हैं। किसानों को कोई नुकसान अपने बीज में नहीं होगा. .... (व्यवधान) ....

श्री बलराम जाखड़ : मैं उस बात को कभी मानने वाला नहीं हूं .... (व्यवधान) ....

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप सभा को गुमराह कर रहे है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : आपने पहले सदन के भीतर और सदन के बाहर ....

.... (व्यवधान)........

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसे जवाब नहीं देंगे, अपनी पद्धति से जवाब देंगे।

.........(व्यवधान)........

वे यील्ड नहीं कर रहे है।

श्री राजवीर सिंह : वे बैठे है तो मैं समझा कि यील्ड करे गए। ....(व्यवधान).........

अध्यक्ष महोदय : आप उनके चैम्बर में जाकर बात कीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : एक न्यूक्लस सीड होता है, फिर ब्रीडर्स सीड होता है, तीसरा फाउंडेशन सीड और उसके बाद सर्टीफाइड सीड होता है। उनका मल्टीप्लीकेशन अलग–अलग होता है। सर्टीफाइड सीड का मल्टीप्लीकेशन किसान करेगा। वह अपनी बीज रखेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह अपने बीज को बेच नहीं सकता। .... (व्यवधान) ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी मुद्दे उठाना चाहते है, माननीय कृषि मंत्री उन पर आपको संतुष्ट कर पाने में एकदम सक्षम है। बात यह है कि आपको यह पृथक रूप में उठानी चाहिए और इस तरह से उठानी चाहिए कि वह उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। कृपया उन्हें अपने तरीके से बोलने दीजिए, उसके बाद आपको कोई संदेह रह जाता है, तो चर्चा के लिए आप उनके कक्ष में जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मान लीजिए आपने सौ मन सर्टीफाइड सीडस पैदा किए। उसमें से 25 टन मन अपने घर में रख लिए, बाकी 75 मन को तो बेचेंगे। यदि किसान उसे बेचे तो उसे कौन रोक सकता है। .... **(व्यवधान)** ....

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : आपका कहना है कि किसान व्यवसायिक रूप से सीडस नहीं बेच सकता। यदि वह चार महीने पहले भंडारण करके रखता है और उसके बाद बेचता है तो क्या वह व्यवसायिक हो जाएगा?

श्री बलराम जाखड़ : मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान को किसी किस्म की पाबन्दी नहीं है........ **(व्यवधान)**...... मेरा तो किसान के सिवाए दूसरा कोई देवता नहीं है।

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : आप तो चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, आप कैसे रक्षा करेंगे।

श्री राजबीर सिंह : आपके ऊपर वह कौन सा दबाव आ गया जो आप इसके समर्थक बन गए।

श्री बलराम जाखड़ : मैं निराशा में विश्वास नहीं करता, लड़ाई में विश्वास करता हूं। मुझे अपने किसान और वैज्ञानिकों की कैपेबिलिटी पर भरोसा है। ...... **(व्यवधान)** .... हम किसान की किस्मत का नक्शा बदल देंगे।

श्री राजबीर सिंह : पहले आपने कहा था कि मैं इसका विरोधी हूं, कौमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इसके पक्ष में हूं।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने यह कहा था कि किसानों के हितों का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। .... **(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछना है। हमें या तो पेटेंट का अपनाना चाहिए या एक कारगर सुई जेनेरिस पद्धति को अपनाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन निर्धारित करेगा कि वह सुई जेनेरिस पद्धति कारगर है कि नहीं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री बलराम जाखड़ : हम इसे केवल एक कारगर सुई जेनेरिस पद्धति कर रहें हैं, यही हम कर रहे हैं। हम इसे कर रहे हैं और यह इस संसद द्वारा पारित एक वैधानिक दस्तावेज होगा।

श्री रूप चन्द पाल : इस अधिनियम के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते है।

श्री बलराम जाखड़ : हम ऐसा करेंगे।

श्री रूप चन्द पाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि यह कारगर है या नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी कम से कम चार वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : हम इस अधिनियम के अनुसार यह काम कर रहे हैं।....(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जाखड़ जी से अनुरोध करता हूं कि वह श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रश्न का उत्तर दें। वह एक प्रश्न उठाना चाहती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, श्री जाखड़ साहब मेरे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं एक विशेष प्रश्न पूछ रही हूं। यदि एक विशेष प्रकार के बीज का प्रोसेस के साथ–साथ उत्पाद सहित पेटेंट किया जाता है और यदि उस प्रोसेस से हम अपने देश में किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो क्या हमारे बीज निगम को पकड़ा जा सकता है? मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसे पकड़ा जा सकता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कौन करेगा? जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी तब वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए तंत्र नहीं है।

.........(**व्यवधान**)...........

सरकार सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दे रही है कि यदि इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा तो सरकार ऐसा करेगी। गैट की कोई पुलिस, न्यायालय अथवा कोई तंत्र नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, लेकिन वे उस गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले है। ......(**व्यवधान**).........

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है, हमें लोगों के मन में अनावश्यक भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अगर इच्छा हो और फायदा हो तो हम किसी का भी बीज ले सकते हैं। अगर फायदा नहीं है तो जरूरी नहीं है। वे हमें मजबूर नहीं कर सकते हैं। गीता जी ने जिसका जिक्र किया, उसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। वह बाहर की कंपनी थी।

[अनुवाद]

हमने इस पेटेंट सूची से उस बात को हटाने का निर्णय पहले ही ले लिया है। हमारी अपनी व्यवस्था होगी और हम अपने किसानों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करने जा रहे है।

श्री रूपचन्द पाल : क्या यह एक दूसरे से बदला लेने का विषय नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है, यदि आपको एक दूसरे से बदला लेना है, तो उसके लिए आपको एक प्रक्रिया को अपनाना होगा। सबसे पहले जानकारी एकत्र करनी होगी और उसके बाद उसकी जांच करनी होगी, परामर्श करना होगा, इसे विवादों के निपटान के लिए भेजना होगा और उसके बाद परस्पर बदले का प्रश्न आएगा। कृपया इन बातों की चिन्ता मत कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, तथ्यों को स्पष्ट करने के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बहुत ही साधारण तरीके से अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लीजिए इस देश का कोई किसान पेटेंट किया हुआ बीज लेता है और उससे बीज पैदा करता है, वह इसे प्रमाणित नहीं कराता है, बल्कि इसको और बढ़ाता रहता है तो बीजों की मात्रा बढ़ जाने के बाद यदि वह इसे अपने पड़ोसी को देता है या उसे बाजार में बेचता है वो क्या उस पर रोक लगेगी? यही मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप जब तक मोहर लगाकर जिम्मेदारी नहीं लेगें, तब तक आगे कुछ नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह आपका उत्तर है। इस वाद–विवाद को शुरू करने वाले सदस्य श्री रूप चन्द पाल कह रहे कि इस पेटेंट किए गए बीज को बढ़ाने को अधिकार नहीं दिया जाएगा। वह यही बात कह रहे हैं। इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : राइट तब होगा जब 6 कमर्शियल ब्रैंड लगाकर और अपना नाम लगा कर वे बेचेंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इसे समझता हूं लेकिन बीजों के पुनरूत्पादन गुणक के बारे में क्या होगा। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : बहुत से गोपनीय तरीके हैं जिनके द्वारा इसमें धोखाधड़ी हो सकती है। क्या आप केवल यही बात कहना चाह रहे हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इन प्रश्नों को माननीय मंत्री महोदय से पूछने की अनुमति दे रहा हूं और माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और वह उत्तर दे रहे हैं। ऐसा इस बात पर किसी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपको सही प्रश्न पूछना चाहिए और आपको इस का उत्तर दिया जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, इस सभा में पहले जो चर्चा हुई थी, उस दौरान सरकार ने एक नोट दिया था। जिसमें यह कहा गया था कि सरकार प्रारूप में संशोधन करने की कोशिश करेगी जिससे किसान अगली फसल को उगाने के लिए बीज अपने पास रख सकें। सरकार पहले वाले भौतिक प्रारूप में जो कि श्री अर्थर डंकल द्वारा तैयार किया जा रहा था। संशोधन करने की कोशिश करेगी। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है। **(व्यवधान)** सरकार ने कहा था कि प्रारूप में संशोधन करने की कोशिश की जायेगी जिससे किसान बीज का कुछ हिस्सा अपने पास रख सकें। यह भी कहा था कि भारत के किसान का यह परंपरागत अधिकार है कि वह अपनी

उपज को बीज के रूप में अपने पड़ोसी अथवा अपने पड़ोसी गांव में बेच सकता है। इन दो बातों के बारे में सरकार ने कहा है कि वह प्रारूप में संशोधन करने की कोशिश करेगी। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को प्रारूप में संशोधन करने के अपने प्रयास में कोई सफलता मिली है। अंतिम समझौते में संगत अंश में व्यावहारिक तौर पर एक शब्द भी नहीं बदला गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर ने भी कल आपको यही बात बतायी थी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब काफी हो चुका है।

अब लोक सभा 2.45 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.42 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.45 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.50 म.म.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.50 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चक्र के परिणामों को मूर्त रूप देने वाला अंतिम अधिनियम - जारी

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कार्य कर्त्ता जो डंकल प्रस्तावों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस का नंगा नाच हो रहा है, पुलिस उन पर जुल्म कर रही है। हम लोगों को भी इसी सिलसिले में पकड़ कर ले जाया गया। हमारे कार्यकर्त्ताओं पर वाटर केनन का इस्तेमाल किया गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गये। क्या हम लोग कोई देशद्रोह का काम कर रहे है। आज डंकल प्रस्तावों का विरोध करने का जनता दल का कार्यक्रम था, लेकिन उनके प्रति जिस प्रकार का पुलिस ने व्यवहार किया, उसको देखकर लगता था कि जैसे पार्लियामेंट पर कोई हमला होने जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई करना मौलिक अधिकारों का हनन करना है और आप इस प्रकार की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार को उचित निर्देश दें और सरकार इस तरह की कार्रवाई के लिए यहां पर माफी मांगे तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों को, 25 संसद सदस्यों

और कुछ अन्य साथियों को सुबह 10 बजे मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया। हमारे हजारों कार्यकर्त्ताओं को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने सरकार से बार–बार आग्रह किया है कि इस तरह से देश को बेचने की कार्रवाई न करें, हम लोग कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। जुर्म तो यह सरकार गैट समझौत पर 15 अप्रैल को हस्ताक्षर करके करने जा रही है, इस समझौते को अप्रूव करके करने जा रही है। हम सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं और जिस तरह से लोग, खासकर जनता दल के कार्यकर्त्ता 2 दिनों से पार्लियामेंट के सामने इस पालिसी का विरोध कर रहे हैं और उन पर वाटर केनन, आंसू गैस आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई कार्यकर्त्ता घायल हुए है, इस कार्रवाई की हम निंदा करते है। इस बारे में सरकार से मांग करते है कि मंत्री महोदय सदन में एक वक्तव्य दे कि कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ जनता दल के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ पिछले दो दिनों में क्या–क्या कार्रवाई की गई है। .... **(व्यवधान)**..........

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो हमको एक पत्र सर्कूलेट किया गया है, इसके संबंध में मेरा, प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

"श्री एस. वी. चव्हाण रविवार 27 मार्च, 1994 का रविवारीय पत्रिका में आर एंड ए डब्ल्यू पर प्रकाशित लेख के संबंध में वक्तव्य दें।"

मुझे इस पर घोर आपत्ति है। **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, यह कोई बात नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट के प्रति सरकार की कोई सीरियसनेस नहीं रह गई है। सरकार बाहर किसी स्पोक्समैन से कहलवाकर जिस काम को कर सकती है, उसके लिए यहां पर मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है। किसी मेगजीन में कुछ निकल गया, उसके लिए मंत्री महोदय सदन में स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस पर हमको घोर आपत्ति है। श्रीनगर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बारे में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया, लेकिन मेगजीन में कुछ निकल गया तो उसके प्रति यह सरकार चिंतित हैं। .....**(व्यवधान)**......

श्री नीतिश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर प्रदर्शनकारियों पर जो वाटर केनन, लाठी चार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, इसके बारे में भी तो सरकार कुछ बताएं। आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए नहीं तो यह कार्रवाई कल को आपके ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह का काम करके सरकार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ....**(व्यवधान)**..........

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रविराय जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में देश के भविष्य के सिलसिले

में बहस हो रही है। आज हमने माननीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी के विचार सुने तथा कल भी हमने सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के विचार सुने।

जिस सवाल के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं तो यह देश के लिए जीने–मरने का सवाल है। मेरी समझ में देश के इतिहास में एक विपत्ति आई थी जब देश का विभाजन हुआ था और सारा देश समझता था कि हम एक हिन्दुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी का प्रयास था कि देश को इकटठा रखा जाए। इतना बड़ा देश विभाजित हो गया बावजूद इसके कि 1930 में रवि के किनारे बैठकर फैसला किया था कि हम लोग एक अविभाजित हिन्दुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अभी कोई खड़ा होकर यह नहीं कह सकता है कि हिन्दुस्तान का विभाजन ठीक था। मैं वित्त मंत्री जी का खासतौर से जिक्र कर रहा हूं कि आजादी और गुलामी में सरकार की डिक्सनरी में कोई अंतर नहीं है। जिसके बारे में कहा जाता है कि शर्म नहीं होती है और जो देश के लिए खराब है उसको मानकर उसकी प्रशंसा करने की आदत पड़ गई है। मैं संसद में दिए गए सवाल–जवाब को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह सवाल कांग्रेस के सदस्य कुमारमंगलम जी का सवाल है।

[अनुवाद]

प्रश्न यह था

"क्या पेटेंट संबंधी राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा दिल्ली में पेटेंट कानूनों पर किसी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

यदि हां, तो संगोष्ठी में कौन–कौन सी सिफारिशें की गई है और क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।"

इसका उत्तर यह दिया गया था।

"पेटेंट संबंधी राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा 22 नवम्बर, 1988 को दिल्ली में पेटेंट कानूनों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में यह प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय पेटेंट कानून अधिनियम 1970 अपने कार्यक्षेत्र और प्रयोजन में भारतीय हितों को अभिव्यक्त करता रहेगा और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसी विषय पर 1989 में एक अन्य प्रश्न पूछा गया था :

"क्या सरकार पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि औद्योगिक संपदा की रक्षा करने के लिए पैरिस कन्वेंशन में भाग लिया जा सके और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है।"

इसका उत्तर दिया गया था, जी नहीं।

इसके बाद 1989 में एक और उत्तर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था, "भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

[हिन्दी]

1989 सरकार संसद को वचन देती है कि 1970 के पेटेंट कानून में अमेंडमेंट करने का इरादा नहीं है। 1984 में जो सारे तर्क देती थी, उन तर्कों का उल्टा करके कहती है कि गैट के इंस्टीटयूशन जैनेवा में जाकर कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी उल्टी गंगा बही है कि अब जरूरत है। ऐसा क्यों कहना पड़ा?

3.00 म.प.

मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि देश के प्रति गद्दारी हुई है। यह जो चीज हुई है यह कोई मामूली नहीं है। यह देश की प्रभुसत्ता का, खेती का, उद्योग का, देश की आजादी के मूल्यों का, स्वदेशी और स्वाबलम्बन तथा रोजगार का सवाल है। कहां तो 1979 में पेटेंट एक्त में तरमीम न करने की बात सरकार कहती थी, अब उसमें बदलाव करने की बात कर रही है। अप्रैल 1989 इतिहास में एक काले दिवस के रूप में याद रखा जायेगा। उससे पहले केवल यह था कि हम लोग गैट में सिर्फ व्यापार के सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन 1989 के बाद जब अमरीका ने हम पर दवाब डाला और कहा कि खेती, इंटेलेक्युअल प्रापर्टी, सर्विस बगैरह भी शामिल होने चाहिए, तो हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। आज सदन के सामने सरकार को कहना पड़ेगा कि यह क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी? क्या यह देश के हित में हैं, संविधान के हित में हैं, करोड़ों लोग जो इस देश में बसते हैं उनके हित में है?

जब 1989 में सरकार ने कुमारमंगलम के सवाल के जवाब के बारे में कहा कि हम नहीं करेंगे तो उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम इसको मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अप्रैल 1989 एक टर्निंग पाइंट था। पेरिस कंवेशन में न जाने का सरकार का फैसला था। हिन्दुस्तान के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के थे, जिनमें चन्द्रचूड़जी और हिदायतुल्लाजी शामिल थे, उन्होनें कहा था कि पेरिस कंवेंशन में जाने का मतलब होगा हिन्दुस्तान के उद्योग का खात्मा। लेकिन अब हम अगले महीने की 15 तारीख को उसी करार पर दस्तखत करने जा रहे हैं। पेरिस कंन्वेंशन में जाने का सरकार का जो दृष्टिकोण था, आज सरकार ने उसमें पलटा खाया और उसी के फलस्वरूप हम यहां पर बहस कर रहे हैं।

[अनुवाद]

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चक्र के परिणामों को मूर्त रूप देने वाला अंतिम अधिनियम

[हिन्दी]

मैं सदन के समक्ष उसको पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सामान्य प्रावधान तथा मौलिक सिद्धांत।

[अनुवाद]

दायित्वों की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र :

"सदस्य देश अन्य सदस्य देशों के नागरिकों के साथ इस समझौते के अंतर्गत उपबंध किया

गया व्यवहार करेंगे। संगत बौद्धिक संपदा अधिकार के मामलों में दूसरे सदस्य देशों के नागरिकों को वैसे प्राकृतिक अथवा वैध व्यक्तियों की तरह समझा जायेगा जोकि पैरिस कन्वेंशन (1967) में उपबंध की गई रक्षा की पात्रता के मानदंडों को पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

पैरिस कन्वेंशन का 1 से 12 प्रोविजन जो है, वह हिन्दुस्तान के खिलाफ है, तब सरकार ने ऐसा बोलकर उसमें योगदान करने से मना कर दिया था। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकार के ज्ञान में आजादी और गुलामी में कोई अंतर नहीं है। उस समय वाणिज्य मंत्री दिनेश सिंह थे, जो इस समय विदेश मंत्री हैं।

प्रणव बाबू के प्रीडीसैसर थे और इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या षडयंत्र रचाया गया और उसमें कौन आफिसर्स थे जिनको अप्रैल, 1989 में ब्रीफ किया गया था? ये सारी चीजें आनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से श्री दिनेश सिंह जी को इस सदन में बुलाकर स्पष्टीकरण दिये जाने की मांग करता हूं कि क्या कारण है कि सरकार 1989 तक तो चिल्ला –चिल्ला कर कह रही थी कि हम GATT पर कायम रहेंगे और उसके बाद क्या ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय दबाव था जिससे यहां के आफिसर्स गये? मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट का वह पेज खोलें जिसके कारण यहां पर यह विपत्ति आयी है और उसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। उस समय के वाणिज्य मंत्री सदन में आकर बतायें कि आज इस विषय पर बहस हो रही है और सब को इस षड्यंत्र की जानकारी मिलनी चाहिए। मैंने इस बात की और इस सदन का ध्यान खींचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में कुछ बुनियादी डाकूमेंट का जिक्र करना चाहता हूं। इस संबंध में राजीव गांधी फाउंडेशन के और तत्कालीन वाणिज्य सचिव का एक भाषण का अंश मिला है और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था,

[अनुवाद]

बौद्धिक संपदा अधिकारों की पृष्ठभूमि, भारतीय विचारधारा के संबंधित मानक तथा मुख्य बातें, कार्यक्षेत्र तथा उपयोग – दिनांक 27.7.1989।''

3.06 म.प.

श्री नीतिश कुमार **पीठासीन** हुए

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह बहुत ही दिलचस्प मामला है और मैं उस साजिश का जिक्र कर रहा था जो एक अहम सवाल है।

[अनुवाद]

यह तो इस पेपर के पाठ को पुनः प्रस्तुत करना है जिसे वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव श्री ए वी गणेशन ने उरुग्वे चक्र के अंतर्गत वार्त्ता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया था।

[हिन्दी]

यह पेपर 1989 का है जिसे 1989 में श्री गणेशन द्वारा सब सांसदों को बांटा गया था उसमें

पूर्व सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने सरकार को यह तर्क दिया है जो उल्टा है। अब श्री गणेशन सरकार में नहीं है लेकिन अब गैट के लिये सरकार के प्रवक्ता है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के किसी नागरिक को किसी सुज्ञान व्यक्ति अथवा अन्य किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विषय–वस्तु पर अपना लेख लिख सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जोकि कांग्रेस दल का सदस्य तक नहीं है, सरकार के सिद्धांतों का अनुयायी कहना, उनके पक्ष पर उचित बात नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री रवि राय : मैं सोचता हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं। मैं उनसे मनवाना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल सही हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब वह मान नहीं रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : वह बार–बार "आइडिओलॉग" शब्द का प्रयोग कर रहें हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न भी हो सकता है। वह बार–बार "कोन्सपीरेसी" (षडयंत्र) शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं नहीं समझता कि "कोन्सपीरेसी" (षडयंत्र) शब्द असंसदीय शब्द है। आप इसके बारे में चिन्ता क्यों करते हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रवि राय : सभापति महोदय, हम देश की संप्रभुता के बारे में बहस कर रहे हैं। देश के जीने मरने का यह सवाल है। जो सरकार यहां बैठी है, दो तीन साल पहले ट्रंटानेशन फोरम में जो तर्क यह दे रही थी, उसके खिलाफ तर्क मैं दे रहा हूं। 1989 में जो कह रहे थे, वह देश के माफिक था। मैं आपके जरिये हिन्दुस्तान की जनता के सामने इस चीज को रखना चाहता हूं कि मैंने जिस कोन्सपीरेसी के बारे में कहा है, वह हमारे तर्क से साबित होती है।

उन्होंने कहा है :

> "प्रारंभ में भारत यह कहना चाहेगा कि कार्यसूची की इस मद का कार्यक्षेत्र "व्यापार से जुडे बौद्धिक संपदा अधिकारों" तक ही सीमित है। इस पत्र में जिन कारणों को स्पष्ट किया गया है उन के होते भारत का यह मत है कि यह केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामियों की प्रतिबंधित तथा गैर–प्रतियोगितावादी बातें है जिन्हें व्यापार से जुड़ा हुआ माना जा सकता है क्योंकि केवल इन्हीं से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकृत होता है अथवा इसमें बाधा पड़ती है। तथापि, बौद्धिक संपदा अधिकारों के अन्य पहलुओं की जांच की गई है, चूंकि वार्ता दल को प्रस्तुत किये गये विभिन्न निवेदनों में उन्हें उठाया गया है ताकि उन्हें उस व्यापक विकासात्मक तथा प्रौद्योगिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत रखा जा सके जिससे वे सही ढंग से संबंधित है।"

उन्होंने आगे कहा है :

"अपने औद्योगिक विकास के नाजुक चरण में आज के बहुत से औद्योगिक देशों के पास या तो अपना कोई 'पेटेंट नहीं' है अथवा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके पास कमजोर पेटेंट आदर्श है, जिनसे कि वे अपनी औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक क्षमताओं को मजबूत कर सकें। उन्होंने इन क्षेत्रों में पर्याप्त मजबूती प्राप्त करने के बाद ही अपनी पेटेंट प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार किया था। किसी देश के औद्योगिकरण तथा प्रौद्योगिक विकास के लिये पेटेंट प्रणाली उस देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक अंग होती है। विकासशील देशों के मामले में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि पेटेंट प्रणाली को वहां की औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक क्षमताओं के निर्माण में आड़े नहीं आना चाहिए।"

उन्होनें यह भी कहा है :

"अतः यह अनिवार्य है कि पेटेंट स्वामी के एकाधिकारात्मक अधिकारों की रक्षा का देश की सामाजिक–आर्थिक तथा प्रौद्योगिक आवश्यकताओं द्वारा पर्याप्त समन्वय किया जाये। केवल पेटेंट स्वामी के एकाधिकारात्म अधिकारों पर ही ध्यान देने और मेजवान देश के लिए इसके दायित्वों अथवा ऐसी रक्षा के संभव विपरीत परिणामों की और कोई ध्यान न दिये जाने से विकासशील देशों के विकासात्मक प्रयासों में विशेष रूप से बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ध्यान दिया जाने से औद्योगिक देशों तथा विकासशील देशों के बीच की दूरी बढ़ेगी और यह बात इस दूरी को दूर करने तथा विकासशील देशों की विकासात्मक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किये जा रहे प्रयासों के भी विपरीत जाएगी।"

उन्होनें यह भी कहा है :

"उत्पाद बनाम प्रक्रिया पेटेंट का प्रश्न काफी चर्चा का विषय रहा है। 1960 और 1970 दशकों के मध्य तक बहुत से औद्योगिक देशों के पेटेंट कानूनों ने केवल खाद्य भैषज तथा रसायन के क्षेत्रों में प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति दी थी। इन में से कुछ देशों का इन क्षेत्रों में वर्तमान प्रौद्योगिक बल कुछ हद तक कई दशकों से उनके द्वारा प्रक्रिया पेटेंट प्रणाली अपनाने से जुड़ा हुआ है। आज के औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित कुछ देशों में भैषज तथा रसायन उद्योगों के विकास अस्तित्व उनके द्वारा जान–बूझकर कानूनी ढांचे को अपनाने में निहित है जिसने पेटेंट रक्षा की औषधियों तथा रसायनों के मामले में बाहर रखा अथवा सीमित रखा था।"

[हिन्दी]

सभापति जी, यह 1989 का डाक्यूमेंट है और भारत की बोली इंटरनेशनल फोरम में है। बंसल जी को अच्छा लगता है। उस वक्त जो हिन्दुस्तान का पाइंट आफ व्यू इंटरनेशनल फोरम में रखा गया। यह शो कर रहा है कि यह राय हमारी नहीं है। सदन को इसके बारे में फैसला करना है। वाणिज्य मंत्री जी को इसके बारे में पता होगा कि यह किस का ब्रीफ किया गया था? उस समय के वाणिज्य मंत्री को ब्रीफ किया होगा। 1989 और 1994 में आपको क्या हो गया? आज हम सब की यह सर्वसम्मत राय है कि हम लोगों का भविष्य अंधकारमय है।

ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थायें है .... **(व्यवधान)** .... ईस्ट इंडिया कंपनी महात्मा गांधी के होते भाग गई थी। अब यहां कोई वाइसराय और अंग्रेजों की आर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह महसूस कर रहे हैं कि हम गुलाम हो गये हैं। स्वदेशी का जो हमने नारा दिया, उसको हम भूल गये हैं और वह खत्म होता जा रहा है। क्या ऐसे में यह संसद मूकदर्शक बनी रहेगी। मैं बसंल जी जैसे दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि यह सरकार पलटा खा गई? इसको क्या हो गया है?

मैं आज वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। उन्होनें मल्टी नेशनल कारपोरेशन की बहुत तारीफ की? उन्होंने कहा कि इनके पास अच्छी टेक्नोलोजी है। इसलिए हमने उसको न्योता दिया है। वित्त मंत्री जी को क्या हो गया? मल्टी नेशनल कारपोरेशन ज्यादातर अमरीका के ही है। वित्त मंत्री जी अभी यहां नहीं है। वह मल्टी नेशनल कारपोरेशन्स की तारीफ करके और उन्हें न्यौता देकर अपनी बात कह गये। अमरीका के जो अखबार हैं, बुद्धिजीवी हैं और जो बड़े विद्वान हैं वे मल्टी नेशनल कारपोरेशन्स के चरित्र के बारे में जो कहते हैं, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"1979 में अमरीका के न्याय विभाग ने यह पाया था कि 582 अमरीकी निगमित संगठनों में से 60 प्रतिशत से भी अधिक संगठन किसी न किसी अवैध कार्य जिनमें खतरनाक कार्य दशाएं, कीमतों का निर्धारित किया जाना, कर अपवचन, अनुचित श्रम प्रथाएं, प्रदूषण तथा अवैध घूसखोरी के दोषी थे। हार्वर्ड ग्रेच्यूएट स्कूल आफ बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रकाशन दी हारवार्ड बिजनिस रिवियु द्वारा यह पाया गया था कि निगमित नैतिक कार्यव्यवहार जो कि वर्ष 1961 में निचले स्तर का था, वर्ष 1976 में और आधिक निचले स्तर का हो गया और लगातार नीचे से नीचे गिरता रहा है।

औद्योगिक नेताओं से संबंधित हार्वर्ड व्यावसायिक समीक्षा में कहा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सामान्य प्रथाएं अपनाई जाती है जैसे उपभोक्ताओं को ठगना, राजनैतिक अधिकारियों को रिश्वत देना और काल गर्ल्स का प्रयोग करना। कंपनियों द्वारा निगमित अधिकारियों के 1976 में किए दो पृथक सर्वेक्षणों में पाया गया कि अधिकांश व्यावसायिक प्रबंधक "निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निजी मूल्यों पर समझौता करने के लिए दबाव महसूस करते हैं" जिसके तहत "घटिया स्तर और संभवतः खतरनाक मदें" बेचना शामिल है।

[हिन्दी]

यह अमेरिका के कारपोरेट सैक्टर के बारे में बुद्धिजीवियों की, विद्वानों की और वहां के सारे निष्पक्ष लोगों की राय है, जिसके बारे में वित्त मंत्री जी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि उनको इस देश में बाकायदा आना चाहिए। यह चीज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। बोलते-बोलते वह कह गये कि मल्टीलेटररिज्म इसलिए बेहतर है, क्योंकि बाइलेटरलिज्म में खतरा रहता है, यह जो वित्त मंत्री जी बोलकर गये, उसके बारे मे मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मल्टीलेटरलिज्म के बारे में और बाइलेटरलिज्म के बारे में वह जो बोले, वह यह है कि सुपर-301 और स्पेशल-301 के बारे में हम लोगों की जो राय है, वह राय इसलिए है कि गैट के जो-जो वार्तालाप हुए और अमेरिका

ने जिस तरीके से दबाव डाला, अमेरिका ने शायद शून्य से दबाव नहीं डाला। अमेरिका की राजनीति को जो जानते हैं, अमेरिका की अर्थनीतिक व्यवस्था को जो जानते हैं, वह जानते है कि अमेरिका की राजनीति को वहां की बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रभावित करती हैं। उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में अमेरिका आया और फिर अमेरिका ने दबाव डाला। भारत सरकार ने 1989 में जो जिक्र किया, जिस तरीके से ट्रेड में आकर सारी चीजों को, पेटेंट को, बौद्धिक संपदा को मान लिया। अभी सवाल यह है कि अमेरिका का जो दबाव है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो गैट के पीछे जो षडयंत्र है, जो कान्सप्रेसी है, उसको हम नहीं समझ पायेंगे। उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन है, वह

[अनुवाद]

हाउस वेज एंड मीन्स व्यापार उपसमिति के समक्ष 22 फरवरी को सत्यापन के दौरान औषध विनिर्माता संघ के अध्यक्ष जेराल्ड मोसिंगोफ ने गैट को लागू करने की 10 वर्ष की अवधि के दौरान स्पेशल 301 के तहत कार्यवाही करने पर जोर दिया था मोसिंगोफ ने कहा कि उरुग्वे दौर के तहत तटकर और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा उपबंध (टी आर आई पी एस) लागू करने के लिए विकासशील देशों को जो दस वर्ष की छूट मिली है, उस दौरान उन द्वारा बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों में सुधार करने के लिए प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट का उल्लघंन करने वाले देशों पर दबाव बनाए रखा जाए।

अमेरिका ने 1974 के व्यापार कानून धारा 301 के उपबंध के तहत दबाव डाल कर विश्व में बौद्धिक संपदा सुरक्षा में जो सुधार किया है उसे उद्धृत करते हुए मोसिंगोफ ने कहा कि पी एम ए अमेरिका द्वारा उरुग्वे दौर समझौते को लागू करने की कार्यवाही का समर्थन करता है, लेकिन गैट को लागू करने की दस वर्ष की अवधि के दौरान इस धारा और स्पेशल-301 को कायम रखना या इसके प्रभाव को और बढ़ाना आवश्यक है, मोसिंगोफ ने स्पष्ट किया कि यह इस सहमति के तहत होगा कि अमेरिका इस अनुचित लम्बी क्रियान्वयन अवधि के दौरान ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) के मूल पाठ में निहित औषध सुरक्षा के लिए पेटेंट का उल्लंघन करने वाले देशों में बौद्धिक संपदा सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अन्य प्रयासों पर भी जोरदार कार्यवाही करेगा।

धारा 301 के तहत, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हर वर्ष ऐसे देशों की शिनाख्त करते हैं जहां बौद्धिक संपदा सुरक्षा समुचित नहीं है और वे स्पेशल-301 के तहत जांच के अधीन आ जाते हैं। विदेशों की वरीयता सूची के तहत राष्ट्रों से इस उद्देश्य से वार्ताएं की जाती है कि उनके कानूनों में सुधार हो और अगर इन वार्त्ताओं से संतोषजनक परिणाम नहीं मिले तो अमेरिका व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कम उल्लंघन करने वाले देशों की भी एक निगरानी सूची जारी करते हैं।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मिकी कैन्टर को 18 फरवरी को लिखे एक पत्र में मोसिंगोफ ने अर्जेन्टीना, ब्राजील, भारत और तुर्की को ऐसा देश माना जो अपने व्यवहार, नीति और कार्यो में इस संबंध में कुख्यात है और अपने बौद्धिक संपदा तंत्र में सुधार लाने के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वरीयता वाले दूसरे देश माना जाए।

[हिन्दी]

लोग समझते है कि वित्त मंत्री विद्वान आदमी है, आप उस समय नहीं थे, जब वह आज सुबह यहां कहकर गये कि बाइलेटरलिज्म बढ़िया है। यहां मैंने आपसे जिक्र किया कि किस तरह से जो अमेरिका के मल्टी नेशनल कारपोरेशन के सबसे बड़े नेता है, यह जैसे ट्रेड रिप्रेजेण्टेटिव्ज को निर्देश दे रहे हैं कि खबरदार, हिन्दुस्तान को तुम रखो। आप जानते हैं कि एक बार हिन्दुस्तान के खिलाफ सुपर-301 लागू हो चुका है, क्रायोजेनिक इंजन के न देने के बारे में। रूस ने जो टैक्नोलोजी नहीं दी, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, यह आपको पता है, देश को पता है।

सवाल यह है कि बाइलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म के बारे में जो जिक्र किया और जानबूझकर वित्त मंत्री ने सदन को और देश को गुमराह किया, इसलिए कि हम गैट को मान चुके हैं और 301 की आवश्यकता नहीं रहेगी हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। सही बात यह है कि अमरीका जापान के खिलाफ लागू करने के लिए एलान कर चुका है, तो हिन्दुस्तान के बारे में तो पहले से ही है। सवाल यह है कि सीमित लक्ष्य के लिए प्रैशर में आ कर हमारे खिलाफ 301 लागू नहीं होगा और बैनिफिट आफ डाउट दे दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि अमरीका अमरीका है और वे कभी इसमें नहीं आयेंगे और जो उनके देश के हित के लिए जो होगा,उसको करते जायेंगे, लेकिन हमारी सरकार हमारे देश के हित को नहीं देखती है। तकलीफ इस बात की है भारत सरकार अमरीका के हित को ज्यादा देखती है, बनिस्पत हिन्दुस्तान के हित के। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस तरह से मल्टीलेटरलिज्म और बाइलेटरलिज्म का जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री जी जो कह रहे है, वह निराधार है और अमंरीका हिन्दुस्तान के खिलाफ रिटेलिएशन करने के मूड में है और वह करता जाएगा। बावजूद इस बात के कि भारत सरकार साष्टांग भी करे, लेकिन वे अपना काम करते चले जायेंगे।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, तीसरी दुनिया के देशों में जहां–तहां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां गई हैं, वहां क्या–क्या हुआ है। इसके दो नतीजे निकले हैं, एक दुर्भिक्ष और दूसरा एकछत्रवाद। इसलिए मैं इस चीज को उठा रहा हूं और यह हमारे सांसदों के समक्ष आना चाहिए। पन्द्रह–सोलह साल पहले चिली में प्रजातांत्रिक सरकार थी और वहां वोट के जरिए अलिन्दे राष्ट्रपति बने थे। श्री अलिन्दे बड़े क्रांतिकारी थे, उनके खिलाफ साजिश की गई, सी. आई.ए .पैप्सी कोला और सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में तांबे की खान का राष्ट्रीयकरण करने के लिए वायदा किया था। इससे पहले कि वे उस पर कार्यान्वयन करते, अमरीका को लगा कि यह बात है, तो अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद है चिली में, वे इस काम को कैसे कर लेंगे। नतीजा हुआ कि श्री अलिन्दे का प्रैजिडेंशियल पैलेस में मर्डर कर दिया गया। हिन्दुस्तान में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानते है, तो भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में जिम्मेदार है। उसका मैंनेजिंग डायरेक्टर क्लिंटन के संरक्षण में वाशिंगटन में बैठा है। भोपाल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया है कि उसको पेश करो। हिन्दुस्तान की मजिस्ट्री आफ लॉ का तकाजा है कि एन्डरसन को पेश किया जाए, जो कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन है। कहा जाता है कि सी बी आई देख रही है। मैं पूछता हूं, क्या यह सी बी आई के बस की बात है। यूनियन कार्बाइड पहले ही हजारों लोगों को अपंग और मार चुकी है। फिर भी

हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे है और वित्त मंत्रीजी बार–बार दोहराते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनीज हमारे देश में अमुक–अमुक काम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनीज जिस देश में जाती है उस देश को तबाह कर देती है। लेकिन भारत सरकार की समझ दूसरी है।

सभापति महोदय, एक और बात मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। यह एक किताब है, जिसका नाम है "एनफ इन एनफ" जो डेवीशल एल बुडो की है, जो तीसरी दुनिया का व्यक्ति है। इसके अंदर उस पत्र के बारे में लिखा गया है जो पुस्तक का नाम 'एनफ इज एनफ' है। इसे श्री डेवीसन एल बुडो ने लिखा है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक श्री कैमडेसस को श्री डेवीसन एल बुडो द्वारा लिखे एक पत्र से उद्धृत कर रहा हूं:

> "बारह वर्ष से अधिक समय के बाद और कोष के सरकारी कार्य के तहत 1000 दिनों तक आप द्वारा प्रस्तुत हल और चालों को लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा अफ्रीका में सरकारो और लोगों के समक्ष रखने के बाद आज मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्टाफ से इस्तीफा दे दिया। मेरे लिए यह इस्तीफा बहुत बड़ी मुक्ति है क्योंकि इसके साथ ही मैंने उस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है जहां मैं समझता हूं कि मैं लाखों गरीब और भुखमरी के शिकार लोगों के खून में अर्थात उनकी तकलीफों में अपने हाथ लिप्त होने से बच सकूंगा।"

कैमडेसस महोदय उनकी तकलीफें बहुत ही अधिक है। उनकी तकलीफें मुझे प्रभावित कर रही है और कभी–कभी मैं महसूस करता हूं कि मैंने आपके और आपके पूर्ववर्ती के नाम से और आपकी सरकारी सील के तहत जो कुछ किया उससे छुटकारा पाने का कोई साधन विश्व में नहीं है।

[हिन्दी]

यह मैंने इसलिए पढ़ कर सुनाया, ताकि माननीय सदस्यों को पता लगे कि आई एम.एफ. विश्व बैंक, एशियन डेवलमेंट बैंक, गैट आदि जो 4-5 संगठन है, ये जी–7 देशों के हाथ के हथियार है और विश्व में हिन्दुस्तान जैसे तीसरी दुनिया के देशों का शोषण ही नहीं, उनको तबाह करना चाहते हैं। हमारी सरकार के चलते हम लोग इन चीजों का शिकार होते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, आज संसद आते समय एक और सनसनी खबर हमको "हिन्दु" में पढ़ने को मिली, जिसमें बार कौंसिल के उपाध्यक्ष ने शंका व्यक्त की है कि अमरीका के लीगल प्रोफेशन के लोग यहां आकर अपने आफिस खोलेंगे और उन्होंने सरकार से मांग की है कि ग्लोबोलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण के चलते सारी विदेशी चीजों को बढ़िया न समझा जाए। क्या देशी चीजें घटिया है, क्या देशी मनुष्य भी घटिया है। जिस तरह से सरकार हमारी बौद्धिक संपदा को खत्म करके हमारी इंटेग्रिटी को खत्म करने जा रही है, इसका क्या कारण है? हम लोगों को स्पष्ट याद रखना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी शक्ति है। इसकी सिर्फ विद्धतापूर्ण जानकारी से काम नहीं चलेगा, इसमें हमारी कनविक्शन होनी चाहिए। आज सोवियत यूनियन के विघटन के बाद नए वर्ल्ड आर्डर के बारे में सोचा जा रहा है। पहले इस बारे में बुश कहते थे, अब क्लिंटन कहते है। इनकी मानसिकता, इनकी फिलासफी को जानना चाहिए, तभी हम गैट ट्रीटी को ठीक ढंग से समझ पाएंगे।

कल एक माननीय सदस्य ने बताया कि क्लिंटन से पहले जो बुश राष्ट्रपति थे, वे कहते थे कि वे किस तरीके से इस दुनिया को खुद के चंगुल में लेने के लिए काम करते थे। इसके बाद क्लिंटन और बुश में कोई अंतर नहीं रहा। श्री बुश ने एक ब्यान में कहा था।

[अनुवाद]

श्री बुश ने विश्व व्यापार सप्ताह के एक समारोह के दौरान कहा कि तटकर और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत उरुग्वे दौर को वार्ता पूरी करना इस वर्ष उनके लिए उच्चतम व्यापार वरीयता थी।

श्री बुश ने कहा कि एक सफल गैट समझौता

– कृषि व्यापार में सुधार लाए जो कि समुचित रूप से गैट नियमों के तहत नहीं है और व्यापार संबंधी रूकावटों, राजसहायता और समर्थन द्वारा विकृत हो जाता है। हमें मौलिक कृषि सुधार की जरूरत है।

– तटकर में काफी कमी करके बाजार प्रवेश का विस्तार करें।

– व्यापार को विकृत करने वाली सरकारी राजसहायता बंद करें।

– यह सुनिश्चित करें कि इसके नियम विकासशील देशों पर भी लागू हो।

– गैट के तहत अभी शामिल नहीं हुए सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा क्षेत्रों जैसे नए व्यापार क्षेत्रों के लिए उचित नियम बनाए जाएं और

– व्यापार संबंधी विवाद सुलझाने के लिए एक प्रभावी तरीका अपनाएं।

श्री बुश ने अमेरिका के व्यापार साथियों का अगले सप्ताह पेरिस में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की बैठक तथा जुलाई में हयूस्टन में सात औद्योगिक देश के आर्थिक सम्मलेन के दौरान गैट वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए कहा।"

[हिन्दी]

मेरा यह कहना था कि यह असली चीज है, इसको समझ लें और हम सारी चीजों को देखें कि जिस तरीके से हमारे देश में यह जो गैट ट्रीटी साईन होने के लिए जा रही है, वह हम लोगों के लिए फांसी की रस्सी जैसी है। इसको नजरअंदाज करेंगे तो मुख्य चीज को हम नहीं समझ पायेंगे। किस तरीके से हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। मेरे एक सवाल के जवाब में कहा गया था :

(क) क्या **लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स** ने आनन्द बाजार समाचार पत्र ग्रुप के साथ सहयोग का करार किया है;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों समाचार पत्रों ने भारत में एक संयुक्त उपक्रम कंपनी दर्ज कराई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कंपनी ने अपना प्रकाशन शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।

[हिन्दी]

(व्यवधान) देश में एक तर्क चला पड़ा है कि क्या विदेशी अखबार की शाखाएं हिन्दुस्तान में आकर काम करेंगी। यहां के विद्वानों को एतराज है कि सरकार सफाई नहीं दे रही है कि क्या करना चाहते हैं? मेरे सवाल के जवाब में कहा गया है।

[अनुवाद]

भारत सरकार को एक प्रस्ताव मिला है जिसमें एक आर्थिक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए दी फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड आफ यू. के. और आनन्द बाजार पत्रिका द्वारा एक संयुक्त उपक्रम कंपनी, "दि फाइनेशियल टाइम्स आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा ऐसी कंपनी के गठन की अनुमति अभी तक नही दी गई है।"

[हिन्दी]

सरकार सफाई से नहीं कह रही है। 1955 में जब जवाहर लाल जी प्रधान मंत्री थे और सरकार का पालिसी डिसीजन था कि तुम हिन्दुस्तान में विदेशी अखबार नहीं लाना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कायम रहे लेकिन आनंद बाजार पत्रिका चाहेगी कि हम फाइनेशियल टाइम्स आफ लंदन के साथ कोलेबोरेशन करेंगे। अभी सरकार सफाई से नहीं कह रही है कि हमने यह नहीं किया है लेकिन आगे चलकर उनके साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह संविधान की धाराओं के खिलाफ है। हमारे अखबार हमारी संस्कृति का द्योतक है और यह चीज हिन्दुस्तान के लिए नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आनंद बाजार पत्रिका की एक लाख कापियां चित्त बसु ने जला दी।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैंने सही कार्य किया है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : आज संसद को फैसला लेना चाहिए। क्या यही होगा कि हम पिटे–पिटाये रास्ते पर ही चले और यहां केवल भाषण देते रहें, जबकि सब जानते हैं कि मंत्रीजी क्या करने वाले हैं। हमें बताया जाये कि मोरक्को में 15 अप्रैल को मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने जा रही है, वहां भारत सरकार क्या करने जा रही है? भारत सरकार के अभी तक के रूख से पता चलता है कि वह संकल्पबद्ध है कि हिन्दुस्तान के लोगों के एतराज के बावजूद हमें राष्ट्रीय आंदोलन में जो तीन चीजों स्वदेशी स्वराज, स्वाबलम्बन और रोजगार मिली थी, उनको नजरअंदाज करके वह देश की प्रभुसत्ता को गिरवी रखेगी।

3.41 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम लोग कोई राष्ट्रीय सहमति के आधार पर देश के भविष्य को देखकर, संविधान के मूल्यों को देखकर फैसला करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी कहता हूं कि किस आधार पर हम लोग फैसला करने जा रहे है। आज शाम इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। कोई भी विवेकी आदमी जो राष्ट्र से प्रेम करता है कतई नहीं कहेगा कि गैर ट्रीटी और जो बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरूग्वे चक्र के परिणामों को मूर्त रूप देने वाला अन्तिम अधिनियम है यह देश के हित में है। जब यह देश के हित में नहीं है तो सवाल यह है कि सरकार को फिर क्यों इस पर दस्तखत करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। लेकिन हम इसे पेंच को खोल नहीं पा रहे हैं कि सरकार क्यों इसके लिए और इसको करने के लिए कटिबद्ध है। हमने संसदीय प्रजातंत्र को देश में कायम किया है। इस संसद से बाहर जाकर हम देश के लोगों के लिए कोई जबाव नहीं ढूंढ पायेंगे। मेरे दिमाग में यह चीज घूम रही है कि हमें क्या करना है। कल हम जब देश के लोगों के बीच, अपने–अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो इस संसद से क्या मैसेज लेकर जायेंगे? इसलिए पहला सुझाव यह है कि इस पर कतई दस्तखत नहीं करने चाहिए। लेकिन सब लोग जानते है कि हम लोगों की बहस को नजरअंदाज करके दस्तखत किये जायेंगे।

सरकार यह बताये कि इसके चलते संसद 1970 के पेटेंट लॉ में क्या परिवर्तन करेगी? हम जानते हैं कि सरकार उसमें बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग जो पहले कानून बना चुके हैं, अब सरकार के पास कोई तर्क नहीं है कि वह कहे कि 1970 का पेटेंट लॉ देश के खिलाफ है। हम लोगों के सामने सरकार उस कानून को बदलने के लिए आयेगी।

मैं कांग्रेसी सदस्यों से कहूंगा कि इस पर मतैक्य हो कि सदन एक राय से कहेगा कि हम इसको नहीं मानेगी और 1970 के पेटेंट लॉ में परिवर्तन नहीं करेंगे। इससे दुनिया को मैसेज जायेगा कि 1970 का पेटेंट लॉ देश के हित में हैं, लोगों के हित के लिए है। वह हमारी बौद्धिक संपदा की देखभाल कर रहा है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की देखभाल कर रहा हूं, हम इसमें कोई तरमीम नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि जब हमारी संसद इस बात से इंकार कर दे तो गैट के 117 देश भी इस बात को सोचे कि वे भी 1970 के पेटेंट कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह ठोस सुझाव आपके माध्यम से सदन के सामने रख रहा हूं। इस मामले में सदन का मतैक्य होना चाहिए और यह सर्वसम्मति से हो ताकि गैट जो डब्ल्यू टी ओ में परिवर्तित हो जायेगा, इस बात को सोचेगा कि जब हिन्दुस्तान की संसद ने इंकार कर दिया है तो इस लेजिस्लेशन में परिवर्तन करने के लिए न सोचें।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे दिल से इस समझौते पर दस्तखत न किये जाने की मांग करता हूं और साथ ही आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस – चर्चा के लिए उपलब्ध समय बहुत सीमित है और अनेक मुद्दे उठाए गए है। अगर हम थोड़ा कम समय लें तो इससे बहुत मदद मिलेगी। यह सिर्फ श्री बंसल पर नहीं बल्कि सभी पर लागू होता है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपकी टिप्पणी का आदर करूंगा। लेकिन इस मामले पर सीमा न लगाएं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास समय को बढ़ाने की कोई व्यवस्था है, तो ठीक है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय इस वाद–विवाद का प्रयोग इसलिए होना चाहिए था कि उरुग्वे चक्र की बहुपक्षीय वार्ता के परिणामों को मूर्त रूप देने वाले इस अंतिम अधिनियम से अधिकतम लाभ उठाने और इससे उत्पन्न किसी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के की रणनीति तैयार होनी चाहिए थी, लेकिन यह तो सरकारी नीतियों के खिलाफ तर्क बन गया है। यह आरोप लगाया गया है कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का समर्पण कर दिया गया है और अनेक शताब्दियों पूर्व विद्यमान स्थिति से इसकी तुलना की जा रही है, जबकि यह भुलाया जा रहा है कि उस समय हमारे अंदर वह ताकत नहीं थी जो आज है। जोकि लम्बे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमने अर्जित की और गत 47 वर्षों में इसे और मजबूत किया है।

उरुग्वे दौर की वार्ता 1986 में शुरू हुई, उसके बाद चार सरकारें आई दो कांग्रेस की और दो गैर कांग्रेसी। लेकिन इन वार्ताओं के प्रति हमारे रवैये में निरंतरता बनी रही है। आज श्री चन्द्रशेखर जी या वी पी सिंह जी के साथी यह स्वीकार न करें। लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमे विश्वास है कि देश के लिए यह रास्ता सही था। श्री रवि राय जी ने श्री गणेशन के 1989 के एक लेख तथा उन द्वारा हाल ही में लिखे लेख का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि उरुग्वे दौर के अंतिम परिणाम में कुछ षडयंत्र था। मैं विनयपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि श्री गणेशन के 1989 के लेख से यह सिद्ध होता है कि हमारे वार्ता दल ने देश के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। निःसंदेह हम एक ऐसे मंच पर थे जहां 177 अन्य देश कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे और ऐसी स्थिति में अंतिम परिणाम किसी एक पक्ष के लिए पूर्णतः लाभप्रद नहीं हो सकता था। यह स्वाभाविक है कि आज सदस्य देशों को यह अनुमति नहीं है कि अंतिम अधिनियम के कुछ भागों का ही चयन करें।

इस परिपेक्ष्य में, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध की यह कुस्वरता से यह आभास होता है कि पदार्थ उद्देश्य की बजाय राजनैतिक कारणों से यह कार्यवाही हो रही है। किसानों में यह भय उत्पन्न किया गया है कि गैट उनके लिए तबाही लाएगा और मौजूदा कृषि राजसहायता समाप्त कर दी जायेगी अथवा इसमें काफी कमी कर दी जायेगी। यह तो सच का उपहास करना है। मैं इसकी कुछ विशेषताओं को उल्लेख करना चाहता था। लेकिन आपकी टिप्पणी को ध्यान में रखकर मैं इन्हें छोड़कर यह कहूंगा कि भू राजस्व कुछ ऋणों के बारे में कल श्री जसवंत सिंह की टिप्पणी ठीक नहीं है। हम किसानों को जो राजसहायता अब दे रहे है और इस बारे में गैट में जो सीमा लगाई गई है, उसके तहत हम जो राजसहायता वास्तव में उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, इनमें बहुत अंतर है और इसे देखते हुए राजस्व में कोई भी छूट इस स्थिति में कोई भिन्नता नहीं लाएगी। जहां तक ऋणों का संबंध है, तो मैं कहूंगा कि ये राजसहायता में शामिल नहीं है।

न्यूनतम बाजार प्रवेश की वचनबद्धता के प्रावधान पर भी गलत व्याख्या करके लोगों के दिमाग में यह भय उत्पन्न किया गया है कि हमारे देश में विदेशी माल बहुत अधिक मात्रा में आ जाएगा। इस संबंध में भी विपक्ष में हमारे मित्रों की यह भ्रांति गलत ही है क्योंकि इस प्रावधान के तहत सरकार किसी भी अनिवार्य निर्यात के लिए बाध्य नहीं होगी। मैं कहूंगा कि ऐसे आग्रह कथन से

इस अंतिम अधिनियम को उचित रूप से समझने की कमी का पता चलता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में मैं वाणिज्य संबंधी विभागीय समिति की रिपोर्ट से उद्धृत करते हुए श्री जसवंत सिंह के कल के कथन का उल्लेख करता हूं। मैं उद्धृत करता हूं:

[अनुवाद]

"समिति का यह विचार है कि गैट सचिवालय से इस बात का स्पष्ट करा लिया जाना चाहिए कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किसी भी प्रकार का वर्तमान् समय में तथा भविष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

ठीक ऐसा ही किया गया है। श्री मणिशंकर ने अंतिम अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों से जुड़े पाद–टिप्पण के बारे में व्यापक तर्क दिये थे और यह कहा था कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किन्हीं भी परिस्थितियों में बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सभी को यह समझना चाहिए कि पी डी एस को दी जाने वाली राज–सहायता किसी भी हालत में कृषि राज–सहायता नहीं है बल्कि उपभोक्ता राज–सहायता है।

जब हम गैट के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हैं कि आज हमें अवसर दिया जा रहा है कि हम विश्व बाजार में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं और अपने निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं तो मुझे दुख होता है। कीमतें हमारे किसानों के लिये सर्वोत्तम प्रोत्साहन बन जायेगी।

उस सूरत में, किसानों को बीजों की नई किस्म के लिये जो थोड़ा बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है, उसका महत्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। हमें जो ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देती है कि किसानों को अपनी उपज के कुछ हिस्से को आगामी फसल उगाने के लिए रखने का अधिकार समाप्त हो जायेगा, बिल्कुल गलत है। ऐसा मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज पातः काफी भ्रम पैदा किया जा रहा था। लेकिन इस पर मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहूंगा कि मैं केवल यह चाहता हूं कि हम प्रमाणित बीजों और उपज के बीच के अंतर को समझते हैं। सरकार ने इस बात को काफी हद तक स्पष्ट किया है कि हमारे किसानों को फसल के एक भाग की आगामी उपजों के लिये अपने पास रखने के पारम्परिक अधिकार बीजों की अदला–बदली करने और उन्हें बेचने के अधिकार में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इस अधिकार में किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

बहुत से माननीय सदस्यों की तरह श्री रविराय भी सुई जेनरिस के खंड का जिक्र कर रहे थे और राय व्यक्त कर रहे थे कि हमारे देश के लिए यू.पी.ओ.वी. की कन्वेंशन 1991 पाठ की ओर उन्मुख होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। यदि आप अंतिम अधिनियम को देखें, तो आप यह देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सन्धि को चुनौती देने का कोई इरादा हुआ है, ऐसी तीन सन्धियों के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। इस मामले में यू पी ओ वी को लेकर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है और आज यहां पर यह कहना अधिक उपयोगी होगा कि हमारी सुई जेनरिस प्रणाली को 1991 पाठ का अनुकरण करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे प्रभावी होना पड़ेगा ताकि पौधे को तैयार करने वालों के अधिकार व इसके साथ–साथ किसानों तथा अनुसंधानकर्ताओं के कानूनी अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित किया

जा सके। लेकिन यदि वैसी स्थिति पैदा होता है, यदि आरोप लगाया जाता है तो केवल तभी यह प्रश्न पैदा होगा और केवल तभी इस निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा कि क्या कानून प्रभावी है अथवा नहीं। आज मैं विनम्रता से यह कहूंगा कि इस मुद्दे को उकसाने से लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो जायेगा। जैसा कि पहले भी कहा गया था, यदि हम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि गैट के हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ेगें, तो इसमें हमारे देश के लोगों का मनोबल गिर जाएगा। उससे वैसी स्थिति नहीं बन सकेगी और वैसे अंतिम लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे जैसे कि हमें इस समझौते से प्राप्त होने जा रहे हैं

मैं इस बात पर श्री रविराय जी से सहमत हूं कि हमें अपने 1970 के पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय वह 1989 में तथा 1985 में सरकार द्वारा दिये गये उत्तर का जिक्र कर रहे थे कि पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो मुझे इनमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया क्योंकि उस समय वैसी स्थिति भी हम कई वर्ष आगे के बारे में नही सोच सकते थे कि बातचीत का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा और हमें अपने अधिनियम में किस तरह के संशोधन करने होंगे।

आज दुनिया का यह मत है कि हमारे पास व्यावहारिक तौर पर विशेषकर खाद्य भैषजों तथा रसायनों के क्षेत्र में कोई पेटेंट कानून नहीं है। महोदय हर कोई इस बात को जानता है कि एक अणु को बनाने में सैकड़ों हजारो डालर खर्च करने पड़ते है, और महोदय, यदि पेटेंट को 20 वर्ष की अवधि दी जाती है, तो इससे हमारे लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि एक अणु को प्रयोगशाला से चलकर कैमिस्ट की दुकान तक जाने में 10 से 12 वर्ष से भी अधिक समय लगता है। हम जानते है कि ऐसे प्रावधान भी है और हमारे लिए ऐसा भी संभव हो सकता है कि किसी मामले विशेष के गुणों के आधार पर लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया जाये और यहां तक कि अस्पतालों में निःशुल्क वितरण के लिये विभिन्न औषधियों का उत्पादन गैर–वाणिज्यिक आधार पर कर दिया जाये।

महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन प्रावधानों का विरोध करके वे लोग वास्तव में विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं।

4.00 म.प.

क्या हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि यद्यपि हमें विद्वानों, प्रतिभाओं और मानव संसाधनों पर गर्व है तथापि हम उनके मौलिक अनुसंधान के लिए उन्हें पुरस्कार तथा मान्यता प्राप्त करने के अधिकार का विरोध करते हैं। क्या हम विश्व को केवल यह बताना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में साहित्यिक चोरी की वकालत करते हैं। महोदय, कल श्री जसवंत सिंह जी की बात को सुनकर मुझे हैरानी हुई। वह पेटेंट के प्रश्न का जिक्र कर रहे थे और यह कह रहे थे। इससे हमारे प्रभुता संपन्न आर्थिक क्षेत्र पर क्रूर आघात पहुंचेगा। मैं पूरे आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि "ट्रिप्स" के बारे में किया गया समझौता उन सभी आविष्कारों, नई औषधियों पर लागू होगा जिनके बारे में समझौता लागू होने के बाद आवेदन किया जाता है। इसका यह अभिप्राय है कि आज हम जिस प्रकार को अपना रहे है, उसे हम अगले दस वर्षो तक भी जारी रख सकते हैं।

महोदय, चूंकि आपने समय की चेतावनी दी है, इसलिए मैं चाहते हुए भी किसी अन्य विषय

पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं विनम्रता से विपक्ष के इस दावे का खंडन करता हूं कि नये समझौतों का अथवा प्रस्तावित विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाने से राष्ट्रीय हित, राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता अथवा अन्य किसी चीज के साथ कोई समझौता करना होगा। इसे तो कल किया जाना चाहिए था और आपका आज चर्चा के दौरान यह कहना कि इससे भारत का संविधान क्षीण हो जाएगा, तो मैं पूरे आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात निराध ार और अवांछनीय है।

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 का वही अर्थ लिया जाता रहेगा जैसाकि विगत 40 वर्षों में किया जाता रहा है। उरुग्वे दौर के कारण राज्यों के किसी भी संवैधानिक अधिकार का उतना हनन नहीं होगा जैसाकि अनुच्छेद 162 के अंतर्गत दिये गये अधिकार का हनन होगा। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि भारत सरकार किसानों व मजदूरों के हितों की रक्षा करने की राज्यों की क्षमता को क्षीण कर देगी। वित्त मंत्री महोदय ने इस पहलू पर सविस्तार चर्चा की है और मैं इसी बात को बार-बार नहीं कहना चाहूंगा बल्कि मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि डंकल प्रारूप, गैट तथा सरकार की निंदा करने की हमारी उद्विग्नता में वास्तव में हमें विश्व में उभरते आर्थिक परिदृश्य पर विचार करने की हमारी आवश्यकता से तथा यह देखने से पथ भ्रष्ट कर दिया है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें कौन सी प्रतिक्रियाओं का सामना करना होगा।

निराधार संदेह उत्पन्न करने से हमारी प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि गैट की समग्र रूप से समीक्षा की जाये, तो इसमें हमें हानियां कम और लाभ अधिक होंगे। हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप करना तो दूर रहा, इससे हमें वस्त्र, बीजों तथा जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये अवसर मिलेंगे। हम अपनी औषधियों तथा रसायनों के निर्यात में कम टैरिफ पर वृद्धि कर सकते हैं।

आज के विश्व में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की अज्ञात दर तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक हितों के साथ हमें असंगत सिद्धांतों पर चर्चा करके लाभ की आशा नहीं कर सकते। हमें विश्व की बदलती वास्तविकताओं का उत्तर देना होगा। हमें प्रतियोगिता के भय से छिप कर नहीं रहना चाहिये। हम अपनी आर्थिक शक्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम इस बात को भली भांति समझना चाहिए। यदि हम अन्य राष्ट्रों के साथ मजबूती से तथा गर्व से खड़े होना चाहते हैं, तो हमें गैट द्वारा सौंपी गई नई चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और नये अवसरों को अपनाना होगा। महोदय, यह जो वर्तमान प्रौद्योगिकी अंतर .... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : बसंल जी, हमें 6.00 म.प. तक चर्चा समाप्त करनी है।

श्री पवन कुमार बंसल : क्या मैं केवल एक अंतिम वाक्य बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां,

श्री पवन कुमार बंसल : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी, मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

04.05 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) एल.टी.टी.ई. के साथ कथित सौदेबाजी

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : कल, 27 मार्च, 1994 के 'सनडे' मैगजीन से 'प्लेइंग विद दी टाइगर्स' शीर्षक के अंतर्गत छपे एक समाचार का इस सभा में उल्लेख किया गया था। मैंने इस लेख को पढ़ा है, जिसका कि सरकार द्वारा 28 मार्च, 1994 को खंडन किया गया था।

संक्षेप में, इस समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध ने हाल ही मे प्रधानमंत्री महोदय की इंग्लैंड यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के बारे में एल.टी.टी.ई. से कुछ गांरटी हासिल करने के लिए संपर्क स्थापित किया है तथा इस स्कन्ध ने एल.टी.टी.ई. के साथ कोई ऐसी सौदेबाजी की है कि इसकी गतिविधियों पर से भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा दिया जायेगा।

मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि कथित लेख बिल्कुल निराधार एवं पूर्णतः शरारतपूर्ण है। एल.टी.टी.ई. के साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया गया है। एल.टी.टी.ई. की गैर–कानूनी गति–विधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसा कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि सरकार एल.टी.टी.ई. सहित ऐसे किसी भी संगठन से प्रतिबंध हटायेगी, जिसकी कि गतिविधियां लगातार गैर–कानूनी हों। .... **(व्यवधान)** ....

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। सरकार को निर्देश दें, इससे पहले कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो, कि कुछ बताएं। .... **(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

श्री चेतन पी. एस. चौहान (अमरोहा) : कल एक मेजर जनरल एवं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मार दिया गया है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। वह देश की सुरक्षा का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप हाउस में नहीं थे और जो मैंने कहा, सुना नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी तो हाउस को नहीं हैं। पहले ही कह दिया गया है कि वह स्टेटमेंट करें।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : मैं गृह मंत्री महोदय से एल.टी.टी.ई. पर प्रतिबंध लगाये जाने की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। एल.टी.टी.ई. पर प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी करने के बारे में क्या स्थिति है।

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : यदि माननीय सदस्य मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य का अध्ययन करें, तो वह इस वक्तव्य का अर्थ समझ पायेंगे। मुझे इसमें केवल इतनी – सी परेशानी है कि इस प्रयोजन के लिए एक न्यायाधिकरण गठित किया गया है, जोकि इस बात की जांच करेगा कि किसी संगठन को गैर–कानूनी घोषित करने के कार्य का निपटान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त सामग्री है अथवा नहीं। यह सब कुछ हमें राज्य सरकार से जो सामग्री मिलती है, उस पर निर्भर करता है .... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इस सभा में नहीं किया जाता है। हम किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मांगने पर अनुमति नहीं देते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

04.07 म.प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे चक्र के परिणामों को मूर्त रूप देने वाला अंतिम अधिनियम - जारी

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य जी बोल सकती है।

मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि सी.पी.एम को बोलने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया था तथा इस पार्टी ने पहले ही 58 मिनट का समय ले लिया है। सी.पी.एम. पार्टी के सदस्यों को अब जितना भी समय बोलने के लिए दिया जा रहा है, वह उनको आबंटित–समय से अधिक है। 12 घंटों में से, दलों को बोलने के लिए समय उनकी सभा में संख्या के अनुपात में आंबटित किया जाता है और इस सूत्र के अनुसार आपके दल को बोलने के लिए 45 मिनट का समय मिलना चाहिए था। आपके दल के सदस्यों ने पहले ही 58 मिनट का समय ले लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप देर रात तक बैठने को तैयार है? मैं इस मुद्दे पर बोलने के बारे में आपकी चिंता को समझ सकता हूं। लेकिन हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप विषय से संबंधित ही कहेंगे तथा जिन मुद्दों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उन्हें नहीं दोहरायेगें। बातों को बार–बार दोहराने से हमे बिल्कुल कोई लाभ नहीं होता है। यदि आप कोई नई बात कहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। लेकिन यदि कोई नई बात नहीं है, तो कृपया पुरानी बातों को मत दोहराइये।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : एक ही विषय पर उन्हीं मुद्दों को बार–बार दोहराने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है बातों को बार–बार दोहराने के लिए आपको असीमित समय की जरूरत पड़ेगी।

श्री पवन कुमार बंसल : समूचे समय में से दल को आबंटित समय के अनुसार हरेक सदस्य को बराबर–बराबर समय बोलने के लिए दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से ऐसा ही किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को आवंटित समय से अधिक समय बोलने के लिए मिल चुका है। यदि आपको इसको हिसाब चाहिए, तो मैं यह हिसाब–किताब दिखा सकता हूं।

इस बारे में व्यथित मत होइये। यदि कोई नये मुद्दे उठाने होते, तो मैंने आपको बोलने की अनुमति दे देनी थी।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बोलने वाले के ऊपर है, वह उसी प्वाइंट को इस अंदाज में रख सकता है कि सुनने वाले को लगे कि यह नया प्वाइंट है।

अध्यक्ष महोदय : नीतिश कुमार जी, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। फिर आप समय मांगेगें और मैं दे नहीं पाउंगा, क्योंकि आप दोनों तरफ से बोलते है, दोनों तरफ से ढोलक बजाना चाहते हैं तो मुश्किल हो जायेगा। आप ज्यादा समय भी मांगेगे और नियमानुसार भी काम करना चाहेंगे, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते।

श्री नीतिश कुमार : कोरम भी तो हम लोग ही पूरा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मंत्रियों, जिन्होंने कि आज अपनी जबान खोली है – को अपनी जबान खोलने के लिए धन्यवाद देने से अपनी बात शुरू करूंगी, यद्यपि उन्होंने ऐसा काफी देर से किया है। क्योंकि अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर 15 दिसम्बर को किये गये थे। उसके बाद जनवरी एवं फरवरी का महीना बीत चुका है। मार्च के भी नौ दिन बीत चुके हैं तथा अब हम मूर्ख दिवस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि 15 अप्रैल को जब इस करार पर हस्ताक्षर होंगे, तो वह दिन भारत के लिए मूर्ख दिवस सिद्ध न हो। सरकार ने अपनी ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दस्तावेजों में जो लाभ मांगे गये थे, क्या वह उसे प्राप्त हो गए है? हम यह महसूस करते हैं कि इस अंतिम चरण में भी दृढ़ता से काम लेने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की पर्याप्त गुजांइश है। हम चाहेंगे कि इस संसद से राष्ट्र को यह संदेश जाना चाहिए कि अभी भी सरकार कम से कम देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प किये हुए है।

सरकार ने कभी भी अपनी ओर से इस विषय पर खुले मन से बात नहीं की है। सरकार ने दबाव डाले जाने की स्थिति में, तो इस विषय पर बात की है। मुझे अत्यधिक समादर महसूस हुआ है कि वित्त मंत्री महोदय ने कम्युनिस्टों की कड़ी आलोचना करके यह कहना उचित समझा है कि इस समझौते के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व कम्युनिस्टों अथवा स्टालिनवादी ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन, मैं अपनी पार्टी अथवा कम्युनिस्टों की ओर से इतना अधिक दावा नहीं कर

सकती क्योंकि हमने यह देखा है कि संसद में न केवल वामपंथी विपक्ष बल्कि अन्य विपक्षी दलों के साथ–साथ संसद के बाहर भी इस गैट समझौते का तीव्र विरोध हो रहा है। अर्थशास्त्रियों, न्यायविदों, वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी–वेत्ताओं ने भी इस समझौते की कटु आलोचना की है। इस समझौते का विरोध न केवल इस देश की जनता ने किया है, बल्कि दक्षिण कोरिया, जापान तथा मेक्सिको तक के लोगों ने भी इसका विरोध किया है, जिन पर जहां तक मैं जानती हूं कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। जहां तक मुझे विदित है, सी एस आई आर. पत्रिका का संचालन कम्युनिस्टों द्वारा नहीं किया जा रहा है। फिर भी इसके अप्रैल, 1993 के विशेषांक में गैट समझौते के आई.पी.आर. खंडो के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें इन खंडों को पुनरूपनिवेशपीकरण करने के प्रयास की संज्ञा दी गई है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने डंकल–प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है। मैं एक और समिति के विचारों को भी उद्धृत कर रही हूं जिसका यह कहना है : "यह समिति यह अनुभव करती है कि यदि डंकल प्रस्तावों को इनके वर्तमान स्वरूप में दवा उद्योग के संबंध में स्वीकार कर लिया जाता है, तो इन प्रस्तावों के कारण देशीय दवा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।" यह अवधारणा रसायन तथा उर्वरकों संबंधी समिति के प्रतिवेदन में व्यक्त की गई है, जिसके कि श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही अत्यंत सुयोग्य अध्यक्ष थे। निस्संदेह, वह उसी समय से इन प्रस्तावों का घोर विरोध करने का प्रयत्न करते रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि अंतिम अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, जिससे कि स्थिति में बदलाव के साथ इतने अधिक लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं का निराकरण होता है। लेकिन हमें सरकार की ओर से चार प्रदेशों में विधानसभा चुनावों से तुरंत पहले जो डंकल प्रस्तावों संबंधी एक्सरेकृत पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई थी। वैसी ही हरे एवं पीले आवरण पृष्ठ वाली डी ए वी पी द्वारा प्रकाशित ये पुस्तिकाएं प्राप्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि डी ए वी पी द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाएं– जिनमें कि गलत सूचना अथवा कोई सही जानकारी है – एक प्रकार चुनावी अभियान है। सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हम इस का विरोध करते हैं।

थोड़ी देर के लिए, आओ हम दूसरी तरफ से किये जाने वाले प्रश्नों की ओर ध्यान दें। इस करार के गुणों के बारे में हमें एवं राष्ट्र को विश्वास दिलाने की कोशिश करने की बजाय सरकार को उन सभी पक्षों को राजी करने/करना चाहिए, जिनके आमने–सामने पर यह सभा में बैठती है तथा यदि इस करार से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र में प्रस्तावित थोड़े से भी लाभ प्राप्त नहीं होते, तो सरकार को इस समझौते पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। कोई भी हमें गैट समझौते से बाहर नहीं कर सकता। जब यूरोपियन समुदाय से सम्बद्ध देश संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सौदा कर रहे थे और इसके परिणामस्वरूप चर्चा के निष्कर्षों में देरी हो गई थी, तो क्या उन देशों को इस समझौते से बाहर कर दिया गया था? यदि नहीं, तो हमें इस समझौते से क्यों बाहर किया जायेगा।

वित्त मंत्री ने आज इस गैट समझौते को दार्शनिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। हम इस दार्शनिक पृष्ठभूमि से अच्छी तरह से परिचित हैं। वास्तव में, यह 18वीं शताब्दी की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। उन्होंने राज्य की प्रवृति बनाम सामाजिक संविदा का तर्क प्रस्तुत किया है। जब तक संविदा

में दोनों पक्षों को कुछ लाभ नहीं हो, तब तक संविदा करने का कोई अर्थ नहीं है। तथापि, जैसाकि 18वीं शताब्दी में सामाजिक संविदा की संकल्पना कुछ वर्ग का ही पक्ष लेती थी, उसी प्रकार श्री मनमोहन सिंह की सामाजिक संविदा की संकल्पना भी एक पक्षीय है।

कहा गया है कि अंतिम अधिनियम हमें विश्व व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर देगा। यह आशा की गई है कि यह समझौता हमारे निर्यात विशेषरूप से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विश्व बैंक– ओ.ई.सी.डी. द्वारा एक अध्ययन किया गया था। हमें यह बताया गया कि इस व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप अगले आठ वर्षों में विश्व की आय बढ़कर 213 बिलियन डालर हो जायेगी। तथापि, इस वृद्धि में कुछ राष्ट्रों का बड़ा हिस्सा होगा। पश्चिमी यूरोप का 80 बिलियन डालर, संयुक्त राज्य अमरीका का 25 बिलियन डालर, जापान का 20 बिलियन डालर, चीन का 37 बिलियन डालर, दक्षिण अमरीका का 8 बिलियन डालर हिस्सा होगा जबकि अफ्रीकी राष्ट्रों का केवल 4 बिलियन डालर का ही हिस्सा होगा। उन्हें 4 बिलियन डालर का नुकसान होगा। इस अध्ययन के अनुसार, इसमैं भारत का हिस्सा 4.6 बिलियन डालर अर्थात 15000 करोड़ रूपये का होगा। क्या श्री मनमोहन सिंह जी और श्री प्रणव बाबू हमें बताएंगे कि यदि हम गैट समझौता नहीं करते और यदि निर्यात की वर्तमान वृद्धि दर जारी रहती है तो क्या यह वृद्धि नहीं होगी? वित्त मंत्रालय के दावों के अनुसार वर्तमान वर्ष में यह वृद्धि दर 19% है। इस गैट समझौते में जो कुछ कहा गया है उसे प्राप्त करने के लिए हमें केवल 2.5% वृद्धि की आवश्यकता है। क्या केवल इतने से विकास के लिए हम अपनी संप्रभुता और आत्म–निर्भरता का सौदा कर रहे हैं? मैं वित्त मंत्री और प्रणव बाबू दोनों से यह छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 'संप्रभुता का सौदा किया है' बात दोहराई जा रही है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरे ख्याल से जिस रिपोर्ट का मैं उल्लेख कर रही हूं उसे नहीं दोहराया जा रहा है।

बहु–रेशीय (मल्टी फाईबर) समझौते को लीजिए। बैंकलोडिंग के कारण भारत को देर से लाभ मिलेगा और हमने इसके लिए जो भी प्रयास किए हो अंतिम अधिनियम में भी यह ऐसा ही रहेगा, क्या यह सत्य नहीं है कि जो उत्पाद पहले एम एफ ए के अंतर्गत नहीं आते थे अब उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है? मैं इस संदर्भ में जानना चाहती हूं? इस पाठ में एम एफ ए द्वारा एक सूची शामिल की गई है। क्या मद संख्या 6204.31, 6204.33 और 6204.53 जो बिना बुने सिथेटिंक रेशे के बारे में हैं, को गुप्त रूप से हाल ही में एम एफ ए में शामिल नहीं किया गया है? यह हाथ की सफाई है और यदि ऐंसे ही मदें शामिल की जाती रही तो हमें आशंका है कि हमें अगले दस साल में भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

श्री मणिशंकर अय्यर ने अपने लच्छेदार भाषण में एग्रीग्रेट मीजरमेंट आफ स्पोर्ट (एम. एम. एस.) के बारे में विचार व्यक्त किया है। वास्तव में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि एग्रीग्रेट मीजरमेंट स्पोर्ट से उत्पाद विनिर्दिष्ट राजसहायता और गैर–उत्पाद विनिर्दिष्ट राज सहायता पर छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। एम.एम.एस. इन राजसहायता की छूट नहीं देता है बल्कि कुल

गणना में यह छूट दी जाती है। वह समझते हैं कि हमारे हित में ही यह परिवर्तन किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वास्तव में यह दो तरफ से मार करने वाला हथियार है और इससे विकसित राष्ट्रों को अधिक लाभ होगा क्योंकि वे अधिक राजसहायता देते हैं और उसमें विविधताएं हैं।

श्री रूपचन्द पाल ने यह मुद्दा उठाया था और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। हमने हमेशा ही सरकार के इस दावे का खंडन किया है कि डंकल प्रारूप का खाद्य राजसहायता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री अय्यर को भी माननीय वित्त मंत्री की भांति जो आशंका थी उससे उन्हें बड़ी राहत मिली कि अंतिम अधिनियम में एक पाद टिप्पण के रूप में प्रारूप में कुछ संशोधन कर दिए गए हैं।

वास्तव में, दो पाद टिप्पण है और श्री मणिशंकर अय्यर ने एक ही उल्लेख किया है। उन्होनें इस पाद टिप्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे यह पता चलता है कि हम न केवल ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों बल्कि शहरी निर्धन व्यक्तियों के प्रति भी चिंतित है। हम इसके लिए श्री मणिशंकर अय्यर, श्रीपीटर सूदरलैंड और श्री डंकल के आभारी है। तथापि, पाठ का यह भाग खाद्य राजसहायता के लिए सरकार के अंशधारको को छूट देने के बारे में है। इसका एक प्रावधान है। श्री अय्यर ने पहले पाद टिप्पण के उपबंध का उल्लेख नहीं किया है। वह उपबंध क्या है। यह उपबंध इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकार के भंडारण के कार्यक्रम छूट के अंतर्गत उसी प्रकार आएंगे जैसे खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रशासनिक दरों पर खाद्य पदार्थ खरीदे या बेचे जाने संबंधी कार्यक्रम आते है। बशर्ते कि अधिग्रहण कीमतों और निर्धारित मूल्यों के बीच अंतर को ए.एम.एस के लिए उपयोग किया जाए। वह अंतर राजसहायता प्रतिबंध के लिए एक प्रमुख खंड बन गया है जिसका आधार ए.एम.एस. है जिसका अर्थ है कि जब भी राजसहायता की मात्रा की गणना की जायेगी इसे भी उसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य राजसहायता को छूट वचनबद्धताओं के घेरे में लाया जा रहा है।

जिस दूसरे पाद टिप्पणी का श्री मणिशंकर अय्यर ने उल्लेख किया है, वह है उचित मूल्यों पर नियमित आधार पर विकासशील राष्ट्रो में शहरी और ग्रामीण निर्धनों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ कम से कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। वास्तव में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही कथित विचार है जिसकी संकल्पना श्री अमृत्य सेन जेसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने की थी। कथित पौष्टिकता उद्देश्यों के साथ राजसहायता उन मापदंडों पर आधारित होती है जिससे खाद्य पदार्थो की आवश्यकता वाला एक बड़ा वर्ग और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, इससे वंचित हो जाते हैं। वास्तव में, सरकार ने नई खाद्य नीति बनाकर अंतिम अधिनियम का पालन किया है जिसमें ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि हम किन मापदंडों के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि कौन से व्यक्ति निर्धन है। यदि वह मानदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप है, तो यह काफी मनमाने हो सकते है। भारत एक निधन देश से अमीर देश बन रहा है। क्रय शक्ति में भिन्नता मनमाना मानदंड है, जिसे बदला जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप जिन व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं किसी वामपंथी अर्थशास्त्री

के लेखों में से उदधृत नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं श्री ए.वी. गणेशन द्वारा 1994 में लिखे पेपर से उदधृत कर रही हूं। यह 1989 का पेपर नहीं है बल्कि 1994 में लिखा गया है। देखिए, इसमें श्री गणेशन ने किस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की है। वह पूंजी के ग्रामीण क्षेत्र में हस्तातंरण की बात करते हैं। मैं पृष्ठ 12 से उदधृत करती हूं। श्री गणेशन कहते है कि किसानों से उनके उत्पादों की ऊंची कीमत वसूलने के लिए दबाव बढ़ता रहेगा और वे घरेलू तथा बाहरी मूल्यों के अंतर को कम करने की बात भी कहते रहेंगे। मूल्य सहायता और उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ घरेलू मूल्यों में भी वृद्धि होगी जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा और खाद्य राजसहायता की समस्या और विकट होगी। बिना किसी प्रतिबंध के कृषि उत्पादों के निर्यात की स्वतंत्रता के लिए उनके आयात पर लंबे समय से लगी रोक को हटाना होगा? इसका क्या अर्थ है? श्री गणेशन ने कथित निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था की बात की है। पहले हम अपने उपयोग के लिए उत्पादित करते थे और फिर अतिरिक्त माल को निर्यात करते थे, लेकिन अब उत्पादन का ही तरीका बदल गया है। यहां तक कि खाद्यानों की घरेलू कीमतें भी बढ़ जायेगी, हम अधिक से अधिक नकद फसलें पैदा करेंगे और उनका निर्यात करेंगे तथा खाद्यानों का आयात करेंगे। अन्य वक्ताओं ने भी इस बात का उल्लेख किया है। फूलों की खेती और बागवानी में भी अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन जब यह अधिक हो जाएगी तो इसमें भी प्रतियोगिता बढ़ जायेगी तथा खाद्य फसलों का स्थान नकद फसलें ले लेगी। यदि चावल का उत्पादन बढ़ता है तो बासमती का निर्यात ही होगा न कि हम अपने व्यक्तियों को उसे देंगे। चूंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए यदि कीमतें बढ़ती है और खाद्यों का भंडार रोक लिया जाता है तो आयात पर निर्भर देशों में अकाल पड़ जायेगा। अन्य वक्ताओं ने भी इसका उल्लेख किया है। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। मैं बंगाल में 18-19वीं शताब्दी में पड़े अकाल का उल्लेख करना चाहती हूं और हम जानते हैं कि हाल ही में उप–सहारा देशों में भी अकाल पड़ा था।

हमें बताया गया है कि प्रौद्योगिकी आयात करना आवश्यक है। हमें यह भी बताया गया है कि गरीब और अमीर देशों के बीच वास्तविक अंतर ज्ञान का है और चूंकि हमारा देश विकसित नहीं है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास विकसित ज्ञान भी न हो। वास्तव में, वित्त मंत्री ने हमारे देश में दूसरी और तीसरी श्रेणी की प्रौद्योगिकी के बारे में आपत्तिजनक उल्लेख किया है। मैं भी कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आयात को आवश्यक समझती हूं। तथापि, कतिपय क्षेत्रों में हमारी प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट है। हमने देखा है कि हमारी औषध–निर्माण प्रौद्योगिकी को अनुकारी प्रौद्योगिकी माना जा रहा है। एक उत्पाद विशेष के लिए स्वदेशी प्रक्रिया अपनाकर एक विकल्प ढूंढना कोई अनुकारी प्रौद्योगिकी नहीं है। यह एक अत्यंत अच्छी प्रौद्योगिकी है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी आलोचना की जा रही है।

मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, समय समाप्त हो गया है। मैंने आपको 20 मिनट से अधिक का समय दे दिया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, कृपया कुछ और समय के लिए मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल को 45 मिनट का समय दिया गया है। जिस माननीय सदस्य ने पहले बोला था उन्होंने 58 मिनट का समय ले लिया था। आपको भी 20 मिनट से अधिक का समय दिया गया है। अन्य अनेक सदस्यों को भी बोलना है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यदि आप मुझे भी बोलने का अवसर देना चाहते हैं, तो मैं अपना समय उन्हें देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल को दिया गया समय पहले ही पूरा हो चुका है। आप आपस में निर्णय कर लें कि कौन बोलेगा। आपका नाम मेरे पास नहीं है और न मैं आपको समय दूंगा आप उस वस्तु का त्याग करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कलकत्ता स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय को सेरोलोजिस्ट तथा रासायनिक जांचकर्त्ता विभाग फौरन्सेक तथा चिकित्सीय–कानूनी परीक्षणों के लिए विभिन्न एन्टीसेरा तैयार कर रहा हूं। वे यौन संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए बी डी आर एल भी तैयार कर रहे है। इन उत्पादों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे अच्छी गुणवता वाले उत्पाद प्रमाणित किया है। उनको वे राजस्व अर्जित कर रहे है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही सरकार के किसी रहस्यमयी आदेश द्वारा 33 पद समाप्त कर दिए गए हैं जिनमें से 34 तकनीकी पद हैं। इससे तो विभाग बंद करना पड़ेगा और हम आयात पर निर्भर हो जायेगे। अतः लाभ किसे हो रहा है? कम से कम इस मामले में तो घरेलू अनुसंधान और विकास की कीमत पर बहुराष्ट्रीकों को फायदा हो रहा है। महोदय, हम प्रौद्योगिकी के स्थान पर बिना बिक्री वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। आकाश को खुला छोड़ने की नीति भी यही दर्शाती है। इलैक्ट्रानिकी मीडिया में हमारी प्रौद्योगिकी आधारभूत का प्रयोग तैयार साफ्टवेयर के लिए किया जा रहा है। दूरदर्शन में इन्हीं चीजों की भरमार हो रही है। इसी प्रकार से दवा उद्योग में समुद्रपार से निगम काफी लम्बे समय से पेंटेटों की कार्यप्रणाली से संबंधित हमारे कानूनों का उल्लंघन करके उन देशों में पेटेंट वस्तुाओं में से ही कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जहां उन्हें बेचा जाना है। लेकिन वे चोरी–छिपे आयात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मुझे खेद है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, अगर आप मुझे समय नहीं देगे तो अपनी बात पूरी किए बगैर ही मैं बैठ जाऊंगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आपको और समय नहीं दिया गया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं कुछ कहना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानती हैं कि दूसरों को भी अपनी बात कहनी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं अन्य लोगों का समय नहीं ले रही हूं मैं कल से इंतजार कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इंतजार कर रही होगी लेकिन आपके दल को कुछ समय दिया गया था। आपके दल को जितना समय दिया गया था, आप उससे दुगुना वक्त ले चुकी हैं। आपको अपने सदस्यों में समय बांट लेना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अगर आप मुझे और दस मिनट की अनुमति दे देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

हमसे इस प्रारूप पर बोलने की आशा की गई है लेकिन हम उन सब बातों पर बोलते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। हम यह सब किस प्रकार जारी रख सकते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : सीमित समय में आप बाहर के लोगों द्वारा व्यक्त विचार उद्धृत नहीं कर सकते। आपको, इन्ही बातों पर बोलना पड़ेगा।

श्री सैफुददीन चौधरी (कटवा) : यहां तक कि गैट संधि पर भी चर्चा समाप्त हो गई है। अतः उन्हें भी अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं श्री सैफुददीन की सलाह मानूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, सेनेटरी और फ्राइटासेनेटरी उपाय भी एक दूसरा विवादस्पद क्षेत्र है। महोदय, अब मैं विषय की बात कर रही हूं। जिस प्रकार कार्मिक मामले में वीसा संबंधी बाधायें है उसी प्रकार से ये विकसित देशों में हमारा माल जाने के लिए बाधा बन रहे हैं। जहां तक हमारा संबंध है हमारे यहां प्रौद्योगिकी के स्थान पर अपशिष्ट पदार्थ सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का आज अभाव हो रहा है। हमारे देश में रसायनिक अपशिष्ट पदार्थों को भरा जा रहा है। सेनेटरी और फाइरोसेनेटरी उपायों का प्रयोग इन अपशिष्ट पदार्थों के आने के खिलाफ किया जाये।

महोदय, मैं अंत में सुई जेनेरिस प्रणाली पर बोलूंगी। सूई जेनेरिस प्रणाली पर एक प्रारूप विधायेक है। यह सच है कि इस प्रारूप विधयेक की प्रस्तावना में लोक हित कृषकों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों और पारस्परिक हितों की बात कही गई है। लेकिन जो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि यह एक गोपनीय दस्तावेज है। इसलिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकती– वह यह है क्या इसे लागू करने का इस विधयेक में कोई खंड मौजूद है। हमें मालूम है कि इस सुई जेनरिस प्रणाली के बारे में चर्चा हुई है। **टाइम्स आफ इंडिया** में श्री पीटर सूदरलैंड का एक लेख प्रकाशित हुआ है जो इस **सुई जेनेरिस** प्रणाली, जो हमारी अपनी प्रणाली होगी, जिसमे यू.पी.ओ.वी-78 अथवा यू.पी.ओ.वी-91 का उल्लेख नहीं होगा, को स्वीकार करने की उदारता की बात करता है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जाता रहा था कि क्या यह **सुई जेनरिस** प्रणाली एक प्रभावी प्रणाली होगी। यह संपूर्ण प्रश्न है और क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रणाली को प्रभावी मानेगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हम बाद में संसद में निर्णय करेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : श्री सूदरलैंड कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बाहरी बिक्री में रूचि महीं रखता। इसीलिए किसान अपना उत्पाद देश से बाहर बेचना जारी रखेंगे। क्या हमें

यह विश्वास करना है।

अध्यक्ष महोदय : उस विषय पर पहले ही बात हो चुकी है। अब अपनी बात कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें कृषि मंत्री जी से पहले ही जवाब मिल चुका है। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते तो हम उससे बाहर आ जायेगें।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का जवाब नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ऐसा पीठासीन अधिकारी का निर्देश था।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उसी समय बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, कृपया ऐसा मत कहिए कि इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं क्योंकि इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को सावधान करना चाहता हूं कि वह पहले अपनी मंत्रिपरिषद् से सलाह–मशविरा करें और उसके बाद यहां बोले।

श्री चन्द्रजीत यादव : लेकिन जब यहां कोई मंत्री बोलता है तो वह सरकार की ओर से ही बोलता है। वह मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता हैं। **(व्यवधान)**

आप किसी मंत्री को सावधान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी सभा में बिना सोचे समझे अथवा तत्काल ही कोई वक्तव्य दे और फिर उस पर कार्यवाही करें। हम उन्हें इस पर विचार करने का अवसर देंगे और वे सुविचारित वक्तव्य दे सकते हैं। अगर मंत्री महोदय यह कहते हो कि यह सरकार का विचार है, तो जो भी हो, वे इससे बाधित होंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इस पर विचार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर अब और अधिक चर्चा न की जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और अधिक चर्चा नहीं। आप अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप यह कैसे कह सकते हैं कि मंत्री महोदय जो कहें हम उसको अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं पीठासीन से स्पष्टीकरण चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही 58 मिनट पूरे हो चुके है। कृपया और अधिक समय मत लीजिए। आपको पीठासीन अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण नहीं लेना है। सभा में जो कुछ कहा जाता है, उसकी व्याख्या करने के लिए आप स्वतंत्र है और मैं स्पष्टीकरण देने के लिए बाधित नहीं हूं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : देश से बाहर बिक्री के बारे में यह कहा गया था कि चूंकि इस देश में बहुराष्ट्रिकों के लिए पुलिस की व्यवस्था नहीं है। उनके पास आवश्यक अधिकारी अथवा आधारभूत संरचना नहीं है, इसलिए वे कभी भी सरकार के माध्यम से अपनी बात लागू नहीं करवा सकेंगे।

अब, मेरा विचार यह है कि हम एक संधि कर रहे हैं। अगर हम संधि कर रहे हैं तो हमें इसे ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम चोरी–छिपे संधि का उल्लंघन करना चाहते हैं तो फिर संधि करने का फायदा ही क्या है। अगर किसान ब्रांड वाले बीज खरीदकर उन्हें अधिक करके फिर उन्हें देश के बाहर बेचते हैं, तो फिर वास्तव में यह संधि का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब आपको सिर्फ यह कहकर कि मैं अन्य सदस्यों के साथ सहमत हूं मेरे साथ सहयोग करना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहती हूं क्योंकि आपने पीठासीन अधिकारी के रूप में यह कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मसला है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपसे अधिनियम के अंतिम प्रारूप पर बोलने की आशा रखता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : आपने कहा है कि जब तक सरकार सहयोग नहीं करती तक तक उनके पास इसे करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। सरकार सभा में यह स्पष्ट वक्तव्य दे रही है कि अगर कोई इसके विरोध में कुछ कहना चाहता है तो यह सरकार के माध्यम से होना चाहिए। गैट संधि में पुलिस अथवा न्यायालय अथवा किसी और मशीनरी की व्यवस्था नहीं है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि ये संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और साथ ही चोरी–छिपे सरकार किसानों को यह कह सकती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए एक तरीका है। ये सब बातें इस प्रकार से नहीं हो सकती।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उसका क्या तरीका है। मेरे विचार से अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रजनकों (ब्रीडरों) और बहुराष्ट्रीय प्रजनकों (ब्रीडरों) के अधिकारों का नहीं बल्कि किसानों, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : कृपया मुझे केवल एक मिनट का समय दीजिए। जब से संसद बनी है तब से अब तक के समय में मेरा सबसे संक्षिप्त भाषण होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा। मुझे विश्वास है कि यह बड़ा मजेदार होगा।

श्री अब्दुल गफूर : सिवाय उन लोगों के जो इस मुद्दे पर एक है और जिन्हें उदारवादी विश्व ने यहां भारत में भेज दिया है, को छोड़कर विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ।

अब विश्व के पूंजीपति एक हो गये है। यहां श्री मनमोहन सिंह है, श्री प्रणव मुखर्जी है। अतः हम यही से अपनी बात शुरू करते हैं और हम जा कहां रहे हैं। कही जाने को कोई रास्ता नहीं है। भारत में महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र जैसे लोग पैदा होने चाहिए। यहां जिन बातों का भाषण दिया जा रहा है, उनमें स्पष्टता नहीं है। संधि के बारे में सभी के विचार अस्पष्ट है। यह सब क्या है? संधि का क्या स्वरूप होगा और उसमें पुलिस की भूमिका क्या होगी। हम सभी अपने ऊपर दबाव सा महसूस कर रहे हैं।

अब सोवियत रूस के विघटन के बाद हमें अपने देश की ओर देखना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : उनकी सलाह को गंभीरता से मत लीजिए।

श्री अब्दुल गफूर : हमें राजनीतिक रूप से एक होकर अगले चुनाव लड़ने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणव मुखर्जी जी।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह तो डिबेट का गिलोटिन हो रहा है। आपने कहा था कि हमको भी बोलने का मौका देंगे। हम लोग भी कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहते हैं। इस चर्चा को कुछ देर और चलाया जाए।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए समय दे सकता हूं। लेकिन यदि आप अन्तिम अधिनियम पर न बोलकर सभी अर्थशास्त्रियों और समाचार–पत्रों द्वारा दिये गये सुझावों का उद्वरण देंगे तब बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : हम लोग विषय पर ही बोलेंगे। हम किसी को रैफर नहीं करेंगे, न कुछ पढ़ेंगे। हम लोगों की तो नोट्स पढ़ने की भी आदत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए, नियमों के अनुसार नियम 193 के अधीन चर्चा करने हेतु ढाई घंटे का समय उपलब्ध है। हमने इसके लिए 12 घंटे दिये हैं। आप जानते है कि दलों द्वारा नियुक्त प्रारंभिक वक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय दिया गया था।

यह निर्णय करना आप के दलों पर निर्भर करता है कि कितना समय दिया जाना चाहिए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 18 मिनट का समय दिया गया और श्री भोगेन्द्र झा 58 मिनट तक बोले। निःसंदेह भाजपा को बोलने के लिए कुछ समय दिया गया। जनता दल को भी ... . दिया गया।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, डंकल प्रस्तावों को लेकर सर्वाधिक चिंता और परेशानी किसानों में है। अभी जब मैं अपने क्षेत्र से आ रहा था तो 2000 से अधिक किसानों ने गांवो से आकर सड़क पर मुझको रोक लिया।

अध्यक्ष महोदय : आप एजीटेशन पर मत बोलिए, आप ड्राफ्ट के बारे में बोलिए

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : मैं किसानों की बात कर रहा हूं। किसान डंकल को लेकर और सरकार के व्यवहार को लेकर कितने परेशान है, यह बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में कारगिल को 10000 से लेकर 50000 एकड़ तक जमीन खरीदने की अनुमति दी गई है, इससे यह संकेत मिलता है कि हमारी खेती धीरे–धीरे हमारे हाथ से चली जाएगी। इसी तरह से बजट में आपने सबसिडी कम की है। सबसिडी के बारे में भी किसानों में शंका बनी हुई है। ड्राफ्ट के आर्टीकल 6 में बताया गया है कि कृषि पर दी जाने वाली विकसित देशों की सबसिडी को 6 वर्षो में 20 प्रतिशत कम करना है। योरोपियन देशों में कृषि पर 80 से 200 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है, हमारे यहां 5 प्रतिशत दी जाती है। विकासशील और विकसित देशों की सबसिड़ी में एकरूपता कहां है। मार्केट एक्सेंस का अधिकाम समान कहां है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में वित्त मंत्री जी ने बता दिया है कि हमको सबसिडी कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम और भी बढ़ा सकते है।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र और प्रदेश सरकारें समय–समय पर खाद, बीज, कृषि उपकरणों और रेवेन्यू (लगान) पर सबसिडी देती है, लेकिन इस आर्टीकल में रेवेन्यू पर दी जानी वाली सबसिडी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आखिरकार रेवेन्यू पर किस प्रकार की सबसिडी देंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल है। पेटेंट के मामले में अभी मंत्री जी ने कहा था कि सुई जनेरिस (Suigeneris) सिस्टम की बात है। आपके दस्तावेज के आर्टिकल-27 में ट्रिप्स के एग्रीमेंट में इफेक्टीव और रिसर्जेज राइटस की बात कही गई है। इफेक्टीव और राइटस कौन तय करेगा?

अध्यक्ष महोदय : इसको संसद तय करेगी।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : चार वर्ष के बाद रिव्यु करने की बात कर रहे है। अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों की छूट के लिए बिल ला रहे हैं। चार वर्ष बाद रिव्यु हो जायेगा तो उसके बाद क्या प्रावधान आने वाला है, यह चिंता का विषय है। हमारा देश छोटे किसानों का देश है। 65 प्रतिशत लोग ऐसे है जो बीज को एक दूसरे से बदला करके खेती के काम में लाते

हैं। आप यहां कह दीजिए कि यह इफेक्टीव नहीं होने वाला है। लेकिन आज जो फसल काटी जा रही है और किसान उस बीज को गोदाम में रखेगा और जब बोने का समय आएगा तब उसको निकालकर लायेगा तो वह चाहे बेचे या आदान–प्रदान करे। यह व्यवसाय में जा रहा है या नहीं, यह कौन तय करेगा। ये किसानों के छोटे–छोटे सवाल हैं। शक्कर – मक्का का बीज हमारे पास है। किसी कंपनी ने उसको पेटेंट कर लिया और हमने उस बीज को किसी को दिया और पेटेंट करने वाली कंपनी ने किसी और को दिया तो वह कहेगी कि यह बीज हमारा था। क्या किसानों पर कार्यवाही करने की बात की जाएगी। बीज का नाम चलता है और कोई उत्पादन ऐसा नहीं है जिसका नामकरण नहीं है और जो पेटेंट किया होगा वह नामकरण के साथ आएगा। यह तय करने का प्रावधान इस दस्तावेज में नहीं है इसलिए किसानों के मन में शंका का कारण यह है। बैंलेस आफ पेमेट की आज चर्चा की गई जो कि इस दस्तावेज के पेज–चार पर है। इसे कौन तय करेगा? गैट तय करेगा या आई एम एफ करेगा। यह उसमें क्लेरिफाई नहीं है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि बी ओ पी से हमें एक्सपोर्ट करने की छूट और सबसिडी में छूट मिलेगी। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने बी ओ पी को साल्व कर लिया है और हमारे पास 13 बिलियन डालर का रिजर्व है और आई एम एफ का लोन पहले दिया जा रहा है क्योंकि यह सरप्लस है। बैंलेस आफ पेमेंट नहीं रहेगा तो आपको सबसिडी की छूट की सुविधा कहां से मिलेगी और एक्सपोर्ट की सुविधा कैसे मिलेगी। वित्त मंत्री जी के बयान और दस्तावेज का आपस में कंट्राडिक्शन है। दस्तावेज में कहा गया है कि सबसिडी और एक्सपोर्ट की सुविधा बी ओ पी के आधार पर मिलने वाली है तो यह कैसे मिलने वाली है। ये कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण डंकल के ऊपर निश्चित रूप से शंका बनी हुई है और लगता है कि किसानों की घोर उपेक्षा रही है इसलिए शंका स्वाभाविक रूप से उनको हो रही है। कारगिल जैसी कंपनी के लिए आप बागवानी के लिए भूमि उसके नाम से दी है। दूसरी और सैलिंग एक्ट चलाते हो 10-50 हजार एकड़ भी जमीन खरीदने की छूट दे रहे है। चिप्स, टमाटर की चटनी, अचार और पापड़ बनाएगी विदेशी कंपनी और खेती भी वह करेगी तथा रा–मैटीरियल भी विदेशी कंपनी पैदा करेगी और जो रा–मेटिरियल बाहर से सस्ता मिलेगा तो उसको बाहर से विदेशी कंपनी मंगायेगी।

मैटिरियल प्राप्त करने के बाद उसका निर्यात भी विदेशी कंपनी करेगी, तो हम अपने देश में क्या बनायेंगे जिसका कि हम निर्यात कर सके। देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है। अगर छोटी–छोटी चीज भी विदेशी कंपनीज बनाने लगेगी तो इस देश की हालत क्या होगी। एक तरफ हम बजट को कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों की तरफ ले जा रहे हैं और लोगों को खेती के उत्पादन के साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसा सरकार का कहना है, दूसरी तरफ विदेशी कम्पनीज को इनमें ला रहे हैं। पेप्सी कोला को फूड प्रोडक्ट का प्रोसेस का लाइसेंस सरकार ने दिया। हम सब जानते है कि आज वह क्या कर रही है, उसका व्यवहार और आचरण क्या है। सरकार ने उसको जिस काम के लिए लाइसेंस दिया था, क्या वह उस नीयत से काम कर रही है, सरकार ने कभी चैक किया है? जो भी बहुराष्ट्रीय कम्पनीज देश में आयगी, वह इसी प्रकार से लाभ लेने का काम करेंगी। कोका–कोला आ गया है, उसने थम्स अप को समाप्त कर दिया। बाजार को केप्चर कर लिया। जो गांवो में सामान बनता है, जिसको गांव के विकलांग बच्चे, महिलायें और गरीब मजदूर बना सकते हैं उसको बहुराष्ट्रीय कम्पनीज बनायेंगी। पेप्सी इसका उदाहरण है।

एक कूबड़ा दूसरे व्यक्ति को देखकर कहे कि इसके हाथ-पैर, नाक-कान सब मेरे जैसा है और किसी खूबसूरत लड़की को देखकर कहे कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तो क्या वह कर लेगी, वह इसलिए नहीं करेगी क्योंकि शादी पूरे शरीर से करनी पड़ती है, न कि किसी अंग को देखकर उसे अलग करें इसी तरह से यह डंकल प्रस्ताव भी एक कूबड़ है जिसको निकालने के लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : कूबड़ नही, कुष्ठ रोग कहिये।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : जो भी रूप दे दें, बात वही है। इसलिए मैं इस डंकल प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर दस्तखत न करे, यह सारे किसानों की राय है।

अध्यक्ष महोदय : उमराव सिंहजी, आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सब लोग किसानों की बात करते हैं। मैं यहां सिर्फ तीन बातों, सीड, सब्सिडी और कृषि पदार्थों के निर्यात के बारे में जिक्र करूंगा। सीड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो बातें हो रही हैं और जिस ढंग से बहस हो रही है, वह हकीकत नहीं है। मैं सिर्फ पंजाब की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां किसान की पहली जरूरत बीज है। विश्व का कोई देश या बहुराष्ट्रीय कम्पनी हमको यह नहीं दे सकती, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी वीट की काश्त 32 लाख हेक्टेयर है और उसके लिए हमें 32 लाख क्विंटल बीज चाहिए। कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी इतना बीज नहीं दे सकती। यह तो मैंने गंदम की बात कही है। इसी तरह से पैडी है। जिसका टार्गेट 20 लाख का है।

अध्यक्ष महोदय : यह पंजाब के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में है।

श्री उमराव सिंह : मैं एक राज्य की बात बतला रहा हूं इससे पता चल जायेगा कि सारे देश की स्थिति क्या है। कोई ऐजेंसी देश के किसानों को सीड नहीं दे सकती। यहां किसान अपना सीड मल्टीप्लाई करते हैं।

17.00 म.प.

सारे देश को पंजाब को इतना सीड मल्टिप्लाई करते हैं, दूसरों को बेचते हैं उनमें न कोई रूकावट है, न हुई है और न होगी। हो सकता है कि इस किस्म पर कोई पांबदी आ जाये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश में कई यूनिवर्सिटिज और नेशनल सीड्स कार्पोरेशन इतने बढ़िया बीज दे रहे हैं कि कोई नहीं दे सकता है। यदि कोई दे सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। यदि किसी बीज से किसान की फसल दुगुनी होती है तो वह जरूर करेगा। उसको लगेगा तो वह अनाज के तौर पर बेचेगा, कोई पांबदी नहीं है अब यहां पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नाम लिया जा रहा है कि इससे किसान को असर पड़ेगा। आज ढाई साल हो गये हैं, हमारी पार्लियामेंट में बहस हो गयी है और इससे तो हमारी एक्नामी ओपन हो गयी है। यह कहा जा रहा है कि हमारा देश गुलाम हो जायेगा, हमारे देश की सावरेंटी समाप्त हो जायेगी लेकिन हमारे देश को कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलायी है और यह पार्टी वचनबद्ध है कि देश की उन्नति करनी है और देश के लोगों की हर तरह से हिफाजत करेंगे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 1971 में

अमरीका कहां गया था। जब हम ढाका में थे तो यह कहा जा रहा था कि अमरीका का आर्मेडा फ्लीट सिंगापुर से आ रहा है वगैरा वगैरा। अध्यक्ष महोदय, ये बातें सिर्फ कहने वाली हैं। न पहले किसी ने हमारे देश पर दबाव डाला है और न अब कोई डाल रहा है और न किसी दबाव में आने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि किसानों को अगर जरूरत होगी तो उसको अवश्य दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सबसिडी की बात की गयी है। किसान नही चाहता है। वह तो चाहता है कि उसको बिजली मिले। मैं यहां पर फिर पंजाब का जिक्र करूंगा कि वहां पर केवल 5-6 घंटे बिजली मिल रही है। कारखाने पूरी बिजली नहीं मिलने से काम नहीं करते हैं। यदि वहां पर भी 20 घंटे बिजली मिल जाये तो उपज बढ़ाने में सहायक होगें। उसको बिजली के साथ–साथ पानी भी चाहिये। जब पानी चाहिये तो बीज भी जरूरत है। हमारे कृषि वैज्ञानिक अच्छा बीज दे रहे है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि आप संबंधित विषय पर नहीं बोल रहे है।

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : मैं बीज की ही बात कर रहा हूं। यहां पर डा. एम. एस. स्वामीनाथन का जिक्र हुआ है। आप मनीला गये थे और वहां पर एडवांस स्टडी के बारे में बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी तरफ से मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे।

श्री उमराव सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर किसान को सहूलियतें मिल जाये तो वह ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है। हार्टिकल्चर ज्यादा होगी और हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। फूड प्रोसैसिंग बनाये या उसका फिनिश्ड गुड्स करें लेकिन हिन्दुस्तान की उपज बढ़ेगी जिससे देश खुशहाल होगा। हमारे साथी देश को अच्छा कहें या नहीं कहे लेकिन वे तो यह कहेंगे कि :

"हमको उन से वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है?" इसलिए इस देश ने आगे जाना है। पिछले चालीस वर्षो में आगे गया है और आगे जाएगा। हमारी उपज बढेगी, हमारे बीज अच्छे होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि देश खुशहाल होगा। जय हिन्द।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया तथा एक विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने समय दिया है तो मुझे अपनी बात रखने की इजाजत भी मिलनी चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मंत्री जी अब जवाब देने वाले है और इससे संबंधित जितने क्षेत्र हैं उस पर पक्ष और विपक्ष में चर्चा हुई है। चर्चा को सुन कर तथा इस दस्तावेज़ को पढ़ कर तथा दस्तावेज़ पर जो कमेण्ट्स विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए हैं उनको देख कर और इससे संबंधित जो बातें समाचार–पत्रों में छप रही हैं उन को देखने के बाद मेरे मन पर जो असर पड़ा है और उसके चलते जो कुछ सवालात मन में उत्पन्न हुए हैं और यह चर्चा चूंकि आज गांव–गांव में फैल चुकी है तो आम लोग भी हम लोगों से जो सवाल पूछते हैं उनको ध्यान में रखकर आपके सामने चंद सवाल रखना चाहूंगा।

आखिर गेट में बने रहने से हमको क्या फायदा होने वाला है? सरकार की तरफ से यह बात

कही जाती है कि यह बहुपक्षीय समझौता है और इसमें बने रहने से हमें कई प्रकार के फायदे है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप की तरफ से और सरकार की तरफ से कई बयान सदन के अंदर और सदन के बाहर दिये गए हैं कि इस के चलते हमारे ट्रेड में और वाणिज्य में कितना इजाफा होगा। आपने खुद कहा है कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हमें होगा। आखिर जितना पूरे ट्रेड में दुनिया में वृद्धि होगी उसके संबंध में आंकडे सदन में बताए गए है उस को ध्यान में रख कर आनुपातिक रूप से हमें क्या लाभ है और आज हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिस गति से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है क्या गेट में जाने के बाद भी वह गति बरकरार रहेगी और बढ़ जायेगी, इसके संबंध में और किस क्षेत्र में हमारी वृद्धि होगी यह हम जानना चाहते हैं।

बार–बार यह कहा जाता है कि वस्त्र के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अभी मालिनी जी एक बात कह रही थी। जिस चीज का जिक्र वह कर रही थी, उस को ध्यान में रखते हुए क्या हम जिस वस्त्र का निर्यात करेंगे उसकी इजाजत हमें मिलेगी? आपने जी–15 देशों के बिजनेस फोरम में भाषण देते हुए बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं। जॉर्ज साहब ने उसके एक पक्ष पर आपसे सफाई मांगी है। मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई आप का भाषण पढ़ कर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप उस भाषण पर कायम रहेंगे। क्योंकि अमेरिका द्वारा नये सिरे से जो गैट के बाद इस बातचीत के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन बनेगा उसको दृष्टि में रख कर नॉन ट्रेड इश्यूज़ को सामने ला रहा है और उस ने तीन सवालों का जिक्र किया। एक जिक्र किया है लेबर स्टेण्डर्डके बारे में, दूसरा किया है हयूमन राइट्स के बारे में और तीसरा ऐनवॉयरमेंट के बारे में किया है। आज चर्चा है कि भारत सरकार ऐनवॉयरमेंट की बात को कुबूल करने जा रही है। मुझे नहीं पता है कि सीनेटरी और फाइटो सीनेटरी की चर्चा मालिनी जी ने की है और गैट के दस्तावेज में है, अब इतना समय नहीं है कि उसको सामने रख कर क्वोट करके बताया जा सके। उस हालत में हम आपसे एक सफाई चाहते है कि जो ऐनवॉयरमेंट की बात आप मानते चले आ रहे हैं, उसमें सवाल है कि क्या उसमें जो हम कपास का निर्यात करेंगे और उससे बने हुए वस्त्रों का निर्यात करेंगे तो उसमें जिस फर्टिलाइजर और इनसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, उसके चलते उस पर कोई बंदिश होगी? चूंकि इस बात की बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका उन चीजों के आयात की अनुमति नहीं देगा जिसें पेस्टिसाइड, इनसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ है। तब उस हालत में हम अपनी चीजों का निर्यात बढ़ा पाएंगें या जो मल्टी फाइबर अरेजमेंट का बेक लोडिंग पीरियड उस साल का है जिसके बारे में आपने वचन दिया था कि उसको कम कराने की कोशिश करेंगे मगर कम नहीं किया है, दस साल ही है, क्या दस साल बाद हमें उसमें फायदा हो पाएगा?

हम आपसे यह साफ जानना चाहते है।

दूसरी बात है कि कृषि के क्षेत्र में जो आपने दावा किया है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, वह किस बुनियाद पर करेंगे, इसको बताएं। इसके सम्बन्ध में भी हम आपसे साफ जानना चाहेंगे क्योंकि अभी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा कर दी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन का सवाल है, वह बहस का विषय हो चुका है, वह ठीक है, खराब है, इसके बारे में कौन

सर्टिफाई करेगा, यह बहस की चीज है, लेकिन इसके बाद आपको स्टेपल फूड और नॉन स्टेपल फूड के बारे में बाजार को खोलना पड़ेगा। जब बाजार को आप खोलेंगे, तो आपकी क्या स्थिति होने वाली है क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपको आयात करना पड़ेगा। उस स्थिति में आपकी चीजों के दाम पर क्या असर पड़ेगा और यहां के उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? आप विशेषज्ञ हैं हर तरह से आप चीजों को जानते हैं। चाहे वाम विचारधारा हो या दक्षिणी विचार धारा हो। जो दो ध्रुव हैं 180 डिग्री पर, डायगनौटीकली अपोजिट आप बदलते रहे हैं। डा. मनमोहन सिंह जी, इसलिए आप बखूबी बताएंगे कि कैसे और कितना हमें फायदा होगा और हम कैसे चीजों का निर्यात कर पाएंगे?

मैंने पिछली बार गैट पर चर्चा में भाग लेते हुए एक बात कही थी, यहां बड़ा हल्ला मचाया और कल हमें मणिशंकर जी ने कहा और उसमें चर्चा आई थी चावल निर्यात के सम्बन्ध में, आप बासमती चावल का निर्यात कर रहे हैं, अब अमेरिका ने टैक्सामती के नाम से बासमती चावल पैदा कर लिया है, अब आपका बासमती कहां जाएगा? कौन सी चीज आप एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे? इसलिए अध्यक्ष जी मैं इसके माध्यम से सफाई चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बीज का सम्बन्ध है, इसी सदन की कृषि के सम्बन्ध में एक स्थाई कमेटी है। उसके समक्ष जो अधिकारी आए थे उन्होंने जो जानकारी दी उसके आधार पर उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके आब्जर्वेशन से सब परिचित है। उस जानकारी में हमें यह बताया गया है कि इस देश में बीज की जितनी जरूरत है उसका मात्र 11 प्रतिशत ही हम या तो सर्टिफाइड बीज राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम के द्वारा या ट्रुथफुली लेवेल सीड दे पाते हैं बाकी तो 89 प्रतिशत बीज का है उसमें किसान एक–दूसरे को बीज बेच कर उसको पूरा करते है, तो वैसी स्थिति में जब नये गैट कानून लागू हो जाएंगे, और मंत्री जी ने कहा कि बेचने की आजादी नहीं होगी, सिर्फ एक्रोस दि फेस हम यह बेच सकेंगे, ये सब बनावटी चीज है और जब अध्यक्ष महोदय, लागू करने का समय आएगा, तो फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा। मुल्क का किसान जब बीज नहीं बोएगा, तो जो 89 प्रतिशत बीज का क्षेत्र है उसमें बीज की आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होगी क्योंकि किसान बीज नहीं बोएगा, वह उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा आई. सी. ए. आर. खत्म नहीं होगा हालांकि वह खत्म होगा, पत्ते की तरह उड़ जाएगा, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि आई.सी.ए.आर. रहेगा और सही सलामत रहेगा, लेकिन जो 89 प्रतिशत बीज का क्षेत्र है, उसको बीज की आपूर्ति कैसे होगी? किसान जो आई. सी. ए. आर. के द्वारा निकाला गया बीज है, जो कोई प्लांट फीडर देता है, उस प्लांट फीडर से बीज लेकर, किसान मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, चाहे देशी हो या विदेशी, वैसी स्थिति में जो 89 प्रतिशत बीज का क्षेत्र है, उसमें बीज कैसे सप्लाई होगा और जब बीज के क्षेत्र पर विदेशी कम्पनियां कब्जा कर लेगी, तो आप क्या करेंगे। उनके पास विज्ञापन का तंत्र है, उनके पास पैसा है। धीरे–धीरे वे सारे बीज के क्षेत्र पर कब्जा कर लेगें। उसके बाद यह स्थिति पैदा होगी कि शुरू में वे सस्ता बेचेगे, बाद में महंगा बेचना शुरू हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि हमारा छोटा और सीमान्त किसान है उसके लिए खेती करना मुश्किल हो जाएगा और वे अपनी जमीन बेचना शुरू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी उदाहरण दिया गया है कि महाराष्ट्र की सरकार ने फ्री कर दिया है 5 हजार एकड़ ले लो चाहे 10 हजार एकड़ ले लो, वे जमीन देने को तैयार हैं और इस प्रकार से आप धीरे–धीरे लैंड सीलिंग को समाप्त करने का काम किसी न किसी बहाने करेगें। नतीजा यह होगा कि इस देश का जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, वह बेदखल होगा। इसलिए हमारी शंका है और हमारी इस शंका की सफाई मंत्री महोदय करें, यह हम चाहते है।

रेडियो टेलिविजन पर प्रचार से इस देश के जनमानस की शंका की सफाई नहीं होगी। आप समझते है कि रेडियो और टेलिविजन पर देने से आप सफाई कर रहे हैं तो यह आपकी गलतफहमी होगी क्योंकि इस देश में दो तरह की विचारधारा के लोग है, कुछ लोग ऐसे है जो इसके समर्थक है, लेकिन विशाल बहुमत है जो इस चीज को खराब मान रहा है, गलत मान रहा है और उसके मन में कई प्रकार की शंकाएं हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : चुनाव में पता लगेगा कि किसका बहुमत है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते है कि आज हम यह बात राष्ट्रीय भावना से रख रहे हैं। अब तक हमने पार्टी–लाइन पर कोई बात नहीं कही है, अध्यक्ष महोदय, आप देख और सुन रहे है, हालांकि हमारे कार्यकर्ता पानी की तोप सड़को पर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पार्टी लाइन पर नहीं उठा रहे हैं। हम इस सवाल को राष्ट्रीय भावना के साथ उठा रहे है लेकिन अगर यह पार्टी का ईशू बनेगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम आपकी अन्तरात्मा को झकझोरना चाहते हैं और कहना चाहते है कि जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर ठंडे दिल से विचार कीजिए। जिस तरह अमरीका रोज नई चीजें शामिल करता जा रहा है, उसको नतीजा यह होगा कि वह अपनी मर्जी से जैसा चाहेगा हम पर थोपेगा। हम सर्विसेस, ट्रिप्स, ट्रिप्स के मामले में विस्तार से नहीं जाना चाहते लेकिन गैट से जो ग्लोबलाईजेशन होगा, उसका नतीजा यह होगा कि देश में हाई कौस्ट इकोनौमी होगी।

मुझे अध्यक्ष महोदय के साथ पैरिस में आई. पी. ओ. यू. कौन्फ्रैस में जाने को मौका मिला था। मुझे वहां पर अपने सूट को प्रैस कराने के लिए होटल में देना पड़ा। उसको चार्ज 70 फ्रैंक था। आज भी अशोका होटल में सूट की धुलाई का दाम 35-40 रूपये है। हम वहां पर एक साधारण सी कलम लेने गए? .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, आपने यह कहते हुए मेरे मित्र श्री पवन कुमार बंसल जी को बोलने से रोका कि मंत्री महोदय को बोलना है। उनको बोलने के लिए केवल सात मिनट का समय दिया गया था और यह माननीय सदस्य पिछले 12 मिनट से विषय से हटकर बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर जी, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर का वक्तव्य अप्रसांगिक है। वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में खर्चीली अर्थ–व्यवस्था को शुरू नहीं करना चाहिए। यह प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : इसलिए हमारी धारणा दृढ़ हुई। यदि हम इस प्रकार से अपने दरवाजे खोल देंगे तो उसी प्रकार की कीमते होगी। डा. मनमोहन सिंह जी, श्री प्रणव मुखर्जी कृपया करके इस मुल्क को बचाइए। रूपये की ताकत आज भी बहुत बड़ी ताकत है। आज भी हमको डालर खरीदने के लिए 31 रूपये से ज्यादा देने पड़ते हैं। इसलिए हम आपको आगाह करने के लिए खड़े हुए है कि अभी भी समय है। ...... **(व्यवधान)** ....

आज भी जाखड़ ने सुई जेनरिस सिस्टम के बारे में कहा। उस बारे में मैं कई सदस्यों की राय को दोहराना चाहता हूं। यहां इफैक्टिव सुई जनेरिस सिस्टम का प्रावधान है। कल श्री अय्यर ने कई बार उसका उदाहरण दिया। मैं उसका उदाहरण देना नहीं चाहता था क्योंकि सरकार अभी तक विधेयक नहीं लाई है।

अध्यक्ष महोदय : पेटेंट लॉ से इतना मत घबराइए, आपके पेटेंट लॉ भी प्रोटैक्ट होंगे।

श्री नीतिश कुमार : आपका कहना दुरूस्त है लेकिन रिसर्च एंड डैवलमेंट पर हमारा बजट क्या है। अमरीका प्रति व्यक्ति 600 डालर खर्च कर रहा है, जापान प्रति व्यक्ति 700 डालर खर्च कर रहा है और हिन्दुस्तान प्रति व्यक्ति 3 डालर खर्च कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि हमारे पास व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। ...... **(व्यवधान)** ......

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप ज्यादा फिगर्स मत दीजिए।

श्री नीतिश कुमार : मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। कल श्री फर्नान्डीज ने एक मल्टी नेशनल कंपनी का उदाहरण दिया। इसलिए सुई जनेरिस सिस्टम जो आप इवॉल्व करना चाहते है, उसे पार्लियामेंट से जरूर पास करवा लीजिए। उसमें हम भी अपने हित को प्रोटैक्ट करने के लिए संशोधन देगे। जब डब्ल्यू.टी.ओ. मैं उसका रिव्यू होगा तो खारिज होगा। वोट के समय इस बात का पता चलेगा। आप वोट की नीयत से इस बिल को लेकर आ रहे है। आप वहां के लोगों को बता रहे हैं कि आपके इंटरस्ट प्रोटेक्टिड है। इससे काम नहीं चलने वाला है और देश बचने वाला नहीं है। इसलिए आज निवेदन करना चाहता हूं कि ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अय्यर जी की हिन्दी और आपकी हिन्दी बराबर की है। ऐसा हम समझ कर चल रहे है।

श्री नीतिश कुमार : आप गैट से बाहर नहीं जाना चाहते है। मेरी राय है कि गैट से बाहर हो जाना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है। आज भी अगर आपकी यह राय है कि गैट से फायदा है तो एक गुजारिश आपसे मैं करना चाहता हूं कि संसद में इस पर बहस हो गई है, बाहर हलचल मची हुई है, आप ईमानदारी से अय्यर जी की भावनाओं के साथ नहीं, राष्ट्र की भावनाओं को साथ लेकर चले। इसके एक–एक दस्तावेज को राजनीतिक दलों के नेताओं, इससे संबंधित विशेषज्ञों के सामने रखे और उन्हें पूरा ब्यौरा दें। अगर बन्द कमरे में कोई नतीजा निकलता है तो..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : आप भरोसा रखिये और मिल कर एक राय बना कर अधिक से अधिक राहत पहुंचाने का प्रयास करिये, तभी कुछ बच पायेगा। इस प्रकार से जो कुछ होने जा रहा है, मुझ को साफ दिखायी दे रहा है कि इससे देश में भयानक स्थिति उत्पन्न होगी और हम गुलामी की ओर बढ़ेगे। मैं बहुत दावे से इस बात को कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इसके बाद में कोई भी बात कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। ये वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आपने अच्छी बातें कही है।

[हिन्दी]

आप उसको खराब मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मेडिसिन के मामले में कोई बात नहीं कही है। मंत्री जी जब भाषण दें तो पेटेंट मेडिसिन के नाम पर क्या स्थिति इस देश की है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं मंत्री महोदय से केवल एक अनुरोध करूंगा। आप मेरी बात को सुनिये। वित्त मंत्री जी ने इस बात की ओर संकेत किया था कि इसमें कठिनाइयां है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह बहुत ही अनुचित है।

(व्यवधान)*

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिन्होंने दो दिनों की बहस में अपना योगदान दिया है और मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं कि वार्ता के उरुग्वे दौर के अंतिम निष्कर्षों, जैसाकि डंकल प्रारूप अंतिम अधिनियम में दर्शाया जा रहा है, पर मुझे अपने विचार आपके साथ बांटने का अवसर मिला है।

सर्वप्रथम, मैं कतिपय तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे बार--बार कहने के बाद भी, कई सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि 15 दिसम्बर को किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 15 अप्रैल को इस संबंध में स्वीकृति दी जाने वाली है। ऐसी बात नहीं है। 15 दिसम्बर के बाद, जब इस सदन में बहस चल रही थी, मैंने इस बात की ओर संकेत किया था कि 1986 सितम्बर में पन्टा–डेल–एस्टे में मंत्रियों की बैठक में गठित बहुपक्षीय व्यापार वार्ता समिति ने 15 दिसम्बर तक अपना कार्य पूरा कर लिया और कतिपय निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। उन निष्कर्षों को मंत्रीगण के समक्ष रखा जाएगा और मंत्रीगण इस बात को प्रमाणित करेंगे कि यह दीर्घकालिक वार्ता के परिणामस्वरूप उत्पन्न निष्कर्ष व निर्णय है और वे संबंधित सरकारों को एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में इसकी सिफारिश करेंगे। जैसा कि सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज को मंत्री द्वारा प्रमाणित करना होता है, इसी प्रकार समझौते में शामिल पक्षों एवं सरकारों के लिए भी ये दस्तावेज प्रमाणिक होंगे। लेकिन यह अनिवार्य शर्त नहीं है। तत्पश्चात यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा एक वर्ष के भीतर इन दस्तावेजों को अनुमोदित किया जाएगा। निस्संदेह, मोरक्को में इस आशय हेतु तिथि निश्चित की जाएगी कि इन दस्तावेजों का अनुमोदन 1 जनवरी 1995 से आरंभ होगा अथवा 1 जून 1995 से । मुझे इस प्रकार का संकेत मिल रहा है कि 1 जनवरी 1995 से दस्तावेजों का अनुमोदन आरंभ होगा। यह 1 जून अथवा 1 जनवरी 1995 भी हो सकता है। इसी समयावधि के भीतर संबंधित राष्ट्र यह निश्चित करेंगे कि कानून, नियमों, संविधान के अनुसार वे इन दस्तावेजों को स्वीकार कर रहे हैं अथवा अस्वीकार।

मैं जिस दूसरे मुद्दे की ओर संकेत करना चाहता हूं वह यह है कि इस दस्तावेज पर अपने आप में भी अमल नहीं हो पायेगा। इसके कई प्रावधानों को राष्ट्रीय विधान के माध्यम से लागू करना होगा। संसद तत्संबंधी कानून पारित करेगा। अतः सच्चाई यह है कि यदि इस दस्तावेज को अनुमोदित भी कर दिया जाये यदि इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी कर दिये जाये तब भी इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि इस पर स्वतः ही अमल नहीं हो सकेगा। जब तक इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को संसद द्वारा विधान/कानून का रूप नहीं दिया जाता तब तक इनमें से कुछ प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें इन विशिष्टिताओं को ध्यान में रखना होगा।

अब मैं उन मुद्दों पर आऊंगा जिन्हें श्री जसवंत सिंह ने उठाया था और श्री नीतिश कुमार ने भी अपने विचारों को व्यक्त करते समय इसका जिक्र किया था। सबसे पहली बात यह है कि इससे क्या लाभ है। इस प्रकार की चर्चा से हम क्या हासिल कर पर रहे हैं? मैं वित्त मंत्री एवं कृषि मंत्री का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने चर्चा में दखल देते हुए बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है विशेषकर ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला है जो के राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित दस्तावेजों की चर्चा से परे हैं। वित्त मंत्री ने इनमें से अधिकांश मुद्दो का समाधान किया और कृषि मंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा कृषि के संबंध में व्यक्त समस्याएं, आशंकाओं का विस्तार से समाधान किया। मैं

जहां तक संभव हो अपने आप को इस दस्तावेज तथा गैट सन्धि की स्वीकृति से उत्पन्न हुये कतिपय अन्य मामलों तक ही सीमित रखने की कोशिश करूंगा। गैट के सदस्य होने के नाते हमें सबसे पहला लाभ यह होगा – इसमें सभी 117 समझौता करने वाले सदस्य देश शामिल है – कि हमें अत्यंत अनुग्रहीत राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किनसे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : सभी देशों से सभी सदस्य देश हमें गौरव प्रदान करेंगे और स्वतः अत्यंत अनुग्रहीत राष्ट्र के रूप में हमें आदर देंगे। यह पहला लाभ है।

दूसरे, हमें यह पता लगाना होगा कि क्या हमें कपड़ा व्यवसाय से लाभ हुआ है और यदि लाभ हुआ है तो इसका क्या कारण है? मैंने इससे पहले भी कई अवसरों पर यह बात कही है? आरंभ से ही हम, विकासशील देश, इस बात की और संकेत करते रहे है कि हम चाहते हैं कि कपड़ा व्यवसाय को मुक्त रखा जाये और निर्धारित मात्रा (कोटा) के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, और औद्योगिकृत राष्ट्रों के बाजार, विकासशील देशों के कपड़ा निर्यात के लिए खुले होने चाहिए। मुझे खेद है कि मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां उपस्थित नहीं है। लेकिन श्री नीतिश कुमार जी अवश्य यह बात उन तक पहुंचा देंगे। वह इस बात को याद रखेंगे कि टोक्यों दौर की वार्ता 1973 में शुरू हुई, जो कि वार्ता का अंतिम दौर था; और इससे पहले सातवें दौर की वार्ता शुरू हुई थी और 1979 में इस दौर की वार्ता समाप्त हो गई। तत्कालीन मंत्री जी ने भी उस समय इसके लिए प्रयत्न किया था। उस समय भी हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहे कि कपड़ा--व्यवसाय को भी गैट के आचरण–नियम के अंतर्गत लाया जाए। लेकिन हम इसमें असफल रहे। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। यह सच है कि हम पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है लेकिन तब भी हम कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहे हैं। हमारे प्रयासों का क्या परिणाम निकला? अंतिम क्षणों तक संक्रमण अवधि को 10 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष कर देने के लिए गंभीर रूप से दबाव डाला जाता रहा है। अब हम इसका प्रतिरोध कर पाये हैं। निस्संदेह यह काम हमने बाद में किया है जबकि हम चाहते थे कि हम उसका पहले से ही विरोध करें। लेकिन जब हमने वस्त्रों पर शुल्क–दर अनिवार्यता की शर्त लगांई तो हम भी इसमें इस सीमा तक पहुंच गये और कहा कि आप कपड़ा–उद्योग को मुक्त रखेंगे तथा पहले दो वर्षों में 15 प्रतिशत तक उसे अपने बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देंगे और तब हम उस सीमा तक अपने कपड़ा संबंधी शुल्क दर को कम करेंगे। यदि उनकी ओर से इसमें विलम्ब होगा, हमारी ओर से भी विलम्ब होगा। मेरे विचार से यह एक बड़ी उपलब्धि है।

तीसरा मुद्दा कृषि से संबंधित है। जब मैंने पंटा–डेल–एस्टे में पहली बैठक में मंत्रियों के समूह के नेता द्वारा की गई टीका–टिप्पणी का तथा 1990 में ब्रसेल्स में आयोजित अंतिम बैठक में मंत्री द्वारा की गई टीका टिप्पणी का उद्धरण दिया था, तो इससे मेरा आशय किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस करना अथवा बहस में जीत हासिल करना नहीं था। मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारा दृष्टिकोण सैद्धांतिक है क्योंकि आज तक कृषि क्षेत्र में हमारी औद्योगीकृत देशों से असमान प्रतिस्पर्धा रही है क्योंकि उनके कृषि उत्पादों पर अत्यधिक राजसहायता दी जाती है। सभी माननीय सदस्यगण यह बात अच्छी तरह से जानते

हैं कि इन वार्ताओं में जो समय लगा है वह मुख्य रूप से कृषि संबंधी राजसहायता में कटौती करने के संबंध में औद्योगीकृत देशों के बीच उत्पन्न विवाद के कारण था। एक माननीय सदस्य ने इस बात की ओर संकेत किया है कि जापान के प्रधान मंत्री भी इससे खुश नहीं है। चूंकि सदस्य ने देश का नाम लिया है इसलिए मैं भी देश का नाम ले रहा हू अन्यथा, मैं किसी देश का नाम नहीं लेता। जी हां। वह नाखुश थे क्योंकि उनको कृषि पर राजसहायता को कम करना है। औद्योगीकृत देश कृषि संबंधी राजसहायता को जिस सीमा तक हम चाहते हैं, उस सीमा तक तो नहीं, हां छह वर्षो तक के लिए 36 प्रतिशत कम करने के लिए मजबूर हो गये हैं। इतना ही नही, उनको अपने बाजार में हमें प्रवेश करने की अनुमति भी देनी होगी। यहां के माननीय सदस्यों को वहां के तंत्र की पूरी जानकारी है। हमारा पहला सुझाव यह था कि गुणात्मक प्रतिबंधों को हटा दें और प्रशुल्क आरोपित करे तथा प्रशुल्कीकरण की प्रक्रिया में यह पाया गया कि उनकी राजसहायता स्तर भी, 600 से 700 प्रतिशत, बहुत अधिक है और यदि इसे छह वर्ष के लिए, 36 प्रतिशत तक भी कम किया जाता है तब भी प्रशुल्क इतना अधिक होगा कि विकासशील देश इसको पार नहीं कर पायेंगे। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि कुल कृषि उत्पाद का 3 से 5 प्रतिशत तक आयात करने के लिए उन्हे बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको न्यूनतम स्तर तक अपने शुल्क को हटाना होगा। आप 3 से 5 प्रतिशत तक आयात करने की सुविधा प्रदान करेंगे और उसके बाद आप प्रशुल्क को बढ़ा सकते हैं ताकि विकासशील देशों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकें। मैं समग्र रूप से विकासशील देशो की बात कर रहा हूं। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि इस मामले में विकासशील देश को पचास मिलियन अमरीकी डालर तक का लाभ होगा। उसमें से हमको कितना मिलेगा यह दूसरा प्रश्न है। लेकिन जो रणनीति हम बनाना चाहते हैं और जो रणनीति हमने बनायी है वह यह है कि औद्योगीकृत देशों का कपड़ा–बाजार व कृषि संबंधी बाजार, विकासशील देशों के लिए खुला होना चाहिए। हम काफी हद तक उस उद्देश्य को पूरा कर पाये हैं। बौद्धिक संपदाओं के संबंध में विशेषकर हमारे पेटेंट संबंधी कानूनों के संशोधन के संबंध में दस वर्ष की संक्रमण अवधि है। मैं यहां पर इस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा कि भारत में किसी प्रकार का पेटेंट शासन है ही नहीं और ट्रिप्स केवल पेटेंट कानून से संबंधित ही नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिलिप्याधिकार कानून, प्रतिलिप्याधिकार का संबंधी अधिकार, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क), भौगोलिक चिन्ह, औद्योगिक नक्शा (इंडस्ट्रियल डिजाइन्स), पेटेंट ले आउट डिजाइन, एकीकृत परिधि (इन्टिग्रेटिड सरकिट्स) अप्रकट सूचना संबंधी कतिपय कानून भी है। इन सभी के मामलों में हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इसलिए किसी ने कहा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था का लगभग 95 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। हां, पेटेन्ट कानून में फर्क है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि 1970 के पेटेन्ट कानून में उत्पाद पेटेन्ट की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है। इसके तहत खाद्य पदार्थ, औषधियों और रसायन में उत्पाद पेटेन्ट की अनुमति नहीं दी गई है लेकिन इसके तहत इंजिनियरी सामान, मशीनरी में उत्पाद पेटेन्ट की अनुमति दी गई है। इस प्रकार कुछ मामलों में उत्पाद पेटेंन्ट की अनुमति दी गई है। जिन मामलों में हम उत्पाद पेटेंट की अनुमति नहीं देते हैं उनके लिए हमें अपने कानून में संशोधन करना पड़ेगा। इस बारे में वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया है, मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बोलूगां। मैं इसके लाभ के बारे में बता रहा था, मैं

गैट से बाहर के दो देशों के नाम नहीं बताऊंगा। यद्यपि वे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे तो फिर भी उन्हें बाध्य किया गया था कि वे अपने पेटेंट कानून को बदलें और उन्हें एक वर्ष के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बराबर लाएं। यहां पर हम जिस लाभ की बात कर रहे हैं वह यह है कि हमें अपने कानून बदलने के लिए दस वर्ष की अवधि मिल रही है।

अक्सर इस मुद्दे को उठाया गया है अर्थात आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र एक तरफा दंडात्मक कार्यवाही करते है। हमें क्या करना है ? गैट के तहत शक्तिशाली से लेकर छोटी सरकार तक किसी से भी कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं छीना गया है जिसे वहां की संसद या प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकार अपनी इच्छा से बनाना आवश्यक समझती है। प्रश्न यह है कि अगर ऐसा कानून गैट के दूसरे सदस्य को आहत करता है तो पहले इसके लिए अपील हेतु कोई न्यायालय नहीं था। अब अपील के लिए न्यायालय मौजूद है। इसके लिए डब्ल्यू. टी. ओ. मौजूद है, आपकी बात सुनने के लिए विवाद निपटान व्यवस्था मौजूद होगी। आप अपने मामले पर दलील दे सकेगें या नहीं यह अलग बात है। लेकिन एक मंच उपलब्ध है जो पहले नहीं था। मेरे विचार से हमें यह लाभ मिलेगा।

ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि अगर हमने गैट पर दस्तखत किए तो पूरा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं सार्वभौमिकता और अन्य मुद्दे लूंगा। ऐसा मामला बनाया जा रहा है जैसे पूरा विश्व ही समाप्त होने जा रहा है। यह समझौता क्या है? गैट से बाहर आने के लिए आपको छः महीने का नोटिस देने की आवश्यकता होगी। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर किसी भी समय संसद यह मानती है कि इस अधिनियम के कुछ उपबन्ध लागू नहीं करने हैं और संसद की साझा समझ यह आवश्यक मानती है तो वह ऐसा कर सकेंगे।

इस बारे में जो कानून बनाए जा रहे हैं उन पर काफी कुछ कहा गया है। "सुई जेनेरिस" का क्या असर होता है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : नया जो एग्रीमेन्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें छह महीने के नोटिस का प्रोविजन है?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : "सुई जेनेरिस" का क्या प्रभाव है? सुई जेनेरिस शब्द स्वयं में विशिष्ट है, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य अंग्रेजी की प्रोफैसर हैं वह मुझ से बेहतर जानती हैं। यह एक अनूठा शब्द है; इसका कोई सानी नहीं है। इसलिए प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रीय विधायिकाओं को पौध–प्रजनक (प्लांट ब्रीडर) को सुरक्षा देने के लिए यह कानून बनाना पड़ेगा। यह आपका अपना कानून होगा। "प्रभावी" शब्द का क्या अर्थ है? गैट के तहत आप "प्रभावी" शब्द अक्सर पाएंगे। उस प्रभावी शब्द का अर्थ किसी प्रकार का पर्यवेक्षन सम्बंधी अधिकार नहीं होता है। आप जो कानून, नियम बनाने जा रहे है और निर्णय लेगें वे सुस्पष्ट होने चाहिए। हम पौध–प्रजनक (प्लांट ब्रीडर) के अधिकार और किसानों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए जो कानून बनाने जा रहे हैं वे प्रभावी कानून होने चाहिए। कानून अपने आप में ऐसे ढंग से रचित होने चाहिए कि उनके पढ़ने मात्र से ही

किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से कानूनों के सुस्पष्ट अर्थ में प्रदत्त सुरक्षा के प्रभावी होने का पता चल जाए और कानूनों के विभिन्न उपबन्धों के तहत किसानों के अधिकारों को और पौध–प्रजनकों (प्लांट ब्रीडर) के अधिकारों को स्पष्ट रूप से इंगित करे। आपको यह व्यवस्था करनी होगी और यही विशिष्ट (सुई जेनेरिस) है, आप इसे जो भी नाम देना चाहे। अतः आप अपने ही कानून बना रहे है। **(व्यवधान)**

पहले मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए उसके बाद हस्तक्षेप करें। मैनें आपकी बात सुनी है, लेकिन अब नहीं। मैं अपने भाषण का एक चौथाई भी नहीं बोल पाया हूं।

यह विधान आपके विचार के लिए रखा जा रहा है। कृषि मंत्री आपसे चर्चा कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि हमने किसी से चर्चा नहीं की है। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यदि हम घटना क्रम पर गौर करे तो हम यह पाएंगे कि सितम्बर, 1986 में चर्चा शुरू हुई थी, इस समय तालिका के बारे में न्यूनाधिक यह निर्णय लिया गया था कि दिसम्बर, 1990 तक यह चर्चा पूरी हो जाएगी। लेकिन यह चर्चा दिसम्बर, 1990 तक पूरी नहीं हो सकी। फिर दिसम्बर, 1991 तक महानिदेशक आर्थर डन्कल ने एक प्रस्ताव रखा जिसके बारे में हमने सोचा था कि कोई समझौता हो सकता है और इसे डन्कल प्रस्ताव कहा जाता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह तो पुराना पॉइंट है, कोई नया बोलिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : पुराना भी बोलना होगा। मैं केवल यह बता रहा हूं कि हमने किस प्रकार कार्यवाही की।

इसके बाद, प्रधानमंत्री ने श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की। मेरे पास उन व्यक्तियों की पूरी सूची है जिनसे श्री अर्जुन सिंह ने चर्चा की थी। आप इसमें राजनैतिक नेताओं, श्रमिक संगठन नेताओं, वाणिज्य और उद्योग मंडल के नेताओं और अन्य विभिन्न विशेषज्ञों के नाम पाएंगे। सभी महत्वपूर्ण संबधित व्यक्ति जो साक्ष्य देना चाहते थे, आए और उन्होंने अपने साक्ष्य दिये। इसके बाद, उन्होंने यह सिफारिश की कि हमें संसद के अन्दर भी चर्चा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से यद्यपि हम चर्चा करना चाहते थे लेकिन हम पूरे 1992 और 1993 वर्ष के दौरान ऐसा नहीं कर सके। इसलिए यह निष्कर्ष निकलना ठीक नहीं है कि हम चर्चा नहीं चाहते थे या चर्चा के लिए सर्वसम्मति नहीं चाहते थे।

श्री जसवंत सिंह ने मुख्यमंत्रियों का प्रश्न उठाया है। जब 15 दिसम्बर तक वार्ता समाप्त हो गई थी तब मैंने 20 जनवरी को सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा था और इस प्रारूप की एक प्रति उनके पास भेजी थी और यह अनुरोध किया था कि इसका अध्ययन करें ताकि हम बाद में उनके साथ इस बारे में चर्चा कर सकें। फिर, मैनें उन्हें इस बारे में स्मरण भी कराया। आपको यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इनमें छः ने उत्तर दिया और चर्चा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चर्चा नहीं की। यह कहना ठीक नहीं है कि हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और एकतरफा निर्णय ले रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : दिसम्बर, 1993 से पूर्व क्या हुआ था?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने आपको बताया कि दिसम्बर 1993 से पूर्व क्या हुआ था। गत अप्रैल के दौरान भी श्री नीतीश कुमार की पार्टी सहित भाजपा को छोड़ सी. पी. आई (एम) सहित सभी राजनैतिक पार्टियों ने हमारे आमन्त्रण का उत्तर दिया है और हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। संसदीय स्थाई समिति के प्रतिवेदन के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं इस पर क्यों कार्यवाही नहीं कर सका।

वस्तुतः गुजराल जी की अध्यक्षता में संसदीय समिति के मुख्य निष्कर्ष पुनः स्मरण किए जा सकते है और मैं समिति की अन्तिम सिफारिश को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> "उरूग्वे दौर के प्रति भारत की करारबद्ध होने की इच्छा अथवा इसके विपरीत कार्यवाही के बारे में भिन्न मत व्यक्त किए गए है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि इस संबंध में अन्तिम परिणाम हर क्षेत्र में भारत के लिए सर्वाधिक हित में नहीं है। लेकिन बहुपक्षीय समझौतों में सदैव ही लेन देन का प्रश्न होता है। आज के विश्व में 51 बाकि राष्ट्र आपस में एक दूसरे पर अधिक निर्भर हो रहे है तब सभी निःसन्देह द्विपक्षीय समझौतों की तुलना में सभी भागीदार सदस्यों को एम. एफ. एन. का दर्जा देने के साथ बहुपक्षीय समझौते करना निर्णायक रूप से लाभप्रद है। हरेक देश को गैट से बाहर रहने का सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त है। और यह तर्क नहीं किया जा सकता कि इस मंच के सदस्य न रहने पर भी भारत के हित श्रेष्ठतम तरीके से पूरे होंगे।"
>
> इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि कोई सर्वसम्मति, कोई चर्चा या परामर्श नहीं हुआ है।

अब कुछ मानन्नीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेते हुए मैं राजस्व छोड़ने की स्थिति पर श्री जसवंत सिंह द्वारा उठाए गए विशेष मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्या इसे राजसहायता या समर्थन का भाग माना जाए जो हमने उपलब्ध कराई है। इसका उत्तर नकारात्मक है। क्योंकि राजसहायता में कमी व्यापार असमानताएं दूर करने के लिए की जाती है। यहां हमें यह ध्यान में रखना है कि राजस्व त्यागना गरीब किसान को भू–राजस्व इत्यादि की अदायगी से छूट देने का एक तरीका है। ये सभी संसाधनों से गरीब किसानों की श्रेणी से संबद्ध है।

जहां तक संसाधनों के मामले में गरीब किसानों का संबंध है, हमारे आंकड़ों के अनुसार वे लगभग 70 प्रतिशत है। इस गैट समझौते के तह भी वे किसी भी विषय के अंतर्गत नहीं आते है। जब मैंने सहायता के कुल आकार पर गौर किया तो मैंने एक साधारण गणना की। मैंने राजसहायता की कुल मात्रा ली जिसे हम राज्य और केन्द्रीय बजट तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करा रहे है। इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी राजसहायता में और कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं यह आपको पहले ही दर्शा चुका हूं। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। हम जिस स्तर तक जा सकते थे और मौजूदा स्तर 19,000 करोड़ रूपये नकारात्मक राजसहायता के रूप में हैं। अतः मेरे विचार से यह इसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा।

अब मैं निवेश के क्षेत्रों के बारे में बताता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि हमारी निवेश

नीति के बारे में आपकी नीति भिन्न है तो ठीक है। यदि आप औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प से, जो इस सभा में प्रस्तुत किया गया था और जुलाई 1991 में उस पर चर्चा हुई थी, से सहमत नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप गैट की ात करते हैं, व्यापार संबंधी निवेश के मामलों की बात करते हैं तब आपको इन मुद्दों को मिल नहीं देना चाहिए। क्योंकि व्यापार संबंधी निवेश उपाय गैट में शामिल होगे। मैं ट्रिप समझौते से उद्धृत कर रहा हूं :

> "ट्रिप संबंधी समझौता वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। समझौते के मूल उपबंध अनुच्छेद दो में अंतर्विष्ट हैं जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि यदि अनुच्छेद तीन जो प्राकृतिक व्यवहार अथवा अनुच्छेद ग्यारह (एक) जो गैट दो (एक) में मात्रात्मक प्रतिबंध के बारे में है, के उपबंधों के विपरीत होगा तो वह सदस्यों पर लागू नहीं होगा।"

जहां तक वस्तुओं के व्यापार का संबंध है गैट आपको विदेशों से एक क्षेत्र विशेष को निवेश के लिए खुला रखने के लिए मजबूर नहीं करता हैं। गैट का इससे कोई संबंध नहीं है। चाहे आप कोई क्षेत्र निवेश के लिए खोले या न खोले यह आपकी इच्छा या निर्णय पर निर्भर करता है। यदि आप समझते हैं कि विदेशी निवेश आवयश्क है तो आप अपना क्षेत्र खोल दीजिए। एक दिन यह कहा गया था कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : विदेशी निवेश को अनुमति देनी होगी। यदि आप चाहते हैं तो मैं इसमें से उद्धृत कर देता हूं। कलकत्ता से इलाहाबाद तक ...... **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : आप सेवाओं की बात कर रहे हैं मैं निवेश की बात कर रहा हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या मैं इसमें से पढूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : अभी मुझे अपनी बात कहने दीजिए उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं क्योंकि आपको संदर्भ से कुछ पढ़ने की आदत है। लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेगें।

अतः मैं यह सुझाव दे रहा हूं। आप मेरी किसी बात को सही भी कर सकते हैं। व्यापार एक निदेशकारी निवेश है। चाहे आपकी निवेश नीति ...... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको किसी की बात सुनने की आदत नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने मुझसे पूछा है कि क्या गैट निवेश के लिए, आपके उद्योग खोलने के लिए मजबूर करता है। उसके लिए मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। आपको स्वयं यह निर्णय करना है कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं ट्रिप्स से पढ़ रहा हूं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश की सुविधा के बारे में है **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं नहीं जानता।

अब मैं, सेवाओं की बात करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, आप चाहते हैं कि मैं केवल पुस्तकों का ही उल्लेख करूं और मैं पुस्तकों से ही उद्धृत कर रहा हूं। लेकिन वह मेरी बात सुन नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं सुनते हैं तो आप सुन लीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यहां इस बात का काफी शोर रहा है कि हमने वाणिज्यिक बैंकिंग, बीमा आदि सब कुछ खोल दिया है। इस संबंध में उपबंध क्या है? इस पर सहमति हो चुकी है। आज तक हमारी वचनवद्धताएं वैसी की वैसी ही है। 'वैसी ही वैसी ही' का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हे कि 1969 के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो नीति अपनाई गई थी वही आज भी वैसी ही चल रही है। इस बात पर सहमति हो चुकी है कि जहां तक वित्तीय सेवाओं का संबंध है गैट, 1994 को स्वीकार करने के बाद भी 6 माह तक वार्त्ताएं चलती रहेगी। अतः यह आदान–प्रदान पर निर्भर करता है। यदि हम समझते हैं कि कुछ क्षेत्र खोलना हमारे अपने हित में है तो हम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हम समझते हैं कि कतिपय क्षेत्रों को खोला नहीं जाए तो हमें कोई भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने पहले ही उन्हें खोल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी कृपया बार–बार बीच में मत बोलिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में एक बात कही गई है और विशेषरूप से जब श्री रवि राय ने अपनी टिप्पणी की थी तब मैं उसे ध्यान से सुन रहा था। अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने भी अप्रैल, 1989 में जो कुछ हुआ था उसे बारे में अपने विचार रखे हैं।

मैं जानता हूं कि अप्रैल 1989, 1989 के अंत में अथवा नवम्बर–दिसम्बर, 1989 में एक बात हुई थी के सत्ता में आए थे। क्या उन्हें अचानक पता चला था कि अप्रैल, 1989 में कोई षडयंत्र रचा गया था? क्या उन्हें पता नहीं था कि वे सत्ता में कहां पर है? जब एक वर्ष तक वे सरकार में रहे थे और जब वार्त्ताएं चल रही थी तब क्या उन्होंने यह महसूस नहीं किया था कि देश की संप्रभुता को गिरवी रखा जा रहा है? उनका भी प्रधान मंत्री था, मंत्री थे, सरकार थी फिर पूरे एक साल तक उन्हें इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ?

श्री सैफुददीन चौधरी : सरकारें खराब है और विपक्ष अच्छा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इस टिप्पणी की सराहना करता हूं तथापि सिद्धांत रूप से मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूं कि एक प्रधान मंत्री अपने वाणिज्य मंत्री से सहमत न हो। संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक दायित्व का अर्थ प्रत्येक की गलती को अपने ऊपर लेना है। मेरा कहना है कि यदि ऐसा षडयंत्र अप्रैल 1989 के बाद होता जब संप्रभुता गिरवी रखी जा रही थी और आर्थिक स्वायत्ता को गिरवी रखा जा रहा था तब पूरे एक वर्ष तक उन्हें इस बात का पता क्यों नहीं चला?

सत्ता संभालने के तत्काल बाद इन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने हमें यह कहा कि उन्हें खाली कोष प्राप्त हुआ है। रेल मंत्री ने हमें कहा था कि वह प्रसन्न है कि रेलवे प्रशासन बहुत अच्छा है और वह इसे ऐसे ही चलाना चाहते हैं।

हमें यह भी बताया गया था कि उच्च्य स्थानों पर भ्रष्टाचार को सामने लाया जायेगा लेकिन पूरे एक वर्ष के दौरान हमें एक बार भी यह नहीं बताया गया कि अप्रैल 1989 के निर्णय के द्वारा देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया गया है।

महोदय, हम संप्रभुता और इसको गिरवी रखने के बारे में बात करते हैं। मैं संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति या किसी विदेशी पत्रिका से उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मेरा ज्ञान सीमित है और मैं केवल इस सभा, लोकसभा से उद्धृत करता हूं। मैं इस सभा में कही गई एक टिप्पणी को उद्धृत करता हूं।

> "आपने हमारी आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रख दिया है, आपने हमारे राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा को भी गिरवी रख दिया है। आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया है। आपने देश को बेईमान ऋणदाताओं के हाथ में सौंप दिया है।"

ऐसा एक सदस्य ने जो आज यहां उपस्थित नहीं है लेकिन उनका दल यहां है और वे भी इसी प्रकार बात करते हैं, श्री आर. वेंकटरमण, तत्कालीन वित्त मंत्री के लिए वर्ष 1981 में कहा था। इस प्रकार संप्रभुता तो 1981 में गिरवी रख दी गई थी। इस प्रकार इसे दूसरी बार गिरवी रखा गया है। यदि मैं 1966 के अवमूल्यन को देखूं तो यह तीसरी बार गिरवी रखना हुआ। संप्रभुता को कितनी बार गिरवी रखा जा सकता है इसलिए हमें इस बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री प्रणव मुखर्जी ऐसी टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की संप्रभुता को पहले भी गिरवी नहीं रखा गया था और अब भी गिरवी नहीं रखा जाएगा।

मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक दस्तावेज को ऐसे ही क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं इसे विधान बनाकर लागू करना होगा। संसद को कानून बनाना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आपके पास बहुमत है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास देश के बहुमत की इच्छा है। हम ऐसा कर सकते है। यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : यह सदस्यों की खरीद–फरोख्त का परिणाम है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं हॉर्स ट्रेडिंग या शीप ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं **(व्यवधान)**

संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि बहुमत का निर्णय होगा **(व्यवधान)** आप निर्णय का विरोध कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया जाता है तब यह केवल बहुमत दल का निर्णय नहीं होता है बल्कि यह सभा का निर्णय होता है। जब एक बार सभा का निर्णय हो जाता है तब हमें इससे सहमत होना होगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं कोई उच्छृंखल बात नहीं करने जा रहा हूं।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : उस तरफ जो सदस्य बैठे हुए है, उनमें से कुछ सदस्यों के मुकदमें न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। आपको बहुमत प्राप्त नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बात ठीक है, कि मुझे बहुमत प्राप्त नहीं है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में जब सदन में कोई निर्णय ले लिया जाता है, तो यह समूची सभा द्वारा लिया गया निर्णय बन जाता है। अतः, यदि कोई संसद किसी ऐसे विधेयक को पारित करती है, जिससे कि गैट–प्रस्ताव

लागू होते हो, तो आप यह नहीं कह सकते कि हम अपनी प्रभुसत्ता को गिरवी रख रहे हैं। मेरा यही कहना है। मैं यह क्यों दावा करूंगा कि आपकी अवधारणाएं ज्यादा प्रभावशाली है? मैं आश्वस्त क्यों हूं? मैं आश्वस्त इसलिएं हूं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि आने वाले समय में लोगों को अपने दांत–साफ करने के लिए नीम की दातुन का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा, लेकिन जब जनता यह देखती है कि वे इसका प्रयोग कर रहे हैं तथा इस अधिकार को छीनने के लिए कोई चौकीदार नहीं आया है, तो आपकी दलील कमजोर पड़ जायेगी। आप यह दावा करते हैं कि किसानों को उन द्वारा उत्पादित बीज रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब किसान अपने बीज रख पायेंगे, तो आपकी दलील फीकी पड़ जाएगी। आज आप आंदोलन क्यों कर रहे है? आप अगली फसल आने का इंतजार क्यों नहीं करते? आप क्यों प्रतीक्षा नहीं करते? आपके अनुसार प्रभुसत्ता को पहले ही गिरवी रख दिया गया है। आपका यही विचार है। दूसरी तरफ, आप यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि किसान अपनी उपज की फालतू मात्रा रख सकते हैं। अथवा नहीं तथा इसे बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अथवा नहीं यह मुद्दा पहले भी उठायां गया था। वे इस बीज की मात्रा को बढ़ा सकेंगे। जब आपको वस्तु विनिमय का अधिकार प्राप्त है, जब आपको इसे बेचने का अधिकार प्राप्त है...............

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, फ्लोर पर अनैतिकता की बातें कर रहे हैं। अनैतिकता सिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीड को सीड की तरह मत बेचों। अनाज की तरह बेचो। यह अनैतिकता की बात है। **(व्यवधान)** दल–बदल कर के बहुमत लाओ, सीड को अनाज की तरफ बेचो, यह हाल है।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री नीतीश कुमार जी यह जानना चाहते थे कि पर्यावरण के परिणामस्वरूप, क्या अमरीका हमारे निर्यात के रास्ते में अड़चन पैदा कर सकता है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका एक ऐसा देश है, जोकि रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक प्रयोग करता है। अतः, यदि वे कोई अड़चन पैदा करना चाहते हैं, तो उन्हें दो बार यह सोचना पड़ेगा कि उनके उत्पादों का क्या होगा।

दूसरे, जिस का मैंने उल्लेख किया है, वह जी-15 देशों के सम्मेलन में सम्मिलित नहीं है। लेकिन जी-15 देशों से संबंधित एक कार्यक्रम में यह विषय अवश्य शामिल है तथा मेरे लिए इसका महत्व है। मैंने ऐसा मात्र जन–सहयोग के लिए नहीं कहा हैं। मैंने यह बात जनवरी में कही थी जिस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है, उसके बारे में मेरा आजतक यही स्पष्ट विचार है कि उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाएगी। यदि इसके किसी अनुच्छेद पर दोबारा चर्चा की गई, तो 117 प्रभुसत्ता संपन्न देशों में से हरेक देश इस विषय पर दोबारा चर्चा किये जाने का अधिकार प्राप्त करना चाहेगा।

संक्षेप में, यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप अनुच्छेद 2 का अवलोकन करें, जिसमें यह अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद के अतिक्रमण से संबंध रखता है। ऐसा सभी सदस्यों ने किया है। यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद तथा इसके बाद उल्लिखित अनुच्छेद के प्रावधानों

में संशोधन केवल तभी हो सकते हैं, जब सभी सदस्य इन्हें स्वीकार करें। इसका अर्थ यह है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो विशेषाधिकार हमें प्राप्त है, वह जारी रहेगा। अतः, ...

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद दस के अंतर्गत है। कुछ संशोधन प्रस्ताव ऐसे हैं, जोकि दो-तिहाई बहुमत से पारित किये हुए है। अनुच्छेद दस का अवलोकन कीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप अनेक बातों को चुनौती दे सकते है। कल मुझे सारा दिन आपको यह स्पष्ट करने में लगाना पड़ा था कि यह गैट, 1994 है।

मैं संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका कि अनुच्छेद-दो में निपटान किया गया है। इस अनुच्छेद-दो में उल्लिखित प्रावधानों में किसी प्रकार के संशोधन के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है।

श्री रूपचन्द पाल : अनुच्छेद नौ में क्या लिखा है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : अब सिलसिला क्या है? अब सिलसिला यह है कि 15 अप्रैल को इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

06.00 म.प.

15 अप्रैल की मंत्रीगण अपनी प्रभुसत्ता-संपन्न सरकारों को यह सिफारिश करने जा रहे हैं कि यह प्रामाणिक दस्तावेज है; यह उरुग्वे दौर की वार्ता के प्रामाणिक निष्कर्ष हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : क्या यह वही दस्तावेज है जोकि हमारे पास उपलब्ध है?

श्री प्रणव मुखर्जी : अब हमें कोई मिश्रित वार्तालाप न करें। अतः, मेरा कहना यह है कि मान लीजिये कोई व्यक्ति कोई मुद्दा उठाना चाहता है **(व्यवधान)** मेरा हृदय इतना विशाल नहीं है जितना कि आपका **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपने आज कोई अन्य दस्तावेज परिचालित किया है?

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं। बात यह है कि हरेक अनुच्छेद तथा हरेक धारा अलग-अलग पृष्ठों पर दी गई है। कृपया इस अनुच्छेद 10(2) के पृष्ठ 6 पर एम०टी०एन०/एफ०ए० -II को देखिये जिसमें यह कहा गया है; इस "अनुच्छेद तथा इसके बाद उल्लिखित अनुच्छेदों के उपबंधों में संशोधन सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही प्रभावी होंगे।" ये अनुच्छेद कौन से हैं? **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह पूरी बात नहीं है। अनुच्छेद दस में संशोधन होने है। यह सभी सदस्यों के लिए है। इस सारे अनुच्छेद में संशोधन होने है। कृपया इस पर गहराई से गौर करें। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : हमें इस पहलू की गहराई में नहीं जाना चाहिए। अब मैं बीज-उपचार के प्रश्न को लेता हूं। क्या घटित होगा? किन्हीं प्रचार वित्त-पोषित संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों

द्वारा जो बीज विकसित किये जा रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि ये चीजें हम कहां से प्राप्त कर रहें हैं? अब सवाल यह है कि दो–तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। कुछ अनुच्छेद मूल अनुच्छेद की प्रकृति के नहीं हैं। अनुच्छेद एक के बारे में वीटों का अधिकार दिया गया है। यही संबंधित अनुच्छेद है। मेरी यही मंशा है। अतः, यह अनुच्छेद अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। जो अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद नहीं है, उनमे दो–तिहाई बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद, एक सहित– जोकि मूल अनुच्छेद है तथा जोकि सदस्यों के मौलिक अधिकार से संबंधित है– उन अनुच्छेदों में जोकि संबंधित अनुच्छेद है – में मात्र दो–तिहाई बहुमत से ही संशोधन नहीं किया जा सकता। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः आपका कहना यह है कि इन अनुच्छेदों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इससे अलग बात कह रहा हूं। आपने मुझे पूरी बात नहीं कहने दी। यदि आप अनुमति दे और चाहे तो मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। मेरा कहना यह है: क्या इन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता के अन्तिम निष्कर्षो के रूप में माना गया था। हम 15 तारीख को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस दस्तावेज पर एक बार हस्ताक्षर करने के बाद, इसमें नये मुद्दे शामिल नहीं कर सकते। यदि आप इसमें नये मुद्दे शामिल करना चाहते, तो फिर हरेक सदस्य को इसमें नये मुद्दे शामिल करने का अधिकार होगा हम पर अनुच्छेद एक लागू होता है। जब 1.1.95 को गैट, 1994 स्वीकार कर लिया जायेगा, तो वह अनुच्छेद एक का एक अंग बन जायेगा। लेकिन 15 अप्रैल की कार्यवाही में यहां उल्लिखित ये प्रावधान लागू नहीं होगें, बल्कि गैट–समझौते के वर्तमान उपबंध लागू होंगे। इसी वजह से कल मैंने यह उल्लेख किया था कि अतिरिक्त अवधि होगी, जब यह समझौता लागू होगा तथा समय–समय पर 1979 तक यथा संशोधित गैट–समझौता 1947 भी इसके साथ–साथ जारी रहेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह समझौता कब तक जारी रहेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरे विचार से यह समझौता तब तक जारी रहेगा, जब तक एकता हैं अतः, मेरा विचार है कि मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता था कि ये असम्बद्ध मुद्दे हैं। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इस विषय पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति को हम कैसे ढाल सकते हैं। ऐसे तीन घटक हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विकसित देश इस विषय पर एकमत हैं। आप गैट–समझौते, की बात कर रहे हैं। क्या केवल हम ही इस बारे में चितिंत है? ऐसी बात नहीं है। इस समझौते से सभी 117 देश चिंतित हैं। सभी 117 देशों में देशभक्ति की कुछ भावना है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देशभक्ति की भावना हमीं में हैं; इस दस्तावेज से केवल हम ही चिंता मे नहीं है। हर व्यक्ति देश इस बात की जांच कर रहा है कि फायदा कहां हैं। यदि हम यह पाते हैं कि फायदे का संतुलन गैट–समझौते का सदस्य बनने में हैं, और विशेष तौर पर वर्तमान परिदृश्य में, तो हम क्या करेंगे?

[अनुवाद]

निसंदेह, बहुत से क्षेत्रों में कमजोरी व्याप्त है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक चीज बिलकुल स्पष्ट है। इनमें संदेह व्याप्त है। 1947 में भी ऐसी स्थिति थी। हवाना दौर वार्ता के बाद भी ऐसी

ही स्थिति थी। टोकियो दौर वार्ता के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी। जब विभिन्न देश अपने कानून बनाते हैं, तो वे उस लागू करने की कोशिश करते हैं यदि इस प्रक्रिया में कहीं कोई विवाद हो जाता है तब विवाद का निपटारा करने वाला तंत्र बनाया जाता है और फिर द्विपक्षीय वार्ता, कोई और मंच जो भी उपलब्ध हो, के माध्यम से वे उसका निपटारा करते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि जो कुछ यहां पर लिखा है, पूर्णतया लागू किया जाएगा क्योंकि इसे लागू करते समय हमें यह देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत से अंग है जिनमें ग्रे–अंग भी है, जिन्हें स्पष्ट करना होगा और जिन पर आगे चलकर बातचीत और वार्ता होगी। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या सामाजिक कानूनों पर आपका यह प्रस्ताव है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आप इसे नहीं ला सकते। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सामाजिक स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूं। सही मायनों में यह व्याकुल करने वाली बात है। मैं इसके बारे में नहीं जानता। वाणिज्य मंत्री के नाते आप इसके बारे में जानते हैं कि अमरीका तथा दूसरे विकसित देशों ने प्रतिलाभ शुल्क का प्रस्ताव किया है। माराकेश घोषणा में इस पर अनुमोदन की अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश भी निर्यात को वास्तविकता में बदलने के लिये कीमत प्रणाली में सामाजिक लागत को जोड़ने के अमरीका द्वारा प्रायोजित अभियान से व्यापार बंद कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको इस बारे में क्या जानकारी है और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : सही मायने में यह मेरे लिये समस्या है मेरे लिए चिंता की बात है। इस बात के लिये दबाव डाला जा रहा है कि इसे लागू किया जाना चाहिए और इस बात को देवास में होने वाली एक अनौपचारिक वार्ता में उठाया गया था। वहां सबसे पहले यह बात मैंने उठायी थी और इसके बाद बहुत से विकासशील देश हम से सहमत थे कि ये असंगत मुद्दे हैं। हम यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें मानव अधिकारों की चिंता नहीं है; यह सच्चाई नहीं है कि हमें श्रम–अधिकारों की चिंता नहीं है, यह भी सच्चाई नहीं है कि हमें पर्यावरण की चिंता नहीं है। बल्कि हम यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में एक अलग मंच बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना हुआ है; संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बना हुआ हैं और हम मॉन्ट्रियल घोषणा के प्रति भी वचनवद्ध है और जहां तक पर्यावरण का संबंध है हम रिओं घोषणा के प्रति भी वचनबद्ध है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि इसे 'नान–टेरिफ' बाधा के रूप में लाया जाये। यदि आप यह कहते हैं कि उरुग्वे दौर वार्ता में एक संदेश दिया गया है और यदि उस संदेश के अनुसार प्रत्येक विकासशील देश से विकसित देशों का बिना किसी 'टेरिफ' बाधा अथवा बिना किसी 'नान–टेरिफ' बाधा के अबाधित व्यापार प्रवाह बनाया जाना है, तब साधारणतया पर्यावरण के नाम पर सामाजिक लागत के नाम पर आप कोई नयी 'नान–टेरिफ' बाधा खड़ी नहीं कर सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन क्या वे इसे स्वीकार कर रहे हैं

श्री प्रणव मुखर्जी : यह स्थिति है। अब यदि कोई व्यक्ति इस पर दबाव डालना चाहता है तो हमारे पास उसका क्या विकल्प होगा। यह केवल हम से संबंधित बात ही नहीं है बल्कि सभा के सभी 117 देशों को यह कहने का अधिकार होगा कि आप साधारणतया इसे नहीं ला सकते।

जहां तक मुझे ज्ञात है जो वार्ता चल रही है उसमें शायद एक या दो दिनों में ही उसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा। बहुत से विकासशील देश तथा कुछ विकसित देशों का यह कहना है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप इस सभा के बीच साफ–साफ ऐसा कह सकते हैं कि भारत सरकार इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी? कृपया यह बताये। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस प्रतिलाभ शुल्क के कारण हमें जो लाभ होगा वह सबसे कम होगा। कृपया ऐसा कहिये। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे छिपाये नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं नहीं, मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। मुझे बहुत से देशों के साथ चर्चा करने का अवसर मिला है। हम 'इसकेप' का आतिथ्य करने ज" रहे हैं। इस सत्र में 58 देश भाग लेगें। इसलिए हमें अभी से अपने विचार नहीं बनाने चाहिये। हमें उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। मैंने पहले भी जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृतांत में दर्ज है। मैंने दावोस में भी ऐसा कहा है। दिल्ली में भी मैंने ऐसा कहा है कि हम यह नहीं चाहते कि कोई असंगत मुद्दे उठाये जायें। लेकिन निश्चित तौर पर मैं यह नहीं कह सकता कि ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : इससे क्या होगा, अभी तो कहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं अपने आप को बंधन में नहीं रख सकता। **(व्यवधान)** मैं अपनी ओर से कोई वचन नहीं दे रहा हूं; मैं अपने आप को किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं बांध रहा हूं। महोदय, आपका धन्यवाद। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय वाणिज्य मंत्री ने स्वयं बड़ी–बड़ी आशंकाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिये खतरनाक सिद्ध होगा। यदि अमरीका तथा अन्य विकसित देश प्रतिलाभ शुल्क लागू करते हैं तो आप कहां पर निर्यात करेंगे। माननीय वाणिज्य मंत्री जी, आप किस चीज का निर्यात करेंगे। यह भी उनका ही कथन है। यह भी उनकी ही आशंका है। लेकिन आज भारत खड़ा होकर इसका प्रतिरोध नहीं कह सकता। पूरी की पूरी संसद आपको समर्थन प्रदान करेगी। हम इस तरह के समर्थन की शिकायत करते आ रहे हैं ऐसा करना और कुछ नहीं बल्कि अपने मान सम्मान के साथ समझौता करना है। वह ऐसा नहीं कह सकते। केबीनेट मंत्री ऐसा नहीं कह सकते। यह क्या है? इसे स्पष्ट करना होगा। श्री प्रणव मुखर्जी जी को कहना चाहिये .... **(व्यवधान)** उन्हें ऐसा अवश्य कहना चाहिए। यदि सुपर 301 लागू किया जाता है तो क्या होगा? प्रणव मुखर्जी जी, यह पूरी की पूरी संसद आपके साथ होगी। कृपया खड़े हो जाइये **(व्यवधान)** वे आम सहमति की बात कर रहे हैं।

जब हम उन्हे पूरा समर्थन दे रहे हैं, तो वे खड़े ही नहीं होते। यह कमजोर सरकार है। यह

सरकार कमजोर हो गई है; डरपोक सरकार बन गई है। हम अपनी स्वतंत्रता, अपना मान–सम्मान और अपने गौरव के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए, इसके विरोध में हम इसमें भाग नहीं ले सकते।

[अनुवाद]

6.11½ म.प.

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इस मुद्दे पर हम भी सभा का बहिष्कार करते हैं।

6.12 म.प.

इस समय श्री श्रीकान्त जेना और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उन्होंने, हमने जो प्रश्न उठाये हैं, उनका जवाब नहीं दिया है। अतः, हम सभा का बहिष्कार करते हैं।

6.12 म.प.

इस समय श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ–साथ फ्रांस ने भी इस कार्यवाही का समर्थन किया है.......**(व्यवधान)**........ ऐसी स्थिति में फ्रांस द्वारा अमरीका का समर्थन किया जा रहा है। अंतिम अधिनियम के अनुसार फ्रांस सदस्य है............**(व्यवधान)**..

अध्यक्ष महोदय : ये बातें कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। आप क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)*

6.12½ म.प.

इस समय श्री भोगेन्द्र झा और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

.............**(व्यवधान)***...........

6.13 म.प.

इस समय श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात कही है। उनसे मंत्री के रूप में, ऐसे जटिल मामलों पर तत्काल ही जवाब की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : स्पष्टीकरण जानने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उनमें से दो या तीन बातें दोहरा रहा हूं जो मैनें उस समय कही थी जब मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर मिला था। ये बातें अनुत्तरित ही रह गई हैं; लेकिन मेरे विचार में ये काफी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, मैं प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। क्या यह सही है कि 15 अप्रैल को मर्राकेश में अंतिम अधिनियम के प्रमाणीकरण और उसके बाद राष्ट्रीय विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद उसमें परिवर्तन के लिए कोई विकल्प नहीं है। यह बात बार–बार कही जाती है और इसके बाद मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, उसका इसके साथ सीधा सम्बन्ध है। 15 दिसम्बर को पहले जब हमने चर्चा की थी, तो माननीय वाणिज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 15 दिसम्बर जो कुछ स्वीकार किया गया है, उसे इसके बाद किसी सरकार के लिए परिवर्तित करना बहुत कठिन होगा। अब इसे 15 अप्रैल को अनुमोदित कर दिया जायेगा। 15 अप्रैल को प्रमाणीकरण और राष्ट्रीय विधान मंडलों द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, जिसमें नौ महीने से भी अधिक समय लग सकता है, क्या परिवर्तन के लिए कोई विकल्प है? अगर परिवर्तन के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो फिर सामाजिक हित का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है?

अध्यक्ष महोदय : वह बात स्पष्ट है।

श्री जसवन्त सिंह : दूसरे, विश्व व्यापार संगठन और राष्ट्रीय कानूनों का क्या दर्जा है? यह प्रश्न मैंने उठाया था कि एक बार विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ जाये, उसके बाद अमरीकी धारा 301 जैसे राष्ट्रीय कानूनों को और अधिक समय के लिए लागू नहीं किया जाये। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से यहां यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जैसे ही विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आयेगा, उसे लागू नहीं किया जायेगा। इस मामले पर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है।

चौथे, मैंने एक स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया था कि जो दस्तावेज परिचालित किया गया था, उसमें बहुपक्षीय समझौते के अनुबंध 4 (क) से 4 (घ) तक सम्मिलित क्यों नहीं किये गये हैं। माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण से जो बात मुझे समझ आई है, वह यह है कि उन्हें इसलिए परिचालित नहीं किया गया क्योंकि हम उन समझौतों में शामिल नहीं थे। उसके बाद भी मेरा प्रश्न यह है कि जब यह समझौता एक पूर्ण समझौता था तो हम शामिल क्यों नहीं हुए। पहला अनुबन्ध सिविल विमान के व्यापार के बारे में है। सिविल विमान के व्यापार में हम एक पार्टी क्यों नहीं थे? दूसरा, सरकारी खरीद के बारे में है। सरकारी खरीद में हम एक पक्ष क्यों नहीं हैं? तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समझौते के बारे में है। वह कौन सी बात है जिसने हमें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समझौते का सदस्य बनने से रोका है। चौथे, पशुपालन बैठक के बारे में एक समझौता था, जो निःसंदेह समझने योग्य बात है। इन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से इन्हें स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय.........**(व्यवधान)***..........

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह ने सामाजिक हितों के बारें में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यही तर्क मैं उन लोगों के विरूद्ध प्रयोग कर रहा हूं, जो सामाजिक हित शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सात वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात्, हमने एक दस्तावेज तैयार किया है। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहतें हैं, तो फिर यह केवल आपकी इच्छा तक ही सीमित नहीं रहेगा। सभी 117 देश अपने विकल्प चुनना चाहेंगे। फिर तो भानुमती का पिटारा खुल जायेगा। इसी तर्क का हम प्रयोग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। व्यवहारिक बात यही है। लेकिन तकनीकी रूप से इसे किया जा सकता है। जब मंत्री मिल रहे हैं तो ये केवल विकसित राष्ट्रों के ही मंत्री नहीं हैं। 117 मंत्री वहां होंगे और अगर सभी 117 मंत्री यह कहते हो कि वे एक परिवर्तन करना चाहते है, तो कानूनी रूप से इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन व्यावहारिक रूप से मुश्किलें उत्पन्न होगी। सात वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात् जो भी परिणाम होगा, वह हरेक के लिए सौ प्रतिशत संतोषजनक नहीं हो सकता। यह बात शक्तिशाली देशों अथवा राष्ट्रों के समूहों के मामले में भी सच है। परिवर्तन की चाह से भानुमती का पिटारा खुल जायेगा। लेकिन कानूनी रूप से कहें तो मंत्रियों को यह अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : अगर मंत्रियों का आवश्यक बहुमत यह चाहता है, तो वे इसे कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतिम अधिनियम में परिवर्तन किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : उसमें एक संशोधन करने वाला खण्ड है जिसमें देशों की एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है। अगर कुछ निश्चित संख्या में देश किसी संशोधन के लिए कहें, तो तकनीकी रूप से यह किया जा सकता है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे यह कहने की अनुमति दें...........

अध्यक्ष महोदय : यही बात उन्होंने कही है। यह मेरा वक्तव्य नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : फिर मेरे विचार में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि माननीय वाणिज्य मंत्री को यहां एक आश्वासन देना चाहिये कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो........ **(व्यवधान)**..........

श्री प्रणव मुखर्जी : जसवन्त जी, मैनें आपके अनुबन्धों से संबधित प्रश्न का जवाब नही दिया है। बहिर्गमन करने से पहले कृपया आप मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिये। मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूं और उस स्थिति में शायद आप बहिर्गमन करें। अतः, बहिर्गमन करने से पहले कृपया मेरा जवाब सुन लीजिये कि हमने अनुबन्धों को शामिल क्यों नहीं किया । ये बातें टोकियो दौर की चर्चा में की गई थी। आप गैट और इसके विधिशास्त्र को जानते हैं। इसके 40 ग्रन्थ हैं, जो हजारों पृष्ठों में हैं। ये बातें बहुपक्षीय समझौते में कही गई हैं। ये समझौते टोकियो दौर के समय

से ही हो रहे हैं। उरूग्वे दौर की बातचीत में उन्हें नहीं लाया गया था। टोकियो दौर की बातचीत में हम इसमें शामिल नहीं थे। अतः, उरूग्वे दौर की बातचीत में भी इसमें हमारे शामिल होने का प्रश्न ही नहीं था। इस बात का स्पष्टीकरण समझौते के अनुच्छेद दो, जिसमें बहुपक्षीय व्यापार संगठनों के गठन की बात कही गई है, में दिया गया है। मैं अनुच्छेद दो उद्धृत करूंगा, जो कहता है :

अनुबन्ध 1, 2 तथा तीन में शामिल समझौते और संबंधित विधि दस्तावेज (जिन्हें इसके पश्चात् "बहुपक्षीय व्यापार समझौते" कहा गया) इस समझौते के आंतरिक भाग हैं, जो सभी सदस्यों पर लागू होते हैं।

बहुपक्षीय समझौते के सम्बन्ध में, खण्ड 3 में उन्होंने कहा है कि जो इसके सदस्य नहीं हैं अथवा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे लोग इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

अब मैं प्रथम स्पष्टीकरण पर आऊंगा, जिसे आप जानना चाहते थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह उरूग्वे दौर की बातचीत का प्रमाणित विवरण होगा। जिस क्षण में इसे प्रमाणित कर देता हूं उसके बाद मैं इसे परिवर्तित नहीं कर सकता। जिस समय इनकी सिफारिश की जाती है– उरूग्वे दौर की चर्चा के अंतिम परिणाम, जिन्हें स्वीकार करने अथवा नकारने की सिफारिश आप 15 अप्रैल के बाद संबंधित संप्रभु देशों के मंत्रियों के समूह से कर रहे है– तत्पश्चात् आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है।

एक बात कही गई है कि अनुमोदन हमारी सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। जहां तक अनुमोदन का सम्बन्ध है। यह कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद को नही, मंत्रीपरिषद् को, सरकार को इसका अनुमोदन करना चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के लिए यह कहना बहुत आसान होना चाहिये कि अब और 15 अप्रैल के बीच अर्थात–अंतिम अधिनियम के प्रमाणन पर हम सामाजिक हित के लिए अमरीकी मांगे स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों से परामर्श किये बिना कोई मंत्री स्पष्ट सुझाव नहीं दे सकता।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह तर्क इसलिए प्रयुक्त कर रहा हूं कि इसे लाचा क्यों नहीं जा सकता। जब मैंने यह कहा कि उरूग्वें दौर की बातचीत में बाधा पहुंचाने के लिए ऐसे कठिन मसले नहीं लाये जाने चाहिये तो मेरी भावना वही थी। यही मेरी स्थिति है। मैंने यही कहा है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे वाणिज्य मंत्री जी के इस कथन पर आपत्ति है कि हम वाक–आऊट करना चाहते है? हम वाक–आऊट करना नहीं चाहते, कम से कम अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते। अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा।

अभी–अभी मैं जी–15 के सम्मेलन के अंतिम समारोह में भाग लेकर आ रहा हूं। जो दस्तावेज जी–15 ने स्वीकार किया है, वह विकासशील देशों की भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन

वह इस आशंका को भी व्यक्त करता है कि समृद्ध देश, अमीर देश, एक ओर तो गैट पर दस्तखत करने जा रहे हैं और दूसरी ओर व्यापार के रास्ते में नयी रूकावटें खड़ी कर रहे है।

डा. मनमोहन सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि यह गैर–बराबरी की दुनिया है। सवाल यह है कि गैर–बराबरी बढ़ेगी या घटेगी? इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के बाद हम गैर–बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वह मजबूत होगी या हम अपने हाथ–पांव बांध लेंगे।

दोपहर में भी मैंने इस सवाल को उठाया था और अभी इस सवाल को उठा रहा हूं। अगर श्री प्रणव मुखर्जी इस स्थिति में नहीं है कि वे जवाब दे सकें तो यह बात अलग है। श्री प्रणव मुखर्जी ने हिंदी के दैनिक जागरण से चर्चा में स्वीकार किया है कि हम दबाव में आकर समझौता कर रहे हैं। वैसे यह समझौता कोई बहुत अच्छा समझौता नहीं हैं। यह ठीक है कि हम दुनिया में अलग–थलग नहीं रह सकते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनकर चलना है। लेकिन अगर 6 महीने में यह अनुभव आता है कि यह हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहा, जाखड़ साहब नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गैट संधि अगर किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही हैं, ऐसा हमें लगता है तो क्या हम जो विदड्राल का क्लाज है, उसका लाभ उठाकर गैट संधि से बाहर निकलने का फैसला करेंगे? दो टूक जवाब चाहिए। गम्भीर स्थिति है। उत्तर दीजिये।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : इसे अभी लागू नहीं किया गया है। पहले इसे लागू होने दीजिये फिर इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि जब वह वहां पहुचेंगे, तब वह पुल को पार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ब्रिज के क्रास करने से पहले ही नदी में डूब जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : हमें पहले पुल तक जाने दीजिये। हम अभी पुल पर नहीं पहुंचे है। हम अभी उससे काफी दूर है। हमें पुल तक पहुंचने दीजिये फिर हम विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह जवाब संतोषजनक नहीं है। हम यह भी कहना चाहते है कि इस दस्तावेज के अंतर्गत आप कानून बनायेंगे और उसके लिए आपको संसद के सामने आना पड़ेगा, यह आपने स्वीकार किया है। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वाकआउट से भी खत्म नहीं होगी। यह लड़ाई चलती रहेगी, इस चीज का ऐलान करके हम सदन से वाकआउट करते है।

[अनुवाद]

6.26 म.प.

(तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने विवेकपूर्ण ढंग से इस चर्चा में भाग लिया और सहयोग भी दिया। वे हमारी बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : सूची पर दूसरी मद मंत्री द्वारा वक्तव्य है।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप कृपया रख दीजिये।

6.26½ म.प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(दो) आयात और निर्यात नीति, 1992-97 में महत्वपूर्ण परिवर्तन

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं 30-3-1994 की स्थिति के अनुसार निर्यात तथा आयात नीति, 1992-97 में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

माननीय सदस्यों को मालूम है कि 31 मार्च, 1992 को पांच वर्ष की अवधि (1992-97) के लिए नई निर्यात–आयात नीति घोषित की गई थी। बाद में 31 मार्च, 1993 को मैंने सदन को उन परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी थी जो कि वर्ष 1993-94 के लिए निर्यात–आयात नीति में किए गए थे। संशोधित नीति में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में निर्यातों की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया था और आपको यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि उन उपायों से यथोचित लाभ हुआ है तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष के दौरान हमारा निर्यात बढ़कर 45.3 प्रतिशत तक हो गया है।

पिछले वर्ष घोषित किए गए उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय निर्यातों की निषेधात्मक सूची से 144 मदों को हटाना था ताकि हमारे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इन परिवर्तनों के प्रति हमारे निर्यात का रूख काफी अनुकूल रहा है और 1992-93 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर और 1991-92 में 1.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के मद्दे 1993-94 के प्रथम 11 महीनों के दौरान डालर के हिसाब से लगभग 21 प्रतिशत की आशाप्रद वृद्धि हुई है। इससे भी अधिक उत्साह–वर्धक बात यह है कि निर्यात में यह वृद्धि व्यापक आधार वाली है और सम्पूर्ण निर्यात मदें इसकी परिधि में आ गई हैं। हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि 1993-94 में प्राप्त निर्यात वृद्धि की गति न केवल बनी रहे बल्कि इसमें और अधिक तेजी भी आये।

लाभप्रद निर्यात वृद्धि को बनाये रखना देश के भुगतान संतुलन (बी ओ पी) की सतत व्यवहार्यता की पहली आवश्यकता है। देश में उत्पादित माल और सेवाओं के लिए बाजारों का विस्तार करके निर्यात देश में औद्योगिक प्राप्ति का वाहक भी बन सकता है। निर्यात के द्वारा इस निर्णायक भूमिका को निभाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा सामान, मूल्य, गुणवत्ता और स्थायित्व की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुकूल हैं। यह अच्छी बात है कि अब निर्यातों को राष्ट्रीय

प्राथमिकता के रूप में मान्यता मिल गई है। हम धीरे-धीरे यह सोचना शुरू कर रहें है कि उत्पादित माल को निर्यात करने की बजाय निर्यात करने के लिए उत्पादन किया जाए। यदि हम निर्यातकों के सम्मुख आने वाली सभी प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर कर दें, तो इस सफल परिवर्तन को कायम रखा जा सकता है।

इन उद्देश्यों को मद्दे नजर रखकर ही हम निर्यात आयात नीति को उदार बनाने के लिए उसमें और परिवर्तन कर रहे हैं। इन परिवर्तनों से व्यापार और उद्योग के साथ हमारी अहन अंतःक्रिया और पिछले दो वर्षो से नीति के कार्यान्वयन से प्राप्त हमारे अनुभवों के परिणामों, की भी झलक मिलती है।

निर्यात-आयात नीति के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सरल और कारगर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये परिवर्तन इन उद्देश्य के लिए गठित की गई एक समिति की सिफारिशों के आधार पर किये गये हैं। नीति में परिवर्तन करते समय, हमारी निर्यात उपलब्धि में 40 प्रतिशत योगदान करने वाले और 1.35 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने वाले लघु उद्योगों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करने का भी ध्यान रखा गया है।

निर्यात-आयात नीति

अब मैं सदन को आज से प्रभावी हो रही निर्यात आयात नीति में किये जा रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी देना चाहूंगा। निर्यात क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले निर्यातकों को कुछ और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, विशेष आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातों की सूची को बढ़ाया जा रहा है। तथापि, ऐसा करते समय, मैनें इस बात का ध्यान रखा है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण की नीति के अन्तर्गत देश में उत्पादित की जा रही मदों को अनुमित न किया जाए। अच्छे निष्पादन वाले और इससे भी अधिक अच्छा कर दिखाने की क्षमता रखने वाले निर्यातकों को मान्यता देने और गौरवमयी स्थान दिलाने के लिए सुपर स्टार व्यापार सदन नामक एक नई श्रेणी बनायी जा रही है। शुल्क मुक्त स्कीम को पुनः सरल बनाया जा रहा है और 31 मार्च, 1993 को यथा-विद्यमान 2200 मदों के मद्दे अब 3383 मदों के लिए निवेश-उत्पादन मानदण्डों को अंतिम रूप दिया गया है। इससे निर्यातक समुदाय को कुशल सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

अभिग्रहीत निर्यात

देश की औद्योगिक बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए देश में विनिर्माताओं को कुछ और अधिक सुविधाएं दी गयी हैं। अब से आगे शुल्क मुक्त लाइसेंसों के धारक माल का आयात करने के बजाय अभिग्रहीत निर्यात लाभ के साथ उसे देश के विनिर्माताओं से जुटा सकेंगे। विशेष अग्रदाय लाइसेंसों, अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंसों, हस्तान्तरित अग्रिम लाइसेंसों और संवेदनशील सूची की मदों के लिए मूल्य के अनुसार अग्रिम रिलीज आदेश की सुविधा को बढ़ा दिया गया है। अब मूल्य आधारित लाइसेंसों पर संवेदनशील सूची की मदों के लिए अनुमेय अतिरिक्त 20 प्रतिशत की छूट अग्रिम रिलीज आदेशों पर भी दी जाएगी। हमारा यह भी प्रस्ताव है कि जो अभिग्रहीत निर्यातक शुल्क मुक्त स्कीम की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं उन्हें आपूर्ति के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की दर पर विशेष आयात लाइसेंस दिए जाएं।

ई पी सी जी स्कीम

निर्यातकों को तात्कालिक और कुशल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ई पी सी जी लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियां, जो इस समय विदेश व्यापार महानिदेशालय में केन्द्रीत हैं, विकेन्द्रीकृत कर दी गई है। अब से क्षेत्रीय कार्यालय 20 लाख रूपये तक के आयातों की अनुमति दे सकते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत आभार की पूर्ति के लिए तीसरे पक्ष के निर्यातों को भी अनुमित किया गया है और यह आभार आयातित पूंजीगत माल से संबंध रखने वाले उन्हीं उत्पादों के निर्यात पर आधारित होगा।

शुल्क मुक्त स्कीम

पिछले बहुत से वर्षों से शुल्क मुक्त स्कीम हमारे निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही है। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अन्तर्गत दुरूप्रयोग के कुछ मामले हमारे ध्यान में आए हैं जिनके लिए सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की गयी है। लेकिन बेईमान तत्वों द्वारा आंशिक दुरूप्रयोग करने से काफी संख्या में वास्तविक निर्यातकों के लिए कठिनाई पैदा नहीं होनी देनी चाहिए। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के भी अपने निजी गुण हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इस स्कीम को कुछ पूर्वोपायों के साथ जारी रखा जाए। मैनें शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत और भी सरलीकरण किया है। अग्रिम शुल्क निकासी परमिट के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य संयोजन को घटाकर 15 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तीसरा पक्ष निर्यातों की अव अनुमति होगी। निर्यात समुदाय को तेजी से और फ्लोत्पादक सेवा अर्पित करने के विचार से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 4 क्षेत्रीय लाइसेंस समितियां बनायी गई हैं जो उन मामलों के सम्बन्ध में 1 करोड़ रूपये तक के लाइसेंसों की अनुमति देंगी जिनमें अभी तक मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी तब तक आवृत्ति लाइसेंस देना जारी रखेंगे जब तक कि विशेष अग्रिम लाइसेंस समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित न कर दिए जाएं। क्षेत्रीय कार्यालयों को 12 महीने तक की वृद्धि करने की अनुमति देकर पुनः वैधीकरण और निर्यात दायित्व की प्रक्रिया को और भी सरल और कारगर बनाया गया है। क्षेत्रीय लाइसेंस समिति उन मामलों में 10 करोड़ रूपये तक के लाइसेंस की अनुमति दे सकती है जिनमें मानदण्ड निर्धारित कर दिए गए हैं। उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्ष के निर्यातों के 125 प्रतिशत पर लाइसेंस मंजूर करने की प्रारम्भिक सीमा बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दी गई है। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी अब मूल्य शर्तो में 5 प्रतिशत की कमी को विनियमित कर सकते हैं।

विधिक वचन पत्र/बैंक गांरटी (एल यू टी/वी जी)

लागत की सार्थकता को सुनिश्चित करने के लिए और निर्यातकों को कष्टप्रद जीवन से मुक्त कराने के उद्देश्य से विधिक वचनपत्र को अधिक तर्क संगत बना दिया गया है। निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन को मंजूर की गई एल यू टी की सीमा जो विगत वर्ष के निर्यात के 3 गुना थी, अब 5 गुना होगी और अन्य निर्यातकों के लिए एल यू टी की सीमा पहले अनुमित डेढ गुने से बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। अब एल यू टी की असीमित सुविधा सुपर स्टार व्यापार सदनों को दे दी गई है।

अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले निर्यातक 1 करोड़ तथा इससे अधिक मूल्य

के लिए जारी लाइसेंसों के संबंध में अब दो भागों में बैंक गांरटी दे सकते हैं। अन्य मामलों में वे 50 प्रतिशत निर्यात पूरा करने के बाद अपने मूल बैंक गांरटी को कम मूल्य से प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

डी ई ई सी बुक में सहायक विनिर्माता की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया जाना समाप्त कर दिया गया है। डी ई एस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले लाइसेंसधारी अब मदों के आयात तथा उसके निर्यात आभार के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। वे आढ़तियों (जाव्वर्स) सहित किसी भी यूनिट से सामग्री तैयार करवा सकते हैं। यदि मूल क्रेता ने आर्डर निरस्त कर दिया हो, तो शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत आने वाला निर्यातक अब विदेश व्यापार महानिदेशालय से विशिष्ट अनुमति लिए बिना ही विदेश में किसी अन्य क्रेता को निर्यात कर सकता है।

विशेष आयात लाइसेंस

विशेष आयात लाइसेंस के माध्यम से निर्यातकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन से वंछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी और सामान्य आयात उदारीकरण के कारण मुक्त रूप से व्यापार योग्य इन विशेष आयात लाइसेंसों पर मिलने वाले प्रिमियम का स्तर बहुत नीचे गिर गया था। अपने निर्यात प्रयासों को बनाये रखने के लिए इस निर्णायक परिस्थिति में अपने निर्यातकों को आवश्यक प्रेरणा और प्रोत्साहन देना सर्वोपरि महत्व का कार्य है। विशेष आयात लाइसेंसों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षा खेलों, संचार, कार्यालय उपस्करों, कुछ उपभोक्ता माल/लघु उद्योग की यूनिटों के अनारक्षित कन्ज्यूमर ड्यूरेवल्स, अतिरिक्त पूर्जों और संघटकों से सम्बन्धित मदों को काफी संख्या में अब विशेष आयात लाइरोंसों के माध्यम से आयात के लिए अनुमति किया जा रहा है। सभी विद्यमान वैध लाइसेंस और इसके बाद जारी किये गये लाइसेंस सामान्य सीमाशुल्क का भुगतान करने पर इन मदों को आयात करने के लिए पात्र होंगे। तथापि सोना व चांदी देश में आने वाले यात्रियों पर लागू ई ई एफ सी लेखा धारकों से रियायती दर पर सीमाशुल्क विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर विशेष आयात लाइसेंसों के मद्दे आयात किये जा सकेंगे।

सुपर स्टार व्यापार सदन

जबकि देश के निर्यात विकास कार्यक्रम में छोटे निर्यातकों का योगदान पूर्ण–स्पेण सराहनीय रहा है। चोरी के निर्यातकों की उचित और उपर्युक्त पहचान प्रदान की जानी है। और उन्हें अपने निष्पादन स्तर को और ऊचां उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सुपर स्टार व्यापार सदन नामक एक नई श्रेणी बनाई गई है और वे सभी निर्यातक सुपर स्टार व्यापार सदन बनने के लिए पात्र हैं जिनका परवर्ती 3 लाइसेंसिंग वर्षो के दौरान औसत जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य व्यापार 750/– करोड़ रूपये या परवर्ती वर्ष के दौरान 1000/– करोड़ रूपये हैं। ऐसे व्यापार सदनों को

(क) व्यापार नीति और सवर्धन से सम्बन्धित एपेक्स परामर्शी निकायों की सदस्यता

(ख) महत्वपूर्ण व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का प्रतिनिधित्व

(ग) विदेश व्यापार के लिए विशेष अनुमति, और

(घ) बढ़ी हुई दरों पर विशेष आयात लाइसेंस दिये जाएगें

कुछ किस्म के सेवा निर्यातों जैसे साफ्टवेयर, विदेशों में कोई की गई परामर्शी सेवा संविदाओं सहित विदेशों में की गई व्यावसायिक सेवाओं को अब निर्यात सदन/व्यापार सदन/ स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन की पात्रता के लिए गणना की जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधायें

निर्यात–आयात नीति में परिवर्तन करते समय, हमने अपने विकलांग व्यक्तियों का भी ध्यान रखा है। उन्हें अब ऐसी कारें आयात करने की अनुमति है जिनमें विशेष नियंत्रण सुसज्जित किये गये हों। कम्प्यूटरीकृत ब्रेल मुद्रणालयों से सम्बन्धित मदें दृष्टिहीनों के लिए पाठ्य–अध्ययन प्रणाली, आवर्धन हेतु अगोलीय लैंस जैसे चश्मा आवर्धक हैड हैल्ड मैनीफायर और टेवल मॅग्नीफायर का व्यापार अब मुक्त रूप से अनुमेय होगा। इसी प्रकार शारीरिक रूप से विकलांगों और अपाहिजों के लिए कृत्रिम अंगों और बहरे व्यक्तियों के लिए आवृत्ति अधिमिश्रित श्रवण सहायक प्रणाली का उनके समूहों को, उनके जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, आयात भी अब मुक्त रूप से हो सकेगा।

पुरानी मशीनरी का आयात

सरलीकृत नीति के तहत वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा पुराने पूंजीगत माल का आयात बिना लाइसेंस प्राप्त किये सामान्य शुल्क देकर अब किया जा सकता है बशर्ते कि पुराने पूंजीगत माल की न्यूनतम अवशिष्ट अवधि पांच वर्षों की हो। पुरानी मशीनरी के आयात के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की आयु और सनदी इंजीनियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्तें समाप्त कर दी गई है। तथापि 1 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की मशीनरी के मामले में प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन एजेन्सी द्वारा मूल्य के प्रमाणन का निर्धारण किया गया है। यह देशी मशीनरी विनिर्माताओं पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि आयात केवल वास्तविक उपभोक्ताओं तक ही सीमित रहेगा लेकिन इसके साथ–साथ इससे उद्योग को, देशीय स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने या पुराने पूंजीगत माल के आयात में वाणिज्यिक निर्णय लेने की स्वतन्त्रता होगी।

कांट-छांट की गई निषेधात्मक सूची

वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत, पूजीगत माल, कच्चे माल, मध्यवर्तियों, संघटकों, उपभोज्यों, अतिरिक्त पुर्जों, हिस्सों आदि का आयात, उपभोज्य माल तथा कच्चे माल और संघटकों से संबंधित कुछ मदों को छोड़कर, मुक्त रूप से अनुमेय है। इलैक्ट्रानिकी उद्योग में परिष्कृत उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कुछ संघटकों को निषेधात्मक सूची से निकाल दिया गया है। अब मछुआरे आउट–बोर्ड मोटरों को आयात मुक्त रूप से कर सकेंगे। उत्पाद विकास के लिए आदि–कपों/नगूनों का आयात करने के लिए छूट दी गई है। निर्यातों और आयातों की निषेधात्मक सूची में न आने वाली मदों के आयात और निर्यात के लिए मूल्य संवर्ध न आदि के प्रतिबंध जो कि विकार युक्त पैदा थे, उन्हें हटा दिया गया है भारत में आयेजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले विदेशी प्रदर्शकों को, अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने हेतु, सामान्य सीमा शुल्क का भुगतान करने पर 5 लाख रूपये के लागत बीमा–भाड़ा मूल्य तक प्रतिबंधित सूची की मदों को बेचने की सुविधा प्रदान की गई है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्यात

निर्यात उत्पादन आधार में वृद्धि करने के उद्देश्य से, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई मदों के विनिर्माताओं को यह अनुमति दी गई है कि वे संयंत्र और उपस्कर में 75/–लाख रूपये से अधिक का निवेश करके अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि वे अपनी वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 75%– निर्यात आभार का वचन दें। ऐसी यूनिटों के पंजीकरण की अनुमति औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय देगा और निर्यात आभार पूरा कराने के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार निगरानी रखेंगे।

निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलैक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

निर्यात अभिमुखी यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्र भारत के निर्यात प्रयासों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र को और अधिक लचीला बनाने के लिए निर्यात अभिमुखी यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम को अन्य निर्यात संवर्धन स्कीमों जैसे कि इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के समरूप बनाया गया है जो न्यूनतम मूल्य संवर्धन और घरेलू माल प्राप्ति के संबंध में इलेक्ट्रानिकी यूनिटों के प्रचालन को और अधिक लचीला बनाता है। व्यापार, पुनः पैक करने के बाद पुनः मरम्मत करने और पुनः सुधार तथा पुनः अभियांत्रिकी की व्यवस्था करके संवर्धन क्षेत्रों की गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ाया गया है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट को हस्तातंरण के लिए निर्यात संवर्धन के विकास आयुक्त से पूर्वानुमति प्राप्त करने की अपेक्षा को हटा दिया गया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निर्यात सुविधाएं प्रदान करने के मुद्दे को बहुत महत्व देते हैं और बहुपक्षी निर्यात के क्षेत्र में भारत को केन्द्रीय मंच पर लाने के लिए निर्यात कर्त्ता समुदाय को हमारी ओर से इसके लिए पूरा समर्थन मिलता रहेगा कि हमारे प्रयास निर्यात के क्षेत्र में तेजी से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख भागीदार बनाने के लिए आधार का काम करें।

(तीन) 2, फील्ड आयुध डिपो, श्रीनगर में हुई दुर्घटना

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुख के साथ मुझे 29 मार्च, 1994 को हुई एक दुखद घटना के संबंध में सदन को सूचित करना पड़ रहा है, जिसमें एक मेजर जनरल सहित भारतीय सेना के 13 कर्मिकों तथा एक सिविलियन की मृत्यु हो गई।

29 मार्च, 1994 को 1010 बजे 2, फील्ड आयुध डिपो, श्रीनगर के एक अलग अहाते में विस्फोट के बाद आग लग गई जिसमें कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियार और उपस्कर रखे हुए थे। विस्फोट के समय जब्त किए गए ये हथियार और उपस्कर अधिकारियों के एक दल को दिखाए जा रहे थे। आग के फील्ड आयुध डिपों में फैलने तथा वहां रखी अन्य मदों के नष्ट हो जाने से पहले, सेना द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने के कारण आग पर काबू पा लिया गया। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक मेजर जनरल सहित आठ अधिकारी तथा तीन जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर, दो अन्य रैंक तथा एक सिविलियन मारे गए और दस व्यक्ति घायल हो गए।

यह फील्ड आयुध डिपो, श्रीनगर के छावनी क्षेत्र में बादामीबाग में स्थित है। इस फील्ड

आयुध डिपो के कर्मचारियों में सेना के कर्मिक और सिविलियन दोनों ही है। यह फील्ड आयुध डिपो रक्षा सुरक्षा कोर, सीमा सुरक्षा बल और सेना द्वारा की जा रही पूर्णतः समन्वित त्रि–स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से संरक्षित है। दुर्घटना के समय या उसके आस–पास किसी तरह की गोलाबारी समेत कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं देखी गई।

इस संबंध में जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कार्य में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भी श्रीनगर भेज दिया गया है।

6.29 म.प.

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 18 मार्च, 1994 को भारत के उच्चतम न्यायालय के सहायक पंजीकार से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें मुझे अंतरित मामला (सिविल), 1994 की संख्या 6 के संबंध में कारण बताने के लिए कहा गया है। अंतरित मामला (सिविल), 1994 की संख्या 6 में अन्य बातों के साथ–साथ न्यायधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इसे मेरे पास क्यों भेजा गया था।

सभा की सुस्थापित प्रथा और परंपरा के अनुसार मैंने निर्णय लिया है कि इस सूचना का उत्तर न दिया जाए। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति और सभा की सुस्थापित परंपराओं के बारे में अवगत कराने के लिए ऐसी कार्यवाही करें, जो वह आवश्यक समझे।

और यह कि अध्यक्ष न्यायाधीशों के स्थानातंरण के लिए जिम्मेदार नहीं है।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

6.30 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 18 अप्रैल, 1994/

28 चैत्र 1916 (शक) के 11 म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस०—48/29/19/94 (एम०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और
382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स,
2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।